क़ुरआन मजीद

मार्गदर्शक किताब सबके लिए

मुहम्मद इक़बाल मुल्ला

अनुवाद

नसीम ग़ाज़ी फ़लाही

विषय-सूची

'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'

"अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहमवाला है।"

प्रस्तावना

अपने देशवासी भाइयों और बहनों के सामने इनसानों के पैदा करनेवाले आक़ा, मालिक और वास्तविक परम पूज्य प्रभु की अन्तिम किताब के सही परिचय की आज भी बहुत ज़रूरत है। यह परिचय सिर्फ़ किताबों, फ़ोल्डर्स, लेकचर्स, सेमीनारों और कान्फ्रेंसों ही के ज़रिए से काफ़ी नहीं है। क़ुरआन मजीद के परिचय का अस्ल काम तो उस वक़्त होगा जब इस देश के मुसलमान क़ुरआनी शिक्षाओं पर अमल करके बताएँगे कि यह है क़ुरआन की शिक्षा। अल्लाह ने मक्का में क़ुरआन मजीद के पैग़ाम, शिक्षाओं और हिदायतों को पैग़म्बर के ज़रिए वहाँ के लोगों तक पहुँचाया। उसका अहम पहलू यह था कि जितना क़ुरआन मजीद अवतरित हुआ था वह पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) और उनके साथियों की मुबारक ज़िन्दगी में अमलन मौजूद था।

क़ुरआन मजीद के परिचय की अस्ल ज़िम्मेदारी मुसलमानों की है। कुछ अपवाद के साथ यह काम हर ज़माने में होता रहा। उसके अच्छे असरात भी सामने आए। लेकिन आम तौर से मुसलमानों का तरीक़ा क़ुरआन मजीद के मामले में कुछ ऐसा रहा मानो यह उनकी क़ौमी किताब है और दूसरी क़ौमों और मज़हबवालों के लिए दूसरी किताबें हैं। जबकि क़ुरआन मजीद को उतारनेवाले, कायनात को पैदा करनेवाले रब ने अपने अन्तिम पैग़म्बर पर हिदायत की यह किताब सारे इनसानों के लिए अवतरित की। हर इनसान का यह हक़ और अधिकार है कि इस किताब तक उसकी पहुँच हो। वह गहन अध्ययन करके समझ ले कि उसका पैदा करनेवाला ख़ुदा क्या चाहता है? उसकी मरज़ी को कैसे पूरा किया जाए? पैदा करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पूर्णता (तकमील) का रास्ता कौन-सा है? दुनियावी कामयाबी और भलाई और पारलौकिक नजात के लिए ख़ुदा की तरफ़ से दी गई ज़िन्दगी का निज़ाम (जीवन-व्यवस्था) क्या है?

उम्मीद है कि इस किताब के अध्ययन से हमारे वतनी भाइयों और बहनों में क़ुरआन मजीद के अध्ययन का जज़्बा (भावना) पैदा होगा। वे अपनी ज़िन्दगी को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने और ईश्वर की पहचान (God Consciousness) के लिए क़ुरआन मजीद की तरफ़ पलटेंगे। रूहानियत को प्राप्त करने, उच्चतम चरित्र व किरदार का निर्माण, बन्दों की ख़ैरख़ाही और उनके हक़ों की अदाइगी की राह क़ुरआन मजीद बताता है। इस मामले में क़ुरआन मजीद का कोई बदल नहीं है। क़ुरआन मजीद के सम्बन्ध में ग़लतफ़हमियों और बदगुमानियों को दूर करने के लिए इस किताब से मदद मिलेगी।

इस किताब की तैयारी में डॉक्टर मुहम्मद रफ़अत, पूर्व चेयरमैन तसनीफ़ी एकेडमी नई दिल्ली और डॉक्टर मुहम्मद रज़ीयुल-इस्लाम नदवी, पूर्व सेक्रेट्री तसनीफ़ी एकेडमी के मश्वरे और रहनुमाई (मार्गदर्शन) शामिल रही, दोनों हज़रात का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब ज़हीर अहमद साहब (शोबा-ए-दावत) का भी शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरी जीवन संगनी अतिया परवीन और प्यारी बेटी निकहत फ़ातिमा एम॰ एस॰ सी॰ (फ़ाइनल) जामिआ मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली, का भी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने घरेलू कामों से मुझे भार मुक्त करके इस काम के लिए यकसू (एकाग्रचित) कर दिया। अल्लाह तआला इन सबको नेक और बेहतरीन बदला दे। आमीन!

यह किताब उर्दू ज़बान में लिखी गई थी। ख़ुशी की बात है कि इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (दिल्ली) ने इसे हिन्दी में अनुवाद कराकर प्रकाशित कराया। हम ट्रस्ट के सेक्रेट्री नसीम ग़ाज़ी फ़लाही साहब और अन्य सभी साथियों के लिए ख़ैर और भलाई की ख़ुदा से दुआ करते हैं।

दुआ है कि जिस मक़सद के लिए यह किताब लिखी गई है, वह पूरा हो।

01-05-2020

मुहम्मद इक़बाल मुल्ला

सेक्रेट्री शोबा-ए-दावत, जमाअते-इस्लामी हिन्द

समर्पण

समर्पण उन सभी भाइयों और बहनों के नाम जिन्होंने क़ुरआन मजीद को विशेष रूप से मुसलमानों की किताब समझकर अभी तक इसका अध्ययन करना अपने लिए ज़रूरी नहीं समझा है।

मानवता को क़ुरआन मजीद की शक्ल में विशिष्ट उपहार प्रदान करनेवाला स्रष्टा, मालिक और परवरदिगार वही है, जिसने हम सबको पैदा किया, जिसने सूरज की रौशनी, ऊर्जा और गर्मी, चाँद की चाँदनी और ठंडक, हवा और पानी को पैदा किया।

स्रष्टा कौन है? क्या है? उसके गुण (सिफ़ात) क्या हैं? उसके मानने के तक़ाज़े क्या हैं? उसकी मरज़ी क्या है? उसके निकट पसन्दीदा और नापसन्दीदा काम कौन से हैं? पैदाइश के मक़सद को इनसान कैसे पूरा करे, ताकि पैदा करनेवाले (स्रष्टा) की प्रसन्नता प्राप्त कर सके? मौत की हक़ीक़त क्या है? मौत के बाद हमेशा की ज़िन्दगी में पैदा करनेवाले ख़ुदा की प्रसन्नता (जन्नत) को पाने का और उसकी नाराज़गी (जहन्नम) से बचने का रास्ता कौन-सा है? ये प्रश्न हर इनसान की अमली ज़िन्दगी, उसके रवैए, आख़िरत के अंजाम और पूरे जीवन से गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इन सबके बारे में वही रहनुमाई सही हो सकती है, जो ईश्वर की तरफ़ से हो। क़ुरआन मजीद उसी सच्ची रहनुमाई पर सम्मिलित, व्यापक और पूर्ण मार्गदर्शन है।

क़ुरआन मजीद पिछली आसमानी किताबों के मुख़ालिफ़ नहीं है, बल्कि उसने उनकी शिक्षाओं का खुलासा (सारांश), सुरक्षित और ख़ालिस शक्ल में पेश करके पूर्ण रूप से ज़िन्दगी के व्यापक नियमों की ओर रहनुमाई की है।

तो क्या आप अपनी ज़िन्दगी की शाम हो जाने से पहले-पहले क़ुरआन मजीद का अध्ययन करना ज़रूरी समझते हैं, ताकि उसकी मूल्यवान शिक्षाएँ आपके सामने आ सकें और आप उनपर विचार और चिन्तन-मनन करके कोई निर्णय ले सकें और मौत के बाद हमेशा की स्थाई नाकामी और भयानक परिणाम से बचे रहें?

किताब के अध्ययन करने से पहले ये कुछ बातें

इस किताब के सामान्य पाठकों, विशेषकर हिन्दू भाइयों और बहनों, के लिए निम्नलिखित मश्‌वरे लाभदायक साबित होंगे–

1. इस किताब में जगह-जगह विभिन्न लेखकों की किताबों के उद्धरण हवालों सहित लिखे गए हैं। ये हवाले उर्दू किताबों के हैं। उन किताबों के आम तौर पर दूसरी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध नहीं हैं।
2. पाठकों से निवेदन है कि किताब के अध्ययन के बाद कुछ मश्‌वरे और प्रस्ताव हों तो लेखक को ई-मेल के ज़रिए से सूचित करने का कष्ट करें। अगर कोई बात स्पष्ट नहीं है या कुछ प्रश्न और उलझनें हैं या आप कुछ ग़लती और कमी महसूस करते हैं तो लेखक को अवश्य सूचित करें। खोजबीन और तहक़ीक़ के बाद ज़रूरी सुधार कर दिया जाएगा।
3. किताब में क़ुरआन मजीद की आयतों के अनुवाद दिए गए हैं। इसी तरह पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की दुआएँ और कथन भी हैं। पाठकों से आशा की जा सकती है कि वे ईश्वर की वाणी का और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) के कथनों का सम्मान करेंगे।
4. मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि वे भी ग़ौर व फ़िक्र से इस किताब का मुताला (अध्ययन) करें। इसमें क़ुरआन मजीद का परिचय प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ सामान मिलेगा। हिन्दू भाइयों को अनूदित क़ुरआन उपहार में देने के अवसर पर इस किताब की मदद से आप क़ुरआन मजीद का परिचय करा सकते हैं। अनूदित क़ुरआन के साथ यह किताब भी उन्हें दें, ताकि अध्ययन करने से पहले वे इसे पढ़ सकें।

क़ुरआन मजीद क्या है?

इनसान इस ज़मीन की सारी सृष्टि में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि इसको बुद्धि-विवेक और सीमित आज़ादी और अधिकार की नेमत से नवाज़ा गया है। इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। एक नियम का पाबन्द बनाकर पूरी कायनात की चीज़ें उसकी सेवा में लगा दी गई हैं। उनको पैदा करने का मतलब और मक़सद इनसान की ख़िदमत और उसे लाभ पहुँचाना है। इनसान की सुरक्षा, बाक़ी रहने और तरक़्क़ी करने में उनका बड़ा अहम रोल है। इनसान ग़ौर व फ़िक्र से काम लेकर देखे, उसके चारों ओर दूर व नज़दीक बेजान और जानदार चीज़ें उसकी ख़िदमत में लगा दी गई हैं।

इनसान और दूसरी सृष्टि की हैवानी और माद्दी (भौतिक) ज़रूरतों को ईश्वर ने बेहतरीन तरीक़े से पूरा किया है और यह वही कर सकता था। सारे जहान में ईश्वर के सिवा कोई हस्ती या वुजूद (अस्तित्व) ऐसा नहीं है जो यह काम कर सके, क्योंकि जो ईश्वर स्रष्टा है वही इन सबका पालनेवाला और देख-भाल करनेवाला भी है। बे-शुऊर (अविवेकशील) प्राणी की रूहानी व अख़लाक़ी ज़रूरतें सिरे से हैं ही नहीं। इसलिए उनके लिए अख़लाक़ी ज़ाब्तों (नैतिक नियमों) और जीवन-व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं थी।

इन चीज़ों और तमाम मख़लूक़ को इनसान की ख़िदमत के लिए जिस स्वभाव (नेचर) की ज़रूरत थी वह इनको दे दी गई। परिन्दों को देखिए, किस तरह फ़िज़ा में उड़ते-फिरते हैं। मछलियों को देखिए, किस तरह समुद्र में तैरती हैं। शहद की मक्खी ज़बरदस्त मंसूबा-बन्दी, मेहनत और मशक़्क़त के बाद हमारे लिए शहद जैसा अमूल्य पेय—जो दवा भी है और ग़िज़ा भी—मुहैया फ़राहम करती हैं। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया भी हमारे लिए अनाजों, फलों, फूलों, ग़िज़ाओं, पेय पदार्थों की तैयारी में मददगार हैं, जिनके बग़ैर इनसानी ज़िन्दगी इस भू-मंडल पर आसानी के साथ नहीं गुज़र सकती थीं। जब अल्लाह ने इन जानदार और ग़ैर-जानदार (निर्जीव) मख़लूक़ और चीज़ों के लिए पैदाइश का मक़सद तय कर दिया और इसको हासिल

करने के लिए रहनुमाई फ़रमाई, तो कैसे ख़याल किया जा सकता है कि उसने इनसान को सबसे अच्छा और श्रेष्ठ बनाकर तो पैदा किया, लेकिन उसकी ज़िन्दगी का कोई मक़सद नहीं मुक़र्रर किया और मक़सद को हासिल करने की राह उसको नहीं बताई। उसके भौतिक वुजूद (अस्तित्व) की ज़रूरतों को तो बेहतर तरीक़े से पूरा किया और रूहानी व अख़लाक़ी (नैतिक) वुजूद की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, यह बात सोची भी नहीं जा सकती है कि पैदा करनेवाला ख़ुदा इस तरह इनसान को भटकने के लिए छोड़ दे। यह एक अहम सच्चाई है कि इनसान का भौतिक अस्तित्व सामयिक, सीमित और ज़मीनी है, जबकि उसका रूहानी और नैतिक (अख़लाक़ी) वुजूद, स्थाई, असीमित और आसमानी हैं। इसी लिए इनसान के मर जाने के बाद रूह (आत्मा), उसका अख़लाक़ी और रूहानी वुजूद, अच्छे-बुरे कर्मों (आमाल) और उनके असरात से ख़त्म नहीं होते।

जब परमेश्वर ने जानदार और ग़ैर-जानदार चीज़ों के लिए इतना ज़बरदस्त इन्तिज़ाम किया है तो इनसान की अख़लाक़ी और रूहानी ज़िन्दगी के लिए इन्तिज़ाम वह क्यों न करेगा? जिस तरह अल्लाह के बनाए हुए इन्तिज़ाम (हवा, पानी, सूरज, चाँद वग़ैरा) से फ़ायदा उठाकर ही इनसान की भौतिक ज़िन्दगी के बाक़ी रहने और उसकी सुरक्षा संभव है, उसी तरह अख़लाक़ी और रूहानी ज़िन्दगी में ईश्वर के नियमों और मार्गदर्शन को मानकर ही ज़िन्दगी में अम्न-शान्ति, सन्तुलन, एतिदाल और अद्ल व इनसाफ़ बरक़रार रह सकता है। ज़ुल्म-ज़्यादती, हिंसा, बुराई, फ़साद और बिगाड़ से बचना इस तरह मुमकिन है।

सवाल यह है कि ईश्वर ने इनसान की अख़लाक़ी और रूहानी ज़िन्दगी की हिदायत और रहनुमाई के लिए क्या इन्तिज़ाम किया है?

जैसा कि बताया गया, इनसान अक़्ल और शुऊर (बुद्धि-विवेक) रखता है। ईश्वर ने उसको आज़ादी और हक़ व अधिकार भी दिए हैं, इसी बिना पर वह अपने पैदा करनेवाले के सामने जवाबदेह है। ज़रूरी है कि ईश्वर ने इनसान की ज़िन्दगी का जो मक़सद निश्चित किया है, वह ठीक तरह से इनसान को मालूम हो। इसके साथ जो हक़ व अधिकार और कर्तव्य और

ज़िम्मेदारियाँ तय की हैं वे भी मालूम हों, ताकि वह ज़िन्दगी के इम्तिहान में सफल हो और आख़िरत की पूछ-गछ में असफलता से बच सके। चुनाँचे ईश्वर ने इन अहम और बुनियादी हक़ीक़तों का इल्म (ज्ञान) भी दिया और ज़िन्दगी के सभी विभागों (अख़लाक़ी और रूहानी) के लिए व्यापक जीवन-व्यवस्था भी प्रदान की। इसके लिए ईश्वर ने अपने बन्दों में से चुने हुए इनसानों को नबी और पैग़म्बर की हैसियत से मुक़र्रर करके रहनुमाई के पद पर नियुक्त किया। दुनिया के विभिन्न देशों और क़ौमों में अलग-अलग ज़माने में नबियों और पैग़म्बरों के आगमन का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) तशरीफ़ लाए।

अल्लाह ने इनसानों की रहनुमाई, सुधार और तरबियत के लिए सहीफ़ों और किताबों का सिलसिला भी जारी किया। इस इन्तिज़ाम को रिसालत या ईशदूत्तव (Prophethood) कहा गया। जहाँ तक नबियों और पैग़म्बरों पर अल्लाह की ओर से अवतरित होनेवाले सहीफ़ों और किताबों का ताल्लुक़ है, उसका पूरा इतिहास हमारे सामने नहीं है। सुहुफ़े-इबराहीम (अलैहि॰), सुहुफ़े-मूसा (अलैहि॰), ज़बूर, तौरात और इनजील का बयान क़ुरआन मजीद में मिलता है। क़ुरआन मजीद आख़िरी आसमानी किताब है। हमारे देश के प्राचीन इतिहास में भी यक़ीनन अल्लाह की ओर से पैग़म्बर आए होंगे और उनपर किताबें अवतरित हुई होंगी। हज़रत ईसा (अलैहि॰) के लगभग 750 साल बाद हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का दौर शुरू होता है। इनजील हज़रत ईसा (अलैहि॰) पर अवतरित हुई किताब है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) अन्तिम पैग़म्बर हैं। इनपर क़ुरआन मजीद का अवतरण हुआ। लगभग तेईस (23) साल की अवधि में थोड़ा-थोड़ा करके यह अल्लाह की ओर से अवतरित होता रहा। इस एतिबार से क़ुरआन मजीद कोई पहली किताब नहीं है। अल्लाह ने इससे पहले जो किताबें भेजी थीं वे सुरक्षित नहीं रह सकीं। क़ुरआन मजीद के उतरने के साथ ही इसकी सुरक्षा का ग़ैर-मामूली (असाधारण) प्रबन्ध किया गया। अब क़ुरआन मजीद पूरी तरह सुरक्षित है। इनसानों की हिदायत और रहनुमाई की भरपूर सामग्री इसमें मौजूद है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) जिनपर क़ुरआन मजीद उतारा गया, उनकी मुबारक

और पाकीज़ा ज़िन्दगी क़ुरआन मजीद का अमली नमूना है।

क़ुरआन मजीद पिछली आसमानी किताबों का मुख़ालिफ़ नहीं है। इसका बयान यह है कि उन किताबों में जो हिदायतें और रहनुमाई अल्लाह की तरफ़ से दी गई थीं वे सुरक्षित न रह सकीं। क़ुरआन मजीद उन किताबों की असली (मूल) शिक्षाओं को पेश करता है। वह कोई नई तालीम (शिक्षा) या नया पैग़ाम पेश नहीं करता। इसका मतलब यह है कि पिछली किताबें निरस्त (मंसूख़) हो गई हैं। उन किताबों में सच्ची शिक्षाओं का एहतिराम (सम्मान) ज़रूरी है, लेकिन मार्गदर्शन और रहनुमाई के लिए क़ुरआन की तरफ़ पलटना निहायत ज़रूरी है। क़ुरआन मजीद एक कसौटी की हैसियत रखता है। तमाम आसामानी किताबों से एक ही रास्ता मिलना चाहिए था। अब प्रतिकूल और अलग-अलग रास्ते और अलग-अलग शिक्षाएँ मिलती हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि उनकी असली तालीम (शिक्षा) वह नहीं है जो उन परिवर्तित की हुई किताबों में लिखी हुई मिलती है। क़ुरआन मजीद हर प्रकार से इनसानी हस्तक्षेप और विरोधाभासों से बिलकुल मुक्त है। क़ुरआन मजीद को मानना पिछली सभी किताबों को मानना है। क़ुरआन मजीद का इनकार मानो पिछली तमाम किताबों का इनकार है।

क़ुरआन मजीद के सिलसिले में इसकी कुछ विशेषताओं का बयान करते हुए सुप्रसिद्ध लेखक जनाब नईम सिद्दीक़ी लिखते हैं—

“हमारे सामने यह एक मात्र किताब ऐसी है जिसमें कहीं किसी मक़ाम पर कोई बात सन्देह के अन्दाज़ में नहीं कही गई है। कोई उसूल, कोई हुक्म, कोई तजरिबा (अनुभव) और कोई तबसिरा (समीक्षा) इसमें ऐसा दिखाई न देगा, जिसमें कुछ भी शक-शुब्हा हो। हर बात यक़ीन और गम्भीरता के साथ कही गई है। इसका एक-एक वाक्य बताता है कि इसके मुसन्निफ़ (रचनाकार) को इस बात का बिलकुल कोई अन्देशा नहीं है कि उसकी किसी बात को झुठलाया भी जा सकता है। कहीं किसी लाइन में कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं झलकती जैसी आम तौर पर इनसानी लिखी हुई किताबों में पाई जाती है।

यह किताब, सत्य और वास्तविक व यक़ीनी किताब है। यह किताब

मनोरंजक साहित्य से सम्बन्ध नहीं रखती, बल्कि ज़िन्दगी के ठोस तथ्यों (सच्चाइयों) और मामलों पर बात करती है और वह भी संजीदा और सम्मानित अन्दाज़ से।" (सह रोज़ा दावत, नई दिल्ली, 10 मई 2017 ई०)

आगे वे लिखते हैं—

"इस किताब (क़ुरआन) का विषय इनसान है और यह इनसान की ज़िन्दगी के हर पहलू पर बात करती है। इसमें ज़िन्दगी को एक इकाई और कुल मानकर बात की गई है। यह कहा जा सकता है कि यह किताब एक विशेष ढंग की सोशियोलोजी की किताब है और एक पूर्ण सोशल सिस्टम या निज़ामे-इजतिमाई (सामूहिक-व्यवस्था) का एक व्यापक फ़ार्मूला है। ऐसी किताब में क़ुदरती तौर पर ज़िन्दगी के हर पहलू और इल्म (ज्ञान) के बारे में वार्ता होनी चाहिए, लेकिन यह किताब हमारे प्रचलित तक़सीमे-उलूम (ज्ञान-विज्ञान के विभाजन) के मुताबिक़ किसी ख़ास आंशिक इल्म (ज्ञान) की किताब नहीं है, बल्कि इसमें सभी ज्ञान-विज्ञानों पर हावी हो जानेवाला और सभी ज्ञान-विज्ञानों को कुछ अटल बुनियादी तथ्यों और उसूलों के ज़रिए से संकलित और हम-आहंग (एक रंगी) करनेवाला इल्म (ज्ञान) पेश किया गया है। जिसे इस किताब ने पारिभाषिक तौर से अल-इल्म (The Knowledge) क़रार दिया है, यानी मार्गदर्शन का वह ज्ञान जो इनसानी ज़िन्दगी की समग्र सफलता के लिए अनिवार्य बुनियादी इल्म है। वह मार्ग-दर्शक ज्ञान जो तमाम विज्ञानों और विचारों को दुरुस्ती पर क़ायम रखता है और उन्हें भटकने से रोकता है।

क़ुरआन मजीद जिस 'अल-इल्म' पर आधारित है, उसमें एक तो वे बुनियादी सच्चाइयाँ शामिल हैं, जिनपर यह कायनात चल रही है और जिनके तहत ज़िन्दगी का प्रकटन और विकास हुआ है, दूसरे वे ऐतिहासिक नियम हैं जिनके तहत क़ौमों और जातियों का उत्थान और पतन घटित होता है और तीसरे वे अख़लाक़ी (नैतिक) ज़ाब्ते हैं जिनसे व्यक्ति और समाज का जीवन सँवरता है और जिनको छोड़ने से उसमें फ़साद व बिगाड़ पैदा हो जाता है, वे ज़ाब्ते हैं जिससे उसकी ज़िन्दगी में कायनात की सच्चाइयों से ताल-मेल (समन्वय) पैदा हो जाता है और वह ख़ुदा की ख़ुशी और मरज़ी

के लायक़ और क़ाबिल बनाता है।" (हवाला पूर्व)

धार्मिक किताब को कैसी किताब होनी चाहिए? अक़्ल की माँग है कि यह किताब ख़ुदा (ईश्वर) का सही परिचय कराए, उसके गुण और विशिष्टताएँ (खुसूसियात) बयान करे। वह बताए कि ईश्वर को मानने के बाद इनसान पर क्या ज़िम्मेदारी आती है। ख़ुदा के इनकार या ख़ुदा की नाफ़रमानी की हानियों से बाख़बर करे। पवित्र क़ुरआन इनसान को ईश्वर से क़रीब करता है, उसकी सच्ची मुहब्बत और उसकी ख़ुशनूदी को इनसान की सबसे बड़ी पूँजी क़रार देता है और ख़ुदा की मुहब्बत और ख़ुशी पर अपनी हर चीज़ को न्योछावर करने की ज़बरदस्त ताक़त इनसान के अन्दर पैदा करता है। नईम सिद्दीक़ी लिखते है–

"इस किताब (पवित्र क़ुरआन) की एक बड़ी शानदार विशेषता यह है कि यह अपने पाठक को ईश्वर से क़रीब कर देती है और ईश्वर उसके निकट आ जाता है। ख़ुदा की यह कल्पना कि वह एक अलग-थलग अस्तित्व है, जिससे इनसान का बराए नाम का सम्बन्ध है, वह भी दूर-दराज़ का, क़ुरआन पढ़ते ही इस क़िस्म की सीमित, कमज़ोर और झूठी कल्पना मिट जाती है। क़ुरआन का ख़ुदा ऐसा है कि क़ुरआन पढ़ते हुए आदमी को वह बिलकुल अपने सामने, अपने आसपास, बल्कि बिलकुल ठीक अपने दिल में महसूस होने लगता है। जहाँ क़ुरआन में दाख़िल होते ही पाठक महसूस करता है कि ख़ुदा को उससे गहरा सम्बन्ध है, उससे गहरी मुहब्बत है, ख़ुदा को उससे गहरी दिलचस्पी और हमदर्दी है, और वह उसके हर ख़याल के साथ-साथ है, उसके हर काम में हिस्सा ले रहा है, वह उसकी दुआएँ सुनता, उसकी पुकारों का जवाब देता, उसके काम सँवारता, उसे भलाइयों से मालामाल करता और बुराइयों से बचाता है। पवित्र क़ुरआन का पाठक अगर क़ुरआन की पुकार पर बुराई और ज़ुल्म की ताक़तों के ख़िलाफ़ सच्चाई और भलाई की जंग लड़ने खड़ा होता है तो वह यह महसूस किए बग़ैर नहीं रहता कि इस जंग में ख़ुदा ख़ुद उसका साथी है। वह उसके आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ और सीने की गहराइयों में मौजूद है। फिर क़ुरआन की चित्रणशैली (मंज़रकशी) का कमाल है कि उसके पाठक के सामने हश्र और नश्र (प्रलय) का नक़्शा

ऐसी स्पष्टता से आता है कि कोई बड़े-से-बड़ा ग़फ़लत का समयकाल गुज़ारकर भी उसका इनकार नहीं कर सकता। उसे परलोक की अदालत दिखाई देने लगती है और उस हद तक पहुँचने के लिए मौत का दरवाज़ा सामने खुला हुआ नज़र आता है। वह अदालत, जहाँ न रिश्वत चलेगी, न सिफ़ारिश के ज़ोर से किसी से साँठ-गाँठ की जा सकेगी, न कोई किसी का जुर्माना अदा करेगा, न वकीलों की ज़बान की तेज़ी काम आएगी, और न दोस्त और रिश्तेदार सहारा दे सकेंगे और न रोना-धोना और चीख़ना ही फ़ायदेमन्द होगा, बल्कि वहाँ क़ानून तो बस यह है कि जिस किसी ने ज़र्रा-भर भलाई की होगी वह उसे वहाँ देख लेगा और जिस किसी ने ज़र्रा-भर भी बुराई की होगी वह भी उसे वहाँ देख लेगा।" (सह रोज़ा दावत, नई दिल्ली, 10 मई 2017 ई॰)

क़ुरआन मजीद– कुछ ज़रूरी जानकारियाँ

क़ुरआन मजीद पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर (जो अल्लाह के आख़िरी पैग़म्बर हैं) लगभग तेईस साल की अवधि में थोड़ा-थोड़ा करके ईश्वर की तरफ़ से उतारा गया।

नबी होने के बाद पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) मक्का में तेरह साल और मदीना में दस साल रहे। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर क़ुरआन मजीद का अवतरण वह्य (ईशप्रकाशना) के ज़रिए से होता था। आनेवाले पृष्ठों में वह्य (Revelation) पर कुछ रौशनी डाली जाएगी। क़ुरआन मजीद के अध्ययन से पहले वह्य को समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारियाँ फ़ायदेमन्द होंगी।

- क़ुरआन मजीद का शाब्दिक अर्थ है, "वह चीज़ जिसको पढ़ा जाए।"
- क़ुरआन मजीद का अवतरण काल 22 साल, पाँच माह और 14 दिन है।
- क़ुरआन मजीद में 25 पैग़म्बरों के नाम आए हैं, उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं।

1. हज़रत आदम (अलैहि॰), 2. हज़रत नूह (अलैहि॰),
3. हज़रत इबराहीम (अलैहि॰), 4. हज़रत इसमाईल (अलैहि॰),
5. हज़रत इसहाक़ (अलैहि॰), 6. हज़रत लूत (अलैहि॰),

7. हज़रत यूसुफ़ (अलैहि॰), 8. हज़रत मूसा (अलैहि॰),
9. हज़रत हारून (अलैहि॰), 10. हज़रत ईसा (अलैहि॰),

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) का नाम अहमद (सल्ल॰) भी क़ुरआन मजीद में आया है। क़ुरआन मजीद वह्य (ईश-वाणी) के ज़रिए से पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) तक पहुँचानेवाले फ़रिश्ते का नाम जिबरील (अलैहि॰) है।

क़ुरआन मजीद का अवतरण सबसे पहले हिरा नामक ग़ार (गुफा) में हुआ, जहाँ पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) एकान्त में अरब क़ौम की बिगड़ी हुई हालत पर चिन्तन-मनन करते और इबादत में व्यस्त रहते थे। ग़ारे-हिरा मक्का से पूर्व की ओर साढ़े पाँच किलोमीटर के फ़ासले पर जबले-नूर, (नूर नामक पहाड़) पर स्थित है। हज़रत जिबरील (अलैहि॰) उस ग़ार में तशरीफ़ लाए और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) को बताया कि अल्लाह तआला ने आप (सल्ल॰) को अपना पैग़म्बर नियुक्त किया है, अपना परिचय कराते हुए बताया कि मैं जिबरील हूँ। उस वक़्त पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की उम्र चालीस साल थी। सबसे पहले क़ुरआन मजीद की सूरा-96 अलक़ की ये आरंभिक पाँच आयतें उतरी हैं–

> "अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। जमे हुए ख़ून के एक लोथड़े से इनसान की रचना की, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा उदार है, जिसने क़लम के ज़रिए से ज्ञान की शिक्षा दी, इनसान को वह ज्ञान दिया जिसे वह न जानता था।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-96 अलक़, आयतें-1 से 5)

क़ुरआन मजीद की सबसे पहले उतरनेवाली मुकम्मल सूरा सूरा फ़ातिहा है–

> "प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहान का रब है। वह बड़ा ही मेहरबान और दया करनेवाला है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी ही बन्दगी करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपापात्र हुए, जो प्रकोप के भागी नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं।" (क़ुरआन, सूरा-1 फ़ातिहा, आयतें-1 से 7)

क़ुरआन मजीद के शब्द 'आयत' का शाब्दिक अर्थ निशानी है। इस

कायनात में फैली हुई निशानियों को भी आयत कहा जाता है। शिक्षाओं को भी आयत कहा गया। आयत का बहुवचन 'आयात' है। उन आयात (यानी निशानियों) पर ग़ौर व फ़िक्र करके इनसान अल्लाह तआला तक पहुँचता है।

आयतों को सूरतों (अध्यायों) में अल्लाह तआला की तरफ़ से जमा किया गया है। अलबत्ता पारों (भागों) और रुकूओं की तक़सीम आलिमों ने रोज़ाना क़ुरआन मजीद पढ़नेवालों की आसानी के लिए की है। क़ुरआन मजीद को तीस पारों (भागों) में बाँटा गया है। इस तरह कुछ आयतों का समूह रुकूअ कहलाता है। चूँकि पारे और रुकूअ आलिमों ने तक़सीम किए हैं, इसलिए इनकी निशानदेही क़ुरआन मजीद के हाशिया पर की जाती है, ताकि ख़ुदा के कलाम से अलग हों।

सूरत (सूरा) के मानी फ़सील (दीवार, बाउंड्रीवाल) के आते हैं। जिस तरह फ़सील की वजह से एक शहर ज़मीन के दूसरे हिस्सों से विशिष्ट और अलग हो जाता है इसी तरह एक सूरा भी क़ुरआन मजीद के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से विशिष्ट और पृथक कर देती है। जिस तरह फ़सील से शहर सुरक्षित हो जाता है, इसी तरह क़ुरआन मजीद को एक सौ चौदह (114) सूरतों में तक़सीम करके उसके शब्दों और विषय-लेखों को सुरक्षित कर दिया गया है। (मालूमाते-क़ुरआन, अली असग़र चौधरी, तलख़ीस सहित)

क़ुरआन मजीद में एक सौ चौदह सूरतों की तक़सीम मक्की और मदनी सूरतों के तौर पर की गई है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की उम्र चालीस साल पूरी हो चुकी थी, जब आप (सल्ल०) पर वह्य (ईश-वाणी) उतरना शुरू हुई। वह्य उतरने का सिलसिला तेईस साल तक जारी रहा। नबी (सल्ल०) मक्का में तेरह साल रहे और मदीना में दस साल।

मक्का में जब पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) का विरोध बहुत अधिक होने लगा तो अल्लाह तआला के हुक्म से आप (सल्ल०) और आपके साथी (रज़ि०) मक्का से मदीना चले गए। इसे हिजरत (Migration) कहते हैं। हिजरत इस्लामी इतिहास की निहायत अहम और मशहूर घटना है। मदीना के हालात मक्का से विभिन्न थे। मदीना में दस साल यानी आप (सल्ल०)

की वफ़ात तक वह्य (ईश-वाणी) अवतरित होती रही।

मदीना की तरफ़ हिजरत से पहले जो क़ुरआन मजीद की जो सूरतें अवतरित हुईं उन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है। मक्की सूरतों की तादाद छियासी (86) है। हिजरत के बाद पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की मृत्यु तक क़ुरआन मजीद का जो हिस्सा अवतरित हुआ वह मदनी सूरतों की शक्ल में है। मदनी सूरतों की तादाद अट्ठाइस (28) है।

यहाँ तक क़ुरआन मजीद का एक सरसरी परिचय और कुछ ज़रूरी जानकारियाँ पेश की गई थीं। अब मौक़ा है वह्य यानी (Divine Revelation) जो एक तरह से ख़ुदाई पैग़ाम को पहुँचाना (Divine Communication) है, इसका परिचय कराया जाए। यह क़ुरआन मजीद के गहन अध्ययन और समझने में सहायक होगा।

वह्य (प्रकाशना)

वह्य क्या है?

क़ुरआन मजीद अल्लाह का कलाम (वाणी) है। इसमें अल्लाह के सिवा किसी इनसान या दूसरी हस्ती का कोई कलाम नहीं है। यह पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर जिस ज़रिए से अवतरित हुआ वह ज़रिआ वह्य (प्रकाशना) कहलाता है।

क़ुरआन मजीद पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर वह्य के ज़रिए से अरबी ज़बान में अवतरित हुआ। वह्य (प्रकाशना) की हक़ीक़त बताते हुए मौलाना सईद अहमद अकबराबादी (रह॰) लिखते हैं—

"लुग़त (शब्दकोश) में वह्य के मानी हैं 'इशारा करना, पैग़ाम दिल में डाल देना, छिपाकर बात करना, दिल में किसी बात का डाल देना।' लेकिन इस्लामी शरीअत की इस्तिलाह (शब्दावली) में वह्य उस ख़ास परोक्ष ज़रिए का नाम है, जिसके ज़रिए (ग़ौर व फ़िक्र, मेहनत व नज़र और तजरिबा व दलील के बग़ैर) ख़ास अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी नबी को कोई इल्म और ज्ञान हासिल होता है।" (वह्ये-इलाही, पृष्ठ-22)

इससे मालूम होता है कि ईश्वरीय प्रकाशना (वह्य-इलाही) कलाम (वाणी) की सूरत में अल्लाह का पैग़ाम (Divine Communication) है। वह्य सिर्फ़ पैग़म्बरों तक खुदाई कलाम पहुँचाने के लिए ख़ास रही है। यह ईश्वरीय वाणी ईश्वर के फ़रिश्ते हज़रत जिबरील (अलैहि॰) लाकर पहुँचाते थे। आख़िरी पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर क़ुरआन मजीद के अवतरित होने के बाद ईश-सन्देश पहुँचाने (Divine Communication) का यह सिलसिला बन्द कर दिया गया। खुदाई वह्य (ईश-प्रकाशना) हासिल हो जाने के बाद पैग़म्बरों पर ज़रूरी होता था कि उसे ज्यों-का-त्यों दूसरों तक पहूँचा दें। खुदाई प्रकाशना (वह्य) में किसी प्रकार की तब्दीली और कमी-बेशी करने का अधिकार किसी पैग़म्बर को कभी नहीं रहा।

वह्य (प्रकाशना) की परिभाषा बताते हुए मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उसमानी लिखते हैं—

"वह्य वह ज़रिआ है जिससे अल्लाह तआला अपना कलाम (वाणी) अपनी किसी चुने हुए बन्दे और रसूल तक पहुँचाता है और उस रसूल के ज़रिए से तमाम इनसानों तक। और चूँकि वह्य अल्लाह और उसके बन्दों के बीच एक मुक़द्दस तालीमी राब्ते की हैसियत रखती है और उसका अवलोकन सिर्फ़ नबियों ही को होता है, इसलिए हमारे लिए इसकी ठीक-ठीक हक़ीक़त का समझ पाना भी मुमकिन नहीं।"

(उलूमुल-क़ुरआन, पृष्ठ-30)

वह्य के बुनियादी उसूल

खुदाई वह्य (ईश-प्रकाशना) के बारे में जान लेने के बाद उसकी वास्तविकता को समझना ज़रूरी है। डॉक्टर महमूद अहमद ग़ाज़ी लिखते हैं—

"वह्य तीन बुनियादी अनासिर (तत्त्वों) से बनी है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि वह्य एक ऐसा इल्मी ज़रिआ है जो बिलकुल सीधे अल्लाह की ओर से आता है और जिस ज़रिए से आता है वह आम इनसानों को प्राप्त नहीं। वह ज़रिआ सिर्फ़ और सिर्फ़ नबियों के साथ ख़ास है, मानो यह वह इल्म का ज़रिआ है जो एक अनैसर्गिक खुसूसियत रखता है।

दूसरी बुनियादी चीज़ वह्य की हक़ीक़त में यह है कि वह क़तई यक़ीनी होती है। उसका यक़ीन और उसका क़तई होना ही दुनिया की हर क़तई और यक़ीनी चीज़ से बढ़कर और हर प्रकार के अनुमान व गुमान और अन्दाज़े से ऊपर है। खुदाई वह्य खुद मीज़ान (तुला) है, जिसमें तौलकर दूसरी चीज़ों के सही या ग़लत होने का फ़ैसला किया जाएगा। खुद ईश्वरीय प्रकाशना को किसी बाहरी मीज़ान (तराज़ू) की ज़रूरत नहीं।

तीसरी बुनियादी चीज़, जो प्रकाशना की हैसियत में शामिल है, वह यह है कि प्रकाशना अपने ग्रहण करनेवाले के लिए और दूसरे इनसानों के लिए उसकी पैरवी (अनुसरण) को अनिवार्य करती है। प्रकाशना के अवतरण के बाद किसी इनसान के पास यह हक़ और अधिकार बाक़ी नहीं रहता कि उस पर अमल करे या न करे। प्रकाशना के आदेशों और हिदायतों पर अमल करना ज़रूरी है।" (मुहाज़राते-क़ुरआनी, पृष्ठ-49-50)

ईश्वरीय प्रकाशना इनसान की किस ज़रूरत को पूरा करती है?

इनसान की ज़रूरतें, केवल दूसरे जानदारों की ज़रूरतों के समान नहीं हैं। इनसान की विशेषता यह है कि वह केवल तबई (प्राकृतिक) और माद्दी वुजूद (भौतिक अस्तित्व) ही नहीं रखता, बल्कि अख़लाक़ी और रूहानी वुजूद भी रखता है। इनसान पर अस्ल हुक्मरानी उसके रूहानी और अख़लाक़ी पहलू ही की है। इसी लिए रूहानी और अख़लाक़ी पहलू की तरबियत के लिए सही, व्यापक और मुकम्मल मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जिस तरह भौतिक और प्राकृतिक ज़रूरतों को इनसान खुद पूरा नहीं कर सकता, उसी तरह अख़लाक़ी और रूहानी पहलू के लिए ज़रूरी रहनुमाई भी खुद उपलब्ध नहीं कर सकता। इस सिलसिले में उसकी बेबसी और अयोग्यता दिन के उजालों की तरह बिलकुल स्पष्ट है। अल्लाह की हिदायत और रहनुमाई से फ़ायदा उठाने के बजाए नादान व नासमझ इनसानों ने अपनी अक़्ल, इल्म (ज्ञान) और तजरिबे को काफ़ी समझा। नज़रिए और फ़लसफ़े गढ़े, विभिन्न व्यवस्थाएँ (निज़ाम) बनाईं, इन सबमें परस्पर विभिन्नताएँ और मतभेद हैं। ये विरोधाभास का शिकार हैं। सन्तुलन और एतिदाल से बिलकुल ही वंचित हैं। सच्चाई यह है कि अल्लाह तआला तमाम प्राणियों पर ख़ासकर इनसान पर बहुत मेहरबान है। उसकी बन्दगी में यूँ तो सब शरीक हैं, अलबत्ता इनसान उसका नायब और ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) है और ज़मीन में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है।

अपनी प्रिय रचना से खुदा को क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसकी सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत को पूरी किए बग़ैर उसे अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दे, जबकि उसके अलावा हक़ीक़त में कोई दूसरा इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ इनसान की इस ज़रूरत पर इन शब्दों में रौशनी डालते हैं–

"खुदा वह्य (प्रकाशना) के ज़रिए से अपने पैग़म्बर को सम्बोधित करता है और उसपर अपना कलाम (वाणी) अवतरित करता है। इस तरह वह इनसान की हिदायत व मार्ग-दर्शन के लिए ऐसा प्रबन्ध करता है जिसपर हम उसकी जितनी भी तारीफ़ व प्रशंसा करें और उसके शुक्रगुज़ार हों, वह कम

होगा। वह्य की इनसानी ज़िन्दगी में इतनी अहमियत है कि एडिंगटन (Eddington) यह कहने पर मजबूर हुआ कि बुनियादी सवाल उसकी हस्ती और उसके होने का नहीं, बल्कि इस बात पर बिना सन्देह यक़ीन का है कि ख़ुदा वह्य (प्रकाशना) के ज़रिए से इनसान की रहनुमाई करता है।"

(हक़ीक़ते-नुबूवत, पृष्ठ-34)

मौलाना आगे और लिखते हैं—

"ज़िन्दगी जीवन-मूल्यों (Values of Life) के बग़ैर निरर्थक और हक़ीर होकर रह जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जीवन मूल्यों की पहचान कैसे होती है और कौन-सी चीज़ उन्हें यक़ीन करने के क़ाबिल बनाती है? वह ईश-प्रकाशना ही है जिसके ज़रिए से हम ज़िन्दगी की क़द्रों (मूल्यों) को जान सकते हैं और वह ईश-प्रकाशना ही है जो जीवन-मूल्यों को अनमोल क़रार देती है। यह प्रकाशना इनसानों में ख़ास हस्तियों की तरफ़ की जाती है। ऐसी ही हस्तियाँ हैं जिन्हें पैग़म्बर या नबी कहा जाता है। आइनस्टाइन ने इसे स्वीकर किया है कि जीवन-मूल्यों का इल्म (ज्ञान) उन सम्मानित हस्तियों (नबियों) के ज़रिए से हमें होता है, वे अनुभव की कसौटी पर पूरे उतरते हैं। जोड (Joad) ने भी कहा कि अस्ल तथ्यों का ज्ञान अक़्ल को धीरे-धीरे होता है, लेकिन रूह की विशेषता यह है कि वह उन्हें तुरन्त अन्दरूनी आफ़ियत की सूरत में पा लेती है।"

मौलाना आगे और अधिक लिखते हैं—

"वह्य के ज़रिए से जो इल्म (ज्ञान) हासिल होता है वह अक़्ल से परस्पर टकरानेवाला नहीं होता, बल्कि वह अक़्ल के अनुसार होता है। शर्त यह है कि अक़्ल ही में कोई ख़राबी न हो और हठधर्मी से वह बिलकुल पाक हो और इसके साथ उसमें हक़-पसन्दी का गुण भी पाया जाता हो। वह्य से हमारी अक़्ल और सूझ-बूझ में बढ़ोत्तरी होती है। वह्य इनसान की अक़्ल को गुमराह नहीं करती, बल्कि वह उसकी सहयोगी होती है। वह्य से यह मालूम होता है कि इनसान की हिदायत के लिए सिर्फ़ अक़्ल काफ़ी नहीं। इसका कारण यह है कि इनसान को उन सब चीज़ों की ज़रूरत है जिन तक अक़्ल की सीधे तौर पर पहुँच नहीं हो सकती।" (हक़ीक़ते-नुबूवत, पृष्ठ-34, 35)

वह्य और अक़्ल

आम तौर पर इनसान के इल्म (ज्ञान) के चिर-परिचित, अक़्ल और तजरिबा व मुशाहिदा (अवलोकन) हैं। आधुनिक काल के शुरू में इनसानियत के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना पश्चिमी दुनिया में पेश आई। साइंस की तरक़्क़ी के साथ वह न सिर्फ़ मज़हब से दूर हो गया, बल्कि नास्तिकता तक पहुँच गया। इसके नतीजे में वह अक़्ल और तजरिबे पर पूरा-पूरा भरोसा और एतिमाद कर बैठा, ज़िन्दगी और जगत् के विशुद्ध भौतिक कारण तलाश करने लगा और ईश-प्रकाशना और परोक्ष तथ्यों (ग़ैबी हक़ाइक़) का उसने साफ़ इनकार कर दिया।

ईश-प्रकाशना और मार्गदर्शन के ताल्लुक़ से जो शक व शुब्हा आज के दौर के इनसान के ज़ेहन में पाए जाते हैं उनमें से एक यह है कि प्रकाशना (वह्य) इन्द्रियों की पकड़ में नहीं आ सकती। दूसरा यह कि उसका तजरिबा आज हम नहीं कर सकते। तीसरा यह कि ईश-प्रकाशना संभव नज़र नहीं आती।

इन सन्देहों के निवारण के हवाले से ग़ौर करने के क़ाबिल पहलू यह है कि इनसान की अक़्ल, तजरिबा और मुशाहिदा अपने अन्दर सीमितताएँ (Limitation) रखते हैं। वे कमज़ोरियों और कमियों से मुक्त नहीं हैं। इनसान की अक़्ल को ग़लत तौर पर प्रभावित और भयभीत किया जा सकता है और वह हो भी जाती है। ग़लत फैसले कर सकती है और करती भी है। सही बात सामने आने के बाद मस्लहतों (नीहितहितों) का शिकार होकर क़बूल करने से भागती है। इस वजह से इनसान की अक़्ल पर पूर्ण निर्भरता सही नहीं है। अक़्ल की ख़ामियाँ, कमज़ोरियाँ और सीमितताएँ साफ़ इशारा दे रही हैं कि अक़्ल को भी एक रहनुमा और मार्ग-दर्शक की ज़रूरत है। यह रहनुमाई माद्दी और ज़मीनी न होकर कायनात के पैदा करनेवाले ख़ुदा की तरफ़ से होनी चाहिए, क्योंकि अक़्ल की कमज़ोरियों और ख़ामियों को अक़्ल की बड़ी नेमत प्रदान करनेवाला ही बेहतर तौर से जान सकता है कि उसकी रहनुमाई किस तरह की जाए कि वह भटकने और गुमराह होने से सुरक्षित हो जाए। इनसानी नज़रिए और साइंस यहाँ मदद नहीं कर सकते। चुनाँचे ईश-प्रकाशना इसी ईश-मार्गदर्शन और रहनुमाई का नाम है। ईश-प्रकाशना अक़्ल की

रहनुमा है, मुख़ालिफ़ नहीं। अक़्ल और ईश-प्रकाशना में टकराव और झगड़ा नहीं है। मौलाना अमीन अहसन इस्लाही (रह०) लिखते हैं—

"अक़्ल देनेवाला भी रब है और प्रकाशना (वह्य) भेजनेवाला भी रब है, इन दोनों में प्रतिकूलता और विरोधाभास कैसे हो सकता है? इनमें प्रतिकूलता और विरोधाभास होना अक़्ल और फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। सच्चाई यह है कि ये अक़्ल के मुतालबे (माँगें) हैं जिनकी प्रकाशना ने खुल्लम-खुल्ला गवाही की मुनादी की है, इसलिए इन दोनों में पूरा-पूरा सामंजस्य है।" (फ़लसफ़े के बुनियादी मसाइल, पृष्ठ-226)

मौलाना ने इस बिन्दु पर और अधिक रौशनी डालते हुए लिखा है—

"वह्य (प्रकाशना) अक़्ल की तरबियत करती है, यानी वह्य इनसान को इस क़ाबिल बना देती है कि जिन दायरों के अन्दर इनसान को अपनी अक़्ल के ऊपर छोड़ दिया गया है, अक़्ल उनमें भटकने न पाए।

वह्य अक़्ल की तकमील (पूर्णता) करती है, इसका मतलब यह है कि अक़्ल चूँकि इनसान का श्रेष्ठ जौहर है और उसका अस्ल गुण है, इसलिए यह तमाम बड़ी सच्चाइयों के दरवाज़ों पर दस्तक तो दे देती है, लेकिन दरवाज़ों को खोलकर उनके अन्दर के सभी राज़ों और गुप्त भेदों से वाक़िफ़ होना उसके बस में नहीं होता। वह्य उन दरवाज़ों को खोलकर उनके अन्दर की भी सैर करा देती है।

वह्य (प्रकाशना) फ़ितरत की रौशनी को मुकम्मल (पूर्ण) करती है, यानी फ़ितरत के अन्दर जो रौशनी है वह्य की रौशनी आकर उसको बिलकुल जग-मगा देती है, यहाँ तक कि सारा संसार रौशन हो जाता है।

वह्य (प्रकाशना) इनसान को अपनी बात अकाट्य प्रमाणों और तरीक़ों के साथ पेश कर देती है। अल्लाह तआला ने इनसान को जो अक़्ल दी है और फ़ितरत की जितनी रौशनी प्रदान की है उसकी बिना पर वह क़ियामत के दिन चाहे तो उससे सवाल कर सकता है और उसको सज़ा और इनाम दे सकता है, लेकिन महज़ इस बुनियाद पर उसने इनसान को सज़ा देना पसन्द नहीं किया, इसी लिए अक़्ल व फ़ितरत की रौशनी के साथ-साथ नबियों और पैग़म्बरों के ज़रिए से वह्य की रौशनी और आसमानी हिदायत

भेजकर उसने इनसान के ऊपर इस तरह युक्ति (हुज्जत) पूरी कर दी है कि ग़लत काम करनेवाले इनसान आख़िरत में पकड़ लिए जाएँगे और हर आदमी से छोटी-बड़ी चीज़ों के बारे में सवाल होगा।

फिर क़ुरआन मजीद हमें यह बताता है कि अल्लाह तआला ने इनसान को अक़्ल दी है, ताकि उसकी बिना पर वह एक चिन्तन-मनन करनेवाला इनसान बने, फ़ितरत की रौशनी दी है कि वह सभ्य और सज्जन बने, अच्छाई-बुराई में अन्तर करे और सिर्फ़ जानवर बनकर न रह जाए। इसके बाद वह्य की तालीम और किताब उतार करके उसने इनसान के लिए सही और ग़लत, अच्छे और बुरे को साफ़-साफ़ स्पष्ट कर दिया है, ताकि उसके पास ग़लत रवैया अपनाने का कोई बहाना बाक़ी न रह जाए। अक़्ल और वह्य (प्रकाशना) दोनों का स्रोत एक ही है। इसी लिए इन दोनों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, बल्कि पूर्ण अनुकूलता है। अक़्ल की पहुँच न होने की बिना पर यह ज़रूरी है कि इनसान वह्य (प्रकाशना) की तालीम (शिक्षा) को मार्गदर्शक चिराग़ बनाए और उससे तरबियत और तज़किया (पाकी) हासिल करे।" (हवाला पूर्व, पृष्ठ-228-233)

क़ुरआन का केन्द्रीय विषय क्या है?

क़ुरआन मजीद को ठीक तौर पर समझने के लिए क़ुरआन मजीद के केन्द्रीय विषय को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। आम तौर पर समझा जाता है कि इस्लाम या मुसलमान, क़ुरआन मजीद का अस्ल विषय होगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि क़ुरआन मजीद का केन्द्रीय विषय इनसान है। इस अहम बिन्दु पर वार्ता करते हुए मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह.) कहते हैं–

"इस (क़ुरआन) का विषय इनसान है, इस एतिबार से कि सचमुच में यथार्थ के लिहाज़ से उसकी भलाई, कामयाबी और नुक़सान व घाटा किस चीज़ में है। इसका केन्द्रीय विषय यह है कि प्रत्यक्ष रूप में, क़यास-आराई या ख़ाहिश की ग़ुलामी के सबब से इनसान ने ख़ुदा, निज़ामे-कायनात और अपनी हस्ती और अपनी दुनियावी ज़िन्दगी के बारे में जो नज़रिए क़ायम किए हैं और उन नज़रियों की बुनियाद पर जो रवैए अपना लिए हैं, वे सब सच में यथार्थ के लिहाज़ से ग़लत और नतीजे के एतिबार से ख़ुद इनसान

ही के लिए तबाहकारी हैं। सच्चाई वह है जो इनसान को ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) बनाते वक़्त ख़ुदा ने ख़ुद बता दी थी। इसका उद्देश्य इनसान को सही रवैए की तरफ़ बुलाना और अल्लाह की उस हिदायत को वाज़ेह तौर पर पेश करना है जिसे इनसान अपनी ग़फ़लत से गुम कर चुका है और अपनी शरारत से बिगाड़कर पेश करता रहा है।"

(तफ़हीमुल-क़ुरआन, भाग-1, पृष्ठ-19-20)

चुनाँचे क़ुरआन मजीद में इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं का बयान है, इसी तरह कुछ साइंसी तथ्य (हक़ीक़त) भी बयान किए गए है। आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीति, सामाजिकता, तहज़ीब, समाजी रहन-सहन, आदेशों और क़ानून व नियमों पर गुफ़्तगू है, फ़लसफ़ा (दर्शन) और परोक्ष ज्ञान के मसलों पर रौशनी डाली गई है, लेकिन क़ुरआन मजीद इनमें से किसी इल्म व फ़न की किताब नहीं है, बल्कि इन सब मामलों का ताल्लुक़ क़ुरआन मजीद के शीर्षक और केन्द्रीय विषय से ही जुड़ा हुआ है। इन्हीं के चारों ओर, तमाम तफ़सीलात और सभी आंशिक चीज़ें घूमती हैं। क़ुरआन मजीद की इस अहम ख़ुसूसियत को ध्यान में रखकर इसका अध्ययन क़ुरआन मजीद को समझने में मदद देगा। इस अहम हक़ीक़त को याद रखना ज़रूरी है कि क़ुरआन मजीद अल्लाह की तरफ़ से लिखी हुई किताब की सूरत में, एक ही बार में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर नहीं उतारी गई, बल्कि यह किताब तेईस वर्षों में थोड़ा-थोड़ा करके अवतरित होती रही। इसके जमा करने, लिखने और हिफ़ाज़त के ग़ैर-मामूली इन्तिज़ाम पर आगे आनेवाले पृष्ठों में रौशनी डाली जाएगी। उससे पहले मुनासिब होगा कि क़ुरआन मजीद की कुछ बड़ी अहम ख़ुसूसियतों (विशेषताओं) पर रौशनी डाली जाए, ताकि क़ुरआन मजीद का गहन अध्ययन करने में सही रुख़ (दिशा) हासिल हो सके और हक़ीक़त और सच्चाई पाना आसान हो।

क़ुरआन की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ

1. क़ुरआन अल्लाह की तरफ़ से उतारा हुआ है

क़ुरआन मजीद से सही तौर पर और भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए उसकी अस्ल हैसियत को ठीक तरीक़े से समझ लेना ज़रूरी है। इस बारे में कुछ दलीलें पेश की जा रही हैं, उनकी रौशनी में ग़ौर फ़रमाएँ कि क़ुरआन मजीद अल्लाह की वाणी है या किसी और की।

थोड़े-से लोगों को छोड़कर दुनिया के इनसानों की बड़ी तादाद (बहुसंख्या) ने हमेशा ईश्वर के वुजूद (अस्तित्व) को माना है। यह सच्चाई ऐतिहासिक एतिबार से साबित-शुदा (प्रमाणित) है कि ईश्वर की तरफ़ से पैग़म्बर भेजे गए। उनपर उसने किताबें उतारीं। ऐतिहासिक एतिबार से मुस्तनद (प्रमाणित) साधनों से हमें मालूम है कि विभिन्न क़ौमों और ज़मानों में पैग़म्बरों (अलैहि०) पर सहीफ़े और किताबें ख़ुदा की तरफ़ से उतरीं।

क़ुरआन मजीद से पहले जो सहीफ़े और किताबें मसलन ज़बूर, तौरात व इनजील आदि ईश्वर की तरफ़ से उतारी गईं, वे परिवर्तनों, इनसानी बातों की मिलावट, मतन (मूल लेख) के गुम हो जाने की वजह से अपनी हालत में बाक़ी नहीं रह सकी थीं। नतीजा यह हुआ कि इनसान के लिए ख़ुदाई हिदायत (ईश-मार्गदर्शन) और रहनुमाई हासिल करना (जो उन किताबों का अस्ल मक़सद था) नामुमकिन हो गया। इनसानों के लिए ख़ुदाई हिदायत और रहनुमाई की ज़रूरत अपनी जगह बरक़रार रही। चुनाँचे अल्लाह तआला ने उसी हिदायत को आख़िरी मर्तबा व्यापक और सम्पूर्ण रूप में दुनिया के सारे इनसानों को अता फ़रमाया। उसकी हिफ़ाज़त (सुरक्षा) का ग़ैर-मामूली एहतिमाम और इन्तिज़ाम किया गया। क़ुरआन मजीद सहीफ़ों और किताबों के सिलसिले की आख़िरी कड़ी के तौर पर आज इनसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए सुरक्षित है। अब सवाल यह है कि अगर हम मानते हैं कि ईश्वर है और वह अपने बन्दों की भौतिक और शारीरिक ही नहीं, बल्कि अख़लाक़ी और रूहानी ज़रूरतों को भी पूरा करता है तो हम क़ुरआन मजीद का इनकार कैसे कर सकते हैं। पैग़म्बरों ने अल्लाह की किताबों को लोगों

के सामने पेश किया और अमल करके नमूना भी क़ायम किया। इस सिलसिले की आख़िरी कड़ी अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हैं और उनपर जो कलाम आख़िरी बार उतारा गया वह क़ुरआन मजीद है।

इस बहस का दूसरा पहलू भी ध्यान देने के क़ाबिल है कि ख़ुद क़ुरआन मजीद अपने बारे में क्या बताता है? क्या वह इनसानी इतिहास में पहली किताब है जिसका अवतरण अल्लाह की तरफ़ से हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर हुआ? क़ुरआन मजीद कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि इस ज़मीन पर इनसानियत के आरंभ ही से हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला अल्लाह की ओर से शुरू हुआ। क़ुरआन मजीद का एलान है कि वह पिछले पैग़म्बरों पर उतरी हुई किताबों में दर्ज पैग़ाम और शिक्षाओं को नए सिरे से पेश करता है, कोई नया पैग़ाम और तालीम पेश नहीं करता। मानो हिदायत और रहनुमाई के इस सिलसिले के आरंभ से लेकर समापन तक (यानी क़ुरआन मजीद तक) तमाम आसमानी किताबों को मानना होगा। किसी एक का इनकार सारे सहीफ़ों और किताबों का इनकार है। इसलिए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि क़ुरआन मजीद अल्लाह का कलाम (वाणी) है। यह हिदायत के सिलसिले की आख़िरी किताब और आख़िरी हिदायत है। मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह॰) ने इस नुक़्ते (बिन्दु) को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

"नुबूवत (पैग़म्बरी) से पहले की पूरी चालीस साला ज़िन्दगी में मुहम्मद (सल्ल॰) ने कोई ऐसी तालीम व तरबियत (शिक्षय-प्रशिक्षण) नहीं पाई, जिससे आप (सल्ल॰) को वे मालूमात हासिल होतीं जिनके चश्मे (स्रोत) यकायक पैग़म्बरी के दावे के साथ ही आप (सल्ल॰) की ज़बान से फूटने शुरू हो गए। इससे पहले कभी आप (सल्ल॰) उन मसाइल (समस्याओं) से दिलचस्पी लेते हुए, उन बहसों में गुफ़्तगू करते हुए और उन ख़यालात (विचारों) का इज़हार (प्रकटन) करते हुए नहीं देखे गए, जो अब क़ुरआन मजीद की उन लगातार सूरतों में ज़ेरे-बहस आए थे। हद यह है कि उन पूरे चालीस साल के बीच में कभी आप (सल्ल॰) के किसी गहरे दोस्त और बहुत नज़दीकी रिश्तेदार ने भी आप (सल्ल॰) की बातों और आप (सल्ल॰) की गतिविधियों में कोई चीज़ ऐसी महसूस नहीं कि जिसे उस सबसे बड़ी महान

पैग़ाम की भूमिका कहा जा सकता हो जो आप (सल्ल.) ने अचानक चालीस साल को पहुँचकर देना शुरू कर दिया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि क़ुरआन मजीद आप (सल्ल.) के अपने दिमाग़ की पैदावार नहीं है, बल्कि परोक्ष से आपके अन्दर आई हुई चीज़ है।"

(सीरत सरवरे-आलम, भाग-1, पृष्ठ-94)

एक और पहलू से सोच-विचार करें कि इनसानी ज़िन्दगी के वुजूद, सुरक्षा और बाक़ी रहने के लिए सूरज, चाँद, हवा और पानी, जंगल और पहाड़ वग़ैरा सब बहुत ज़रूरी थे। इनसान के बस में नहीं था कि वह इन सभी चीज़ों को वुजूद में लाए और अपने लिए हितकारी भी बनाए। अल्लाह की देन और अपार कृपा है कि उसने बग़ैर माँगे इनसान को ये अनमोल नेमतें प्रदान कीं। अल्लाह की दी हुई अक़्ल, हिक्मत और सूझ-बूझ से काम लेकर इनसान ने उसकी इन बड़ी-बड़ी नेमतों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, इन्हें अपना ख़ादिम (सेवक) बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक खोजबीन कीं, इनके ज़ाब्तों को जानकर अपने लिए लाभदायक बनाया।

इसी तरह मार्गदर्शन और रहनुमाई अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत और इनसान की ज़रूरतों में सबसे बड़ी ज़रूरत है। इनसान सूरज, चाँद, हवा, रौशनी, ऊर्जा और पानी का बनानेवाला या पैदा करनेवाला नहीं। इसी तरह इनसान इस बात में भी असमर्थ है कि वह इनसानों के लिए रहनुमाई और मार्ग-दर्शन के नियम बना सके। जिस तरह इनसानी ज़िन्दगी के वुजूद, सुरक्षा, पायदारी और उन्नति के लिए इससे बेहतर इन्तिज़ाम सोचा नहीं जा सकता था जो ईश्वर ने किया है, इसी तरह मार्गदर्शन और रहनुमाई भी ईश्वर ही की तरफ़ से हो सकती थी। चुनांचे उसने इसका प्रबन्ध पैग़म्बरों का सिलसिला जारी करके और उनके ऊपर किताबों को उतार करके किया। इससे बेहतर और व्यापक कोई इन्तिज़ाम हो नहीं सकता था। सिर्फ़ पैग़म्बर आते या सिर्फ़ किताबें दी जातीं तो यह इन्तिज़ाम नाकाफ़ी था। ज़रूरत इस बात की थी कि ईश्वर इनसान की आर्थिक और भौतिक ज़रूरत भी पूरी करे और रूहानी और नैतिक ज़रूरत भी। चुनाँचे अल्लाह

तआला ने दोनों का बेहतरीन इन्तिज़ाम किया। उसकी रहमत, पालनहार होने और इनसाफ़ व हिकमत से यह दूर की बात थी कि वह इनसान को अपना उत्तराधिकारी और ख़लीफ़ा बनाए, उसे परीक्षा के लिए आज़ादी और अधिकार देकर ज़मीन पर बसाए, बेहतरीन नेमतें प्रदान करे। जीवन का सीमित समय गुज़ारने के बाद मौत के बाद अपने सामने हाज़िर होने का मौक़ा दे, फिर उसका हिसाब ले और कामयाबी या नाकामी (सफलता-असफलता) के फ़ैसले जारी करे, लेकिन दुनियावी ज़िन्दगी के लिए उसे वह मार्गदर्शन और रहनुमाई न दे कि वह आख़िरत (परलोक) के इम्तिहान की तैयारी कर सके। ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला दयावान और कृपाशील, इनसाफ़ करनेवाला और बेपनाह हिकमत का मालिक है। वह ऐसा नहीं कर सकता कि इनसान को सही रास्ता बताने का इन्तिज़ाम न करे। चुनाँचे उसने पैग़म्बरों को भेजा और उनपर किताबों को उतारा। पैग़म्बरों में किसी ने यह दावा नहीं किया कि वे किताब अपनी तरफ़ से पेश कर रहे हैं, बल्कि हर एक ने उसे ईश्वर की किताब ही बताया। इसी निरन्तरता में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के आख़िरी पैग़म्बर हैं और उनपर क़ुरआन मजीद का उतरना एक बड़ी सच्चाई है।

अब पोज़ीशन यह है कि यहूदी तौरात को अल्लाह की तरफ़ से उतरनेवाली किताब मानते हैं, लेकिन क़ुरआन मजीद को ख़ुदा का कलाम नहीं मानते। ईसाई इनजील को अल्लाह की तरफ़ से उतारी गई किताब मानते हैं, लेकिन क़ुरआन मजीद को उसका कलाम नहीं मानते। मुसलमान तौरात, इनजील और क़ुरआन मजीद को अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल की गई किताबें मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि तौरात और इनजील का अस्ल मतन (मूल) गुम है, सिर्फ़ अनुवाद ही रह गए हैं। तब्दीली और मिलावट इस अधिकता से हुई हैं कि ईश्वर का सुरक्षित कलाम कहलाने का हक़ वे खो चुके हैं। सबसे बढ़कर सच्चाई यह है कि अल्लाह का कलाम इनसान के लिए सरासर हिदायत और रहनुमाई है। सांसारिक सफलता और पारलौकिक मोक्ष (नजात) का रास्ता दिखाता है। यह मक़सद उन परिवर्तन-युक्त किताबों से हासिल नहीं हो सकता। सिर्फ़ क़ुरआन मजीद ही से यह मक़सद हासिल हो

सकता है।

यह बात और अधिक स्पष्ट मौलाना मौदूदी (रह०) के एक उद्धरण से होती है। वे लिखते हैं—

"यह कलाम जो पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) पर उतरा है, यह ख़ुदा ही का कलाम है। इस सच्चाई को साबित करने के लिए चार बातें गवाही (साक्ष्य) के तौर पर पेश की गई हैं—

एक, यह कि यह किताब बड़ी ख़ैर व बरकतवाली है, यानी इसमें इनसान की कामयाबी और तरक़्क़ी के लिए बेहतरीन उसूल पेश किए गए हैं। सही सच्चे अक़ीदों की तालीम है, भलाइयों पर उभारा गया है, बेहतरीन अख़लाक़ की नसीहत है, पाकीज़ा ज़िन्दगी गुज़ारने की हिदायत है और फिर यह कि जिहालत, ख़ुदगर्ज़ी, तंगनज़री, ज़ुल्म, अश्लीलता और दूसरी उन बुराइयों से जिनका अंबार तुम लोगों ने मुक़द्दस किताबों के संग्रह में भर रखा है, बिलकुल पाक है।

दूसरे, यह कि इससे पहले ख़ुदा की तरफ़ से जो मार्गदर्शन आए थे, यह किताब उनसे अलग हटकर कोई भिन्न (पृथक) हिदायत पेश नहीं करती, बल्कि उसी चीज़ की पुष्टि और समर्थन करती है, जो उनमें पेश की गई थी।

तीसरे, यह कि यह किताब उसी मक़सद के लिए उतरी है जो हर ज़माने में अल्लाह की तरफ़ से किताबों के उतारने का मक़सद रहा है, यानी ग़फ़लत में पड़े हुए लोगों को चौंकाना और टेढ़पन के बुरे अंजाम से ख़बरदार करना।

चौथे, यह कि इस किताब के सन्देश ने इनसानों के गरोह में से उन लोगों को नहीं समेटा जो दुनिया-परस्त और मन की इच्छाओं के बन्दे हैं, बल्कि ऐसे लोगों को अपने गिर्द जमा किया है जिनकी जीवन-दृष्टि दुनिया की तंग सरहदों से आगे तक जाती है और फिर इस किताब से प्रभावित होकर जो क्रान्ति उनकी ज़िन्दगी में पैदा हुई है, उसकी सबसे नुमायाँ अलामत यह है कि वह इनसानों के बीच अपनी ख़ुदा-परस्ती के एतिबार से नुमायाँ और पृथक हैं। क्या ये विशेषताएँ और ये नतीजे किसी ऐसी किताब के हो सकते हैं जिसे किसी झूठे इनसान ने गढ़ लिया हो, जो अपनी लिखी हुई किताब को ईश्वर की किताब कहकर एक इन्तिहाई मुजरिमाना दुस्साहस

कर गुज़रे।" (तफ़हीमुल-क़ुरआन, भाग-1, पृष्ठ-564, 565)

अब हमें यह देखना चाहिए कि क़ुरआन मजीद में ख़ुद अपने बारे में क्या बात कही गई है? क़ुरआन मजीद की निम्नलिखित आयतों पर विचार करें–

> "यह किताब निस्सन्देह सारे जहान के पालनहार रब की तरफ़ से अवतरित हुई है।" (क़ुरआन, सूरा-32 सजदा, आयत-2)
>
> "यह किताब ज़मीन और आसमान के पैदा करनेवाले की अवतरित की हुई है।" (क़ुरआन, सूरा-20 ता-हा, आयत-14)
>
> "और ऐ नबी! निस्सन्देह तुम यह क़ुरआन एक हकीम (हिकमतवाली) व अलीम (ज्ञानवाली) हस्ती की तरफ़ से पा रहे हो।" (क़ुरआन, सूरा-27 नम्ल, आयत-6)
>
> "क्या ये लोग क़ुरआन पर विचार नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की ओर से होता तो इसमें बहुत कुछ बेमेल बयान पाया जाता।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-82)

क़ुरआन मजीद में बार-बार यह सच्चाई बयान की गई है कि क़ुरआन मजीद अल्लाह तआला का कलाम (वाणी) है। एक अहम दलील इस बात की कि क़ुरआन मजीद अल्लाह का कलाम है, ख़ुद क़ुरआन मजीद में दिया गया चैलेंज है, जिसका जवाब आज तक नहीं दिया जा सका और आइन्दा भी दिया न जा सकेगा। अल्लाह तआला का फ़रमान है–

> "कह दो कि अगर इनसान और जिन्न सब-के-सब मिलकर इस क़ुरआन मजीद जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वे सब एक-दूसरे के मददगार ही क्यों न हों।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-88)

क़ुरआन मजीद में यह चैलेंज दिया गया कि इसके ख़ुदाई कलाम होने का इनकार करनेवाले इसी शान का एक कलाम बना लाएँ (सूरा-52 तूर, आयतें-33, 34)। फिर कहा गया कि दस सूरतें बना लाएँ। अन्त में कहा गया कि इस जैसी एक सूरा ही लिखकर ले आओ और एक ख़ुदा को छोड़कर जिस-जिसको बुला सकते हो, मदद के लिए बुला लो।

(देखें, सूरा-10 यूनुस, आयतें-37, 38)

जब पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) अपने साथियों (रज़ि॰) के साथ मदीना हिजरत करके आ गए तो यह चैलेंज मदीना में भी दिया गया। कहा गया—

> "और अगर तुम्हें इस बात में शक है कि यह किताब जो हमने अपने बन्दे पर उतारी है, यह हमारी है या नहीं तो इसके समान एक ही सूरा बना लाओ, अपने सारे हिमायतियों को बुला लो, एक ईश्वर को छोड़कर बाक़ी जिस जिसकी चाहो मदद ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-23)

इस चैलेंज का जवाब उस ज़माने में मक्का और अरब के बड़े-बड़े शायरों, अदीबों (साहित्यकारों) और अरबी ज़बान के माहिर लोग भी नहीं दे सके। रहती दुनिया तक यह चैलेंज बाक़ी है। ग़ौर फ़रमाएँ कि क़ुरआन मजीद अल्लाह का कलाम है। इसको ग़लत साबित करने के लिए असहमत लोगों को बस इतना ही करना होगा कि एक छोटी-सी सूरा इसके जैसी बनाकर क़ुरआन मजीद के खुले चैलेंज का जवाब दें, लेकिन आज तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका और न क़ियामत तक किसी को कामयाबी हासिल हो सकती है।

क़ुरआन मजीद में विषयों की अनेकता व प्रकार, उनकी व्यापकता और हमागीरी भी इसके अल्लाह का कलाम होने की एक अहम दलील है। इस सिलसिले में डॉक्टर रज़ीयुल-इस्लाम नदवी लिखते हैं—

"क़ुरआन में जिन-जिन विषयों पर वार्ता की गई है उनकी घेराबन्दी करना किसी इनसान के बस की बात नहीं। यह भी दलील है इस बात की कि यह किसी इनसान का कलाम नहीं हो सकता। यह कायनात क्यों बनाई गई है? इनसान का मक़ाम क्या है और उससे कौन-सा रवैया मतलूब (वांछित) है? वह अपनी मन की इच्छाओं, इरादों और कर्मों का मालिक और मुख़्तार (स्वतंत्र) है या किसी के सामने जवाबदेह है? अगर जवाबदेह है तो किसके सामने? इन सवालों के क़ुरआन मजीद में बहुत तफ़सीली और वाज़ेह (स्पष्ट) जवाब दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि इस कायनात को एक हस्ती ने मंसूबाबन्द तरीक़े से अस्तित्व (वुजूद) प्रदान किया है और

उसमें इनसान को आज़माइश के लिए भेजा है कि वह इसमें अपने और इस पूरी कायनात के स्रष्टा और मालिक के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलता है या ग़लत रास्तों पर जा पड़ता है। सीधा रास्ता क्या है? और ग़लत रास्ते कौन-कौन से हैं? इसे भी बहुत खोल-खोलकर बयान कर दिया गया है। इस पर कायनात के विभिन्न दृश्यों और ख़ुद इनसान के अपने वुजूद और पूरे मानवीय-इतिहास से प्रमाण और दलीलें मुहैया की गई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि पिछले ज़मानों में इनसान किस-किस तरह ग़लत रास्तों पर चलता रहा और किन संसाधनों से उसकी सही रास्ते की तरफ़ रहनुमाई की जाती रही है? इसी तरह इसमें इस विषय पर भी बहुत विस्तार से रौशनी डाली गई है कि सही रास्ते को अपना लेनेवालों और ग़लत रास्तों पर चलनेवालों पर इस दुनिया में क्या असरात पड़े और उनके क्या नतीजे सामने आए हैं? इस दुनिया के मिट जाने के बाद जब एक दूसरी दुनिया वुजूद में आएगी, उसमें उनके साथ क्या मामला होनेवाला है? इन विषयों पर और इन जैसे दूसरे और बहुत-से विषयों पर क़ुरआन मजीद में बहुत वाज़ेह और क़तई अन्दाज़ में बात की गई है। जो मालूमात पेश की गई हैं, वे महज़ अटकलों, अनुमानों, अन्दाज़ों और गुमान पर आधारित नहीं हैं, बल्कि साफ़ महसूस होता है कि इन्हें पेश करनेवाला क़तई और यक़ीनी इल्म रखता है। भूतकाल पर भी उसकी नज़र है और भविष्यकाल भी पूरी तरह उसपर साफ़ स्पष्ट है।" (हक़ाइक़े-इस्लाम बाज़ एतिराज़ात का जाइज़ा, पृष्ठ-39, 40)

क़ुरआन मजीद के अल्लाह का कलाम होने पर एक और दलील डॉक्टर साहब इन शब्दों में देते हैं—

"कायनात के विभिन्न दृश्यों के बारे में क़ुरआन मजीद ने चौदह सौ साल पहले जो बयानात दिए थे उनकी सार्थकता और सच्चाई ज़माना गुज़र जाने के साथ सामने आ रही है। उस वक़्त के इनसान के इल्म की पहुँच इतनी थी ही नहीं कि उसमें विस्तारपूर्वक और गहरी सूझ-बूझ पैदा कर सके। आसमानों और ज़मीन की रचना, पहाड़ों की बनावट, हवाओं, बादलों और बारिश के दृश्यों और इनसानों की पैदाइश के सिलसिले में जो बयानात क़ुरआन मजीद में वर्णित हैं, आज से चौदह सौ साल पहले का कोई इनसान

इतने सही तौर प्रमाणिक और बारीकी के साथ इन्हें पेश नहीं कर सकता था। ये बयानात गवाह हैं कि इन्हें पेश करनेवाली वह हस्ती है जो इन सच्चाइयों (यथार्थों) का सीधे तौर पर इल्म रखती है और उसके लिए समय और जगह की क़ैद बेमानी (निरर्थक) है।" (हवाला पूर्व, पृष्ठ-41)

2. क़ुरआन तमाम इनसानों के लिए है

क़ुरआन मजीद सारे इनसानों के लिए हिदायत और मार्गदर्शन की किताब है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। यह बात सिर्फ़ कोई दावा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अहम हक़ीक़त है।

अल्लाह तआला ने इनसान की भौतिक, फ़ितरी और जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ़ से बेहतरीन इन्तिज़ाम करके उसको सबके लिए आम कर दिया। सूरज, चाँद, हवा, पानी, ज़मीन और आसमान तथा दिन और रात का इन्तिज़ाम सबके लिए है। किसी इनसानी गरोह, देश और क़ौम व नस्ल का इनपर एकाधिकार नहीं है, क्योंकि इनसानी ज़िन्दगी के बाक़ी रहने और हिफ़ाज़त के लिए ये संसाधन बहुत ही ज़रूरी हैं। कोई इनसान यह नहीं कह सकता कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इनसे कुछ भी लेना-देना नहीं है। इनसान यह भी नहीं देखता कि इन संसाधनों से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। वह यह नहीं सोचता कि दूसरे इनसान इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए मैं क्यों फ़ायदा उठाऊँ, क्योंकि वह दूसरों की वजह से इन संसाधनों को छोड़ना चाहेगा तो अस्ल में यह आत्महत्या की राह होगी। इसी तरह अल्लाह तआला ने इनसान की अख़्लाक़ी और रूहानी ज़रूरतों को पूरा करने का भी बेहतरीन इन्तिज़ाम फ़रमाया। इसको भी तमाम इनसानों के लिए आम कर दिया। यह इन्तिज़ाम ख़ुदाई वह्य (ईश-प्रकाशना), पैग़म्बर और हिदायत (मार्गदर्शन) की किताब पर सम्मिलित है। आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हैं और आख़िरी किताब क़ुरआन मजीद है। इस पूरे इन्तिज़ाम को तमाम इनसानों के लिए रंग, नस्ल और ज़बान के भेदभाव के बग़ैर और क्षेत्रीय पक्षपात के बग़ैर आम कर दिया गया है, क्योंकि यह इन्तिज़ाम इनसान की सभी ज़रूरतों में से सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत को पूरा करता है। ख़ुदाई हिदायत पर किसी व्यक्ति, गरोह, ख़ानदान,

क़ौम और नस्ल का एकाधिकार नहीं है। कोई इनसान यह नहीं कह सकता था कि मुझे हिदायत और ख़ुदाई रहनुमाई की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब यह होगा कि वह अपनी दुनियावी ज़िन्दगी की कामयाबी, अम्न व सलामती और तामीर व तरक़्क़ी में बिलकुल दिलचस्पी नहीं रखता। इतना ही नहीं, बल्कि आख़िरत की हमेशा रहनेवाली ज़िन्दगी में नजात हासिल करने यानी अज़ाब (यातना) से बचने की ज़रूरत महसूस नहीं करता है। जब आप क़ुरआन मजीद का गहन अध्ययन करेंगे तो इस अहम हक़ीक़त को विस्तार से समझ सकेंगे। क़ुरआन मजीद की हिदायत और शिक्षाओं के द्वारा इन उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह मानो क़ुरआन मजीद हर इनसान की ज़िन्दगी के लिए ख़ुदा का दिया हुआ ज़ाब्ता (नियम) है।

इस संक्षिप्त बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि क़ुरआन मजीद सबके लिए है। चुनाँचे क़ुरआन मजीद दुनिया के हर इनसान को बिना पक्षपात और भेदभाव के बग़ैर सम्बोधित (मुख़ातब) करता है। क़ुरआन मजीद पिछली किताबों का मुख़ालिफ़ (विरोधी) नहीं है, बल्कि परिवर्तित और निरस्त किताबों की गुमशुदा सच्चाइयों, शिक्षाओं और अस्ल रहनुमाई को व्यापक अन्दाज़ में सुरक्षित करके पेश करता है। इसका मतलब यह है कि पिछली तमाम किताबों के माननेवालों और अनुयाइयों से भी क़ुरआन मजीद अपना रिश्ता क़ायम करता है और उन्हें भूला हुआ सबक़ याद दिलाता है। क़ुरआन मजीद का यह संबोधित करने का अन्दाज़ देखिए—

> "ऐ इनसान! तुझे किस चीज़ ने अपने उदार रब के बारे में धोखे में डाल रखा है।" (क़ुरआन, सूरा-82 इनफ़ितार, आयत-6)
>
> "ऐ लोगो! तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-21)
>
> "बड़ी बरकतवाला है वह अल्लाह जिसने हक़ व बातिल (सत्य-असत्य) को पूरी तरह वाज़ेह (स्पष्ट) कर देनेवाला क़ुरआन मजीद अपने बन्दे (मुहम्मद सल्ल॰) पर उतारा है, ताकि वह सारे जहान को ख़बरदार करे।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-1)

इसका एक अहम पहलू यह है कि क़ुरआन मजीद की हिदायत, पैग़ाम और शिक्षाएँ इनसान की फ़ितरत और उसके मुतालबात (माँगों) से पूरी तरह मेल खाती है। दूसरे शब्दों में क़ुरआन मजीद की कोई तालीम इनसान की फ़ितरत के ख़िलाफ़ नहीं। इनसान की फ़ितरत के तक़ाज़ों का जवाब पूरा क़ुरआन मजीद है। इनसान की फ़ितरत अगर बिगड़ी हुई नहीं है तो वह क़ुरआन मजीद के अध्ययन करने के बाद इस हक़ीक़त को जान लेगा। अपनी फ़ितरत के मुतालबे को ठुकराकर इनसान न सिर्फ़ यह कि हक़ (सत्य) जैसी महान और क़ीमती नेमत से अपने आपको महरूम (वंचित) कर लेता है, बल्कि अपने पैदाइशी दुश्मन शैतान के जाल में फँसकर गुमराह होने से अपने आपको बचा नहीं पाता। मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही (रह॰) लिखते हैं–

"क़ुरआनी शिक्षाओं का स्वभाव सर्वव्यापी और इनसानों में एक समान है। इनपर किसी ख़ास ज़माने की मख़सूस ज़रूरतों या किसी ख़ास क़ौम के मख़सूस गरोही तक़ाज़ों की छाप नहीं है। वह किसी क़ौम या नस्ल को अपने सामने नहीं रखती, बल्कि सिर्फ़ इनसान और इनसानी फ़ितरत को सामने रखती है, इसलिए वह हर ज़माने, हर क़ौम, हर नस्ल और हर क्षेत्र के लोगों के लिए समान रूप से उपयुक्त और अनुकूल है। क़ुरआन मजीद का यही प्रमुख गुण है, जिसकी बिना पर उसने अपने लाए हुए दीन को फ़ितरी दीन कहा है।" (क़ुरआन मजीद : एक परिचय, पृष्ठ-43)

3. क़ुरआन सुरक्षित ख़ुदाई कलाम है

क़ुरआन तमाम इनसानों की हिदायत के लिए अल्लाह तआला की आख़िरी किताब है। इसलिए कि इसका अवतरण पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर हुआ जो अल्लाह के आख़िरी पैग़म्बर हैं। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के आने की भविष्यवाणियाँ बहुत-सी धार्मिक किताबों में पाई जाती हैं। आख़िरी पैग़म्बर पर उतारी जानेवाली किताब (यानी क़ुरआन मजीद) आख़िरी किताब की हैसियत रखती है। पिछले पैग़म्बरों पर उतारी जानेवाली किताबों का एक सरसरी जाइज़ा यह बताने के लिए काफ़ी है कि उनके बहुत-से आदेश अपनी क़ौमों और ज़माने के लिए ही ख़ास थे। अगर ऐसा न होता और वे सुरक्षित हालत में बाक़ी होतीं तो इनसानों की हिदायत और रहनुमाई के काम

आ सकती थीं, लेकिन उन किताबों में परिवर्तनों, तब्दीलियों और इनसानी बातों की मिलावट ने ईश्वरीय मार्गदर्शन और रहनुमाई को पूरी तरह गुम कर दिया। इतना ही नहीं, जिन पैग़म्बरों पर ये किताबें उतारी गईं थीं, उनकी सीरत (जीवनी) भी सुरक्षित न रह सकी। इसका साफ़ मतलब यही है कि ये किताबें एक ख़ास ज़माने और क़ौमों के लिए ही थीं। अब देखिए कि क़ुरआन मजीद किस तरह सुरक्षित है? मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही (रह०) लिखते हैं–

(i) "किसी (ईश्वरीय) किताब के सुरक्षित होने का मतलब यह है कि उसके शब्द-शब्द बिलकुल वही हों जो ईश्वर की तरफ़ से उतारे गए थे।

(ii) उन शब्दों में आपसी जोड़ व तरतीब और उनसे बने हुए जुमलों और फ़िक़रों का सिलसिला भी ठीक वही हो जिसे इस किताब के लानेवाले पैग़म्बर ने अल्लाह तआला की तरफ़ से पेश किया था।

(iii) उसमें से खुदा की कोई एक बात भी विनष्ट नहीं हुई हो, न इस तरह कि वह बिलकुल ग़ायब हो गई हो, न इस तरह कि उसको हटाकर उसकी जगह कोई और शब्द रख दिया गया हो।

(iv) इसमें कोई एक शब्द भी बढ़ाया नहीं गया हो, यहाँ तक कि इसके लाने वाले पैग़म्बर का अपना भी कोई शब्द इसके अन्दर दाख़िल नहीं हुआ हो।

इन बातों में से अगर कोई एक भी ख़त्म हो जाए तो फिर किताब को सही मानी में सुरक्षित हरगिज़ न कहा जाएगा।"

(क़ुरआन मजीद का तआरुफ़, पृष्ठ-71, 72)

क़ुरआन की सुरक्षा का ग़ैर-मामूली और बे-मिसाल प्रबन्ध किया गया। इतिहास में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की ज़िन्दगी ही में क़ुरआन मजीद के जमा करने का काम (Compilation) पूरा हो गया था। क़ुरआन की सुरक्षा के सिलसिले में सहाबा (रज़ि०) का रोल भुला देने के क़ाबिल नहीं है। इस सिलसिले में कुछ उसूली बातों पर सोच-विचार करें–

(1) क़ुरआन को याद करने और किताब के रूप में जमा करने के सिलसिले

में रिवायतें और घटनाएँ मौजूद हैं। इनकी जाँच करने से यह नतीजा निकलता है कि ये सब प्रमाणित हैं। इतिहास के रिकार्ड और रौशनी में हम तक पहुँचे हैं, इनमें कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है और महज़ क़िस्से-कहानी की नौईयत की नहीं है, बल्कि प्रमाणित और सुरक्षित ऐतिहासिक रिवायतें हैं। महज़ अक़ीदत (आस्था) पर आधारित दास्तानें नहीं हैं। यह बात पूरे यक़ीन के साथ कही जा सकती है और मानी जाने के क़ाबिल है कि जो क़ुरआन मजीद आज किसी मक्तबे या बुक सेलर्स से आप हासिल करते हैं वह वही किताब है जो आज से पन्द्रह सौ साल पहले पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतरी थी।

(2) क़ुरआन का मूल (मतन, Original Text) सुरक्षित है। अरबी ज़बान, जिसमें क़ुरआन मजीद उतरा, लगभग पन्द्रह सौ साल बाद आज भी एक जीवित और अन्तर्राष्ट्रीय ज़बान (भाषा) है। क़ुरआन के मूल की सुरक्षा के सिलसिले में जो प्रबन्ध पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) ने किया और सहाबा (रज़ि॰) ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया, उसकी तफ़सील आगे आएगी।

(3) दुनिया में किसी भी देश के एक गाँव से क़ुरआन का एक नुस्ख़ा लें, फिर किसी दूरदराज़ देश के बड़े शहर से क़ुरआन मजीद का कोई नुस्ख़ा लेकर तुलना करें तो दोनों एक समान होंगे, मूल में कोई फ़र्क़ नहीं होगा, यानी पूरी दुनिया में क़ुरआन मजीद का एक ही मूल (Version) है, जिसको सब मानते हैं। किसी भी मुस्लिम जमाअत, मसलक या मकतबे-फ़िक्र का अलग कोई क़ुरआन नहीं है, जिसको वे अकेले मानते हों और बाक़ी मुसलमान उसे न मानते हों। क़ुरआन मजीद के मूल की किताबत का प्रबन्ध पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) ने आरंभ से किया। वह्य (प्रकाशना) उतरने के तुरन्त बाद ही वह्य को लिखने का प्रबन्ध और एहतिमाम किया गया। वह्य की किताबत के लिए बयालीस (42) सहाबा (रज़ि॰) को ज़िम्मेदारी दी गई थी। उन सहाबा (रज़ि॰) के नाम रिकार्ड में लिखे हुए हैं। सफ़र हो या क़ियाम हर हालत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर जैसे ही वह्य (प्रकाशना) उतरती, कातिबों (लिखनेवालों) में से किसी को बुलाकर उसको लिखवाते। अकसर सफ़र में लिखनेवाले

साथ होते। इसमें एहतियात का पहलू देखिए। वह्य की किताबत को काफ़ी नहीं समझा जाता, बल्कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पढ़वाकर सुन लेते। अगर कोई सुधार के क़ाबिल बात होती तो सुधार करा देते। उसके बाद आम मुसलमानों में उसका एलान करा दिया जाता।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की बातों और अमल को हदीस कहा जाता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की ज़िन्दगी में क़ुरआन मजीद को लिखने का काम पूरा हो चुका था।

सहाबा (रज़ि॰) की अच्छी-ख़ासी तादाद ऐसी भी थी जो क़ुरआन मजीद को अपने लिए लिखकर सुरक्षित कर लेते और क़ुरआन मजीद की तिलावत के वक़्त उससे मदद लेते थे।

मूल में क़ुरआन की सुरक्षा का एक अजीब व ग़रीब प्रबन्ध इसको हिफ़्ज़ (कंठस्थ) करना था। उस ज़माने में अरबों की स्मरण-शक्ति (हाफ़िज़ा) मशहूर थी। चुनांचे वे अपने घोड़ों और ऊँटों के नसब तक याद रखते थे। बड़ी-बड़ी नज़्में (क़सीदे) चाहे वे कई सौ या हज़ार अशआर (शेरों) पर सम्मिलित हों, ज़बानी याद कर लेते। इसके लिए बस कुछ बार सुन लेना ही काफ़ी होता था। सहाबा (रज़ि॰) को क़ुरआन मजीद याद करने का बड़ा शौक़ था। नमाज़ में क़ुरआन मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ा जाता है, इसलिए भी क़ुरआन मजीद की सूरा याद करना ज़रूरी था। इसलिए क़ुरआन मजीद का बड़ा हिस्सा याद कर लेना कुछ मुश्किल न था। पूरा क़ुरआन मजीद याद कर लेनेवाले सहाबा (रज़ि॰) की तादाद भी बहुत थी। मस्जिदे-नबवी के सामने एक चबूतरे पर अस्सी या कुछ ज़्यादा सहाबा (रज़ि॰) रहा करते थे। उनका सबसे अहम काम क़ुरआन मजीद सीखना और सिखाना ही था। ग़रज़ यह कि सहाबा (रज़ि॰) की बड़ी तादाद क़ुरआन मजीद की हाफ़िज़ थी। यह बात इतिहास के रिकार्ड पर है कि मदीना के आसपास की बस्तियों में इस्लाम क़बूल करनेवालों की तालीम और तरबियत के लिए माहिर और ऐसे मुसलमानों को भेजा जाता जिन्हें क़ुरआन कंठस्थ (ज़बानी याद) था। उनकी तादाद कुछ मौक़ों पर सत्तर (70) तक हुआ करती थी। एक जंग (यमामा की लड़ाई) में सात सौ की तादाद में ऐसे मुसलमान शहीद हुए थे, जिन्हें

क़ुरआन मजीद मुकम्मल कंठस्थ था।

हज़रत अबू-बक्र (रज़ि॰) के ज़माने में एक जिल्द में तरतीब दिए गए क़ुरआन मजीद के सरकारी नुस्ख़े (Official Copy) से तीसरे ख़लीफ़ा हज़रत उसमान (रज़ि॰) ने सात नक़लें करवाईं और उस दौर के इस्लामी शासन के अहम केन्द्रों पर भिजवाईं। आज भी उनमें से चार नुस्ख़े (कापियाँ) पाए जाते हैं। वे स्थान जहाँ ये कापियाँ (नुस्ख़े) मौजूद हैं—

1. ताशक़न्द, 2. इस्तम्बोल, 3. दमिश्क़ (शाम), 4. क़ाहिरा (मिस्र)

ग़रज़ यह कि क़ुरआन मजीद के मतन (मूल) में कोई इनसानी शब्द या कलाम मिलाया नहीं गया, न क़ुरआन मजीद में से कोई चीज़ कम की गई है। वह जैसा और जिस तरह अल्लाह के अन्तिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतारा गया था, आज भी वैसा ही मौजूद है।

क़ुरआन मजीद की सुरक्षा का एक इन्तिज़ाम यह भी है कि रमज़ान के महीने में हर साल मस्जिदों में 'तरावीह की नमाज़' में पूरा क़ुरआन मजीद पढ़ा जाता है। गाँव और शहर तक में क़ुरआन के हाफ़िज़ तरावीह की नमाज़ में थोड़ा-थोड़ा करके क़ुरआन मजीद की तिलावत करते हैं। रमज़ान की सत्ताईसवीं या उन्तीसवीं तारीख़ को क़ुरआन मजीद की तिलावत पूरी कर दी जाती है।

4. क़ुरआन में विरोधाभास नहीं है

किसी भी धार्मिक किताब (Holy Scripture) में विरोधाभास और तज़ादे-बयानी क़बूल करने योग्य नहीं। अगर वह सचमुच में ईश्वर का कलाम है तो इनसानों की कामयाबी और पारलौकिक नजात (मोक्ष) उसकी पैरवी पर निर्भर है। मतभेद और बयानों का विरोधाभास पाया जाना अस्ल में इनसानी कलाम की मिलावट का नतीजा होता है। दुनियावी कामयाबी और आख़िरतवाली नजात जैसे अहम और बुनियादी मसले के ताल्लुक़ से अगर बयानी विरोधाभास मौजूद हो तो इनसान क्या क़बूल करे और किस बात का इनकार करे? यह क़बूल या इनकार किस दलील और कसौटी की बुनियाद पर होगा? दलील और कसौटी का फ़ैसला करने का अधिकार किसका होगा? दो या उससे अधिक इख़्तिलाफ़ी और विरोधाभासी बातों में

एक ही वक़्त सब सही नहीं हो सकतीं, इनमें से कोई एक बात ही सही होगी। इसलिए धार्मिक किताबों को इख़्तिलाफ़ और बयानी विरोधाभास से मुक्त होना चाहिए, वरना ख़ुदाई हिदायत (ईश-मार्गदर्शन) और रहनुमाई सन्देह-युक्त होकर रह जाएगी। इनसान परिवर्तन की गई किताबों से हिदायत हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसके भटक जाने का ख़तरा होगा। धार्मिक किताबों का सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन हर इनसान के लिए हक़ (सत्य) की तलाश ज़रूरी है।

जहाँ तक क़ुरआन मजीद का मामला है, वह शुरू से आख़िर तक मतभेद, इख़्तिलाफ़ और बयानों के विरोधाभास से ख़ाली है। क़ुरआन मजीद के बारे में पीछे यह बात आ चुकी है कि तेईस बरसों में थोड़ा-थोड़ा करके वह पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर अल्लाह की तरफ़ से उतरा। इतनी लम्बी अवधि के बावजूद उसमें शुरू में कही गई बातों और बाद की बातों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं पाया जाता। क़ुरआन मजीद की कोई बात आज तक ग़लत साबित नहीं की जा सकी। इनसानी कलाम और लिखी गई किताबों में हम ऐसी कमज़ोरियों को पाते हैं। बेशक अपनी किताब के अगले एडीशन में आम तौर पर ग़लतियों की इस्लाह और सुधार करते हैं, लेकिन क़ुरआन मजीद ऐसी सभी कमज़ोरियों से पाक है। मिसाल के तौर पर इसमें सबसे बड़ी तालीम तौहीद (एकेश्वरवाद) की है। इसके बिलकुल साथ-साथ शिर्क (बहुदेववाद) का रद्द पुरज़ोर तरीक़े से किया गया है। क़ुरआन मजीद शिर्क के नुक़सानात बयान करता है और तौहीद के हक़ में बेहतरीन दलीलें शुरू से आख़िर तक देता है, लेकिन पूरे क़ुरआन मजीद में कहीं भी शिर्क के हक़ (पक्ष) में छोटी-सी भी बात नहीं। कहीं तौहीद का इनकार नहीं। यह एक मिसाल है। इसी तरह पैग़म्बरी और आख़िरत दीने-इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे (आस्थाएँ) हैं। इनके ताल्लुक़ से भी वही कैफ़ियत है। क़ुरआन मजीद की शिक्षाओं में आपस में कोई टकराव नहीं, कोई नाहमवारी नहीं, बल्कि पूरी-पूरी समानता और यकसानियत पाई जाती है। क़ुरआन मजीद अपने पैग़ाम, उसूलों और शिक्षाओं को निहायत वाज़ेह, साफ़ और भरपूर अन्दाज़ में बयान करता है। इसके बाद रौशन दलीलें (प्रमाण) अपने समर्थन

(ताईद) में पेश करके लोगों को क़बूल या इनकार करने की आज़ादी देता है। हक़ (सत्य) के इनकार के दुनियावी और पारलौकिक नतीजों से अलबत्ता बाख़बर ज़रूर करता है। क़ुरआन मजीद ने अपने बारे में इस प्रकार एलान किया है—

> "क्या ये लोग क़ुरआन मजीद पर ग़ौर नहीं करते? अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ़ से होता तो इसमें बहुत कुछ विभेद पाया जाता।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-82)

5. क़ुरआन पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) का लिखा हुआ नहीं है

पिछले पन्नों में दलीलों की रौशनी में यह बात पेश की गई है कि क़ुरआन मजीद अल्लाह तआला का कलाम और उसकी किताब है। कोई इनसान, बल्कि सारे इनसान मिलकर, किसी दूसरी मख़लूक़ (प्राणी) की मदद से भी इस क़ुरआन मजीद जैसा कलाम और किताब तैयार नहीं कर सकते। मुकम्मल (सम्पूर्ण) क़ुरआन मजीद तो बड़ी बात है, सिर्फ़ एक सूरा तैयार करने का चैलेंज लगभग पन्द्रह सौ बरस से दुनिया के सामने है, लेकिन दुनिया उसका जवाब देने में बिलकुल असमर्थ है। जब यह बात साबित हो गई कि क़ुरआन मजीद अल्लाह तआला का कलाम (वाणी) है तो अब यह पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की रचना कैसे हो सकती है। इसी लिए नबी (सल्ल॰) ने कभी यह नहीं कहा कि क़ुरआन मजीद के वे लेखक हैं, बल्कि हमेशा ख़ुदा के कलाम की हैसियत से पेश किया। आप (सल्ल॰) क़ुरआन मजीद के उतरने से पहले चालीस साल मक्का के बाशिन्दों के साथ गुज़ार चुके थे। मक्का के लोग जानते थे कि आप (सल्ल॰) को बचपन और जवानी में किसी के पास जाकर किसी से पढ़ने-लिखने और सीखने का मौक़ा नहीं मिला था। आप (सल्ल॰) ने बार-बार लोगों को यही बताया कि यह कलाम मेरा नहीं, बल्कि अल्लाह तआला का है। मैं तुम्हारे बीच अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुज़ार चुका हूँ। कभी इस तरह की बातें और शिक्षाएँ लोगों को नहीं बताईं। चालीस साल की उम्र में ख़ुदा की जानिब से वह्य (प्रकाशना) उतरने के बाद नबी (सल्ल॰) ने लोगों को अपनी पैग़म्बरी और ख़ुदाई तालीम व हिदायत से पहली बार आगाह (सूचित) किया। क़ुरआन मजीद में पिछले

नबियों, पैग़म्बरों (अलैहि०), उनकी क़ौमों के हालात और घटनाएँ तफ़सील से बताई गई हैं। कुछ साइंसी हक़ाइक़ (तथ्यों) का तज़करा (वर्णन) है, जिनकी खोजबीन पिछले दो-तीन सौ बरसों में मुमकिन हो सकी। आख़िर पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के पास पन्द्रह सौ बरस पहले इन मालूमात और जानकारियों का ज़रिआ क्या था? ज़ाहिर है कि किसी भी इनसान के लिए यह बात असंभव थी। मक्का रेगिस्तानी इलाक़ा था और इल्म (ज्ञान) और तहज़ीब के केन्द्रों से बहुत दूर था। सातवीं सदी में इन हक़ीक़तों (तथ्यों) के इल्म के लिए किसी इनसानी स्रोत की मौजूदगी का सवाल ही नहीं पैदा होगा।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) इतने अमानतदार और सच्चे इनसान थे कि बार-बार दुश्मनों ने गवाही दी कि आप (सल्ल०) से बढ़कर सच्चा और अमानतदार कोई भी नहीं। लोग अपनी अमानतें आप (सल्ल०) के पास ही रखवाते थे, ताकि सुरक्षित रहें। ऐसी हस्ती से वे कैसे आशा कर सकते थे कि किसी रचना (किताब) को झूठ बोलकर अल्लाह की तरफ़ मंसूब कर दे।

6. क़ुरआन पिछली किताबों की तसदीक़ (पुष्टि) करता है

अल्लाह तआला ने पहले ही दिन से इनसानों की हिदायत का पूरा-पूरा इन्तिज़ाम पैग़म्बरों व नबियों और किताबों व सहीफ़ों के ज़रिए से किया। क़ुरआन मजीद से पहले भी मुख़्तलिफ़ क़ौमों और ज़मानों के लिए पैग़म्बर भेजे गए और किताबों तथा सहीफ़ों को उतारा गया। उन तमाम किताबों और सहीफ़ों को ख़ुदाई कलाम और हिदायत का दर्जा हासिल था। उनकी बुनियादी शिक्षाओं और पैग़ाम में कोई फ़र्क़ नहीं पाया जाता था। ज़माना गुज़रने के साथ इनसानी कलाम की मिलावट ने उन किताबों और सहीफ़ों की असली तालीम को गुम कर दिया। सत्य और सच्चाई सन्देह-युक्त बन गई। उन किताबों और सहीफ़ों से अलग-अलग रास्तों की निशानदही होने लगी। अहम और बुनियादी चीज़ें, मसलन ईश्वर की कल्पना, उसकी सिफ़ात (गुण) और तक़ाज़े, ज़िन्दगी बाद मौत के बारे में मतभेद और विरोधाभास सामने आ गए। इससे वाज़ेह हो जाता है कि किसी ज़माने में वह ईश्वरीय वाणी पर सम्मिलित किताब और सहीफ़ा रहा होगा, लेकिन बदलाव और बिगाड़ के नतीजे में उसकी यह पोज़ीशन ख़त्म हो गई।

ज़रूरत थी कि इनसान ईश्वरीय मार्गदर्शन से महरूम (वंचित) न रहे। ऐसे नियम और शिक्षाएँ उसको प्रदान की जाएँ, जिनपर वह आसानी के साथ अमल कर सके, ज़िन्दगी के नए-नए मसलों और मामलों का हल भी उनकी रौशनी में निकाल सके, ईश्वर की हिदायत सबके लिए हो, सुरक्षित हो और सार्वभौमिक (Universal) हो। अतः क़ुरआन मजीद ऐसी ही किताब है। ख़ुदाई हिदायत का जो सिलसिला शुरू हुआ था अब आलमी और अन्तर्राष्ट्रीय हैसियत रखनेवाली किताब के आने के साथ मुकम्मल हुआ। ख़ुदाई हिदायत और रहनुमाई हासिल करनी है तो पिछली किताबों पर ईमान रखा जाएगा और उनकी पुष्टि की जाएगी। चुनाँचे क़ुरआन मजीद का यह एलान है कि वह पिछली आसमानी किताबों का प्रतिरोधी नहीं है, वह पिछली किताबों की सच्चाइयों और ख़ुदाई शिक्षाओं की पुष्टि करता है। इस तरह उनके साथ एक रिश्ता क़ायम कर देता है।

क़ुरआन मजीद ने पिछली किताबों की तमाम सच्चाइयों को अपने अन्दर सुरक्षित कर लिया है। इसलिए क़ुरआन मजीद को मानना पिछली किताबों को स्वीकार कर लेना है और उसका इनकार पिछली किताबों का भी इनकार है, क्योंकि सब किताबों का उद्‌गम और स्रोत ईश्वर की हस्ती है। मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही (रह०) इसपर इन शब्दों में रौशनी डालते हैं–

"दुनिया में अल्लाह तआला के जितने हिदायत-नामे आए हैं उनमें से कोई भी किसी का प्रतिपक्षी नहीं था, और चूँकि क़ुरआन मजीद भी उन्हीं में से एक है, इसलिए उसकी भी नौईयत और हैसियत कोई दूसरी नहीं हो सकती। यक़ीनी तौर पर वह भी दूसरी आसमानी किताबों का दोस्त और परस्पर एकता का समर्थक है। उनका प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंद्वी नहीं है, क्योंकि उसके उतारने का मक़सद ठीक वही है जो दूसरी किताबों का था और उसकी शिक्षाओं की बुनियादें और उसकी बातें भी वही हैं जो दूसरे किताबों की थी, और उसकी शिक्षाओं की बुनियादें और उसूली बातें भी वही हैं जो दूसरे हिदायत-नामों की रही हैं, इसलिए उनसे उसका ताल्लुक़ मतभेद और मुक़ाबले का नहीं, बल्कि परस्पर एकता और यकजहती (समन्वय) का है। आज जिन किताबों के आसमानी होने का दावा किया जाता है उनमें पाई

जानेवाली बुनियादी हिदायतें और शिक्षाएँ क़ुरआनी शिक्षाओं से बहुत कुछ मुख़्तलिफ़ (भिन्न) हैं, लेकिन इस सूरते-हाल का मतलब हरगिज़ यह नहीं है कि ये किताबें सचमुच में आसमानी भी हैं और साथ ही इनकी अस्ल तालीम भी यही थी कि जो इस वक़्त उनमें मौजूद है, बल्कि सच्ची बात यह है कि या तो ये किताबें आसमानी नहीं, या फिर इनकी अस्ल तालीम इनके अलम्बरदारों की अपनी ग़फ़लत, नाक़द्री और तब्दीली (परिवर्तन) की नज़र हो चुकी हैं। वरना यह किसी तरह संभव नहीं कि अल्लाह तआला की तरफ़ से कभी भी ऐसा हिदायत-नामा (मार्गदर्शक-पत्र) आया हो जिसकी उसूली शिक्षाएँ क़ुरआन मजीद से मेल न खाती हों।"

(क़ुरआन मजीद का तआरुफ़, पृष्ठ- 41, 42)

7. क़ुरआन ग़ौर व फ़िक्र (चिन्तन-मनन) की ओर बुलाता है

आज भी दुनिया में मज़हब (धर्म) के बारे में आम तौर पर ख़याल यह पाया जाता है कि यहाँ अक़्ल और ग़ौर व फ़िक्र को दख़ल नहीं देना चाहिए। धर्म तो बस आँख बन्द करके धार्मिक ख़यालों व विचारों को मान लेने और शिक्षाओं पर अमल करते रहने का नाम है। धर्म के बारे में सवाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक शिक्षाएँ सिर्फ़ मान लेने के लिए होती हैं। आज किसी भी धर्म की शिक्षाओं से मुराद अस्ल में उसकी रिवायतें और परम्पराएँ होती हैं और पूर्वजों से चले आनेवाले तरीक़ों ही का नाम धर्म है। धार्मिक सच्चाइयों और तथ्यों के सिलसिले में समझा जाता है कि यहाँ अक़्ली दलीलों, ग़ौर व फ़िक्र और हिकमत (दानाई) और दूरदर्शिता की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बाप-दादा की तक़लीद (पैरवी) ही काफ़ी है।

लेकिन क़ुरआन मजीद ने बार-बार इनसान को ग़ौर व फ़िक्र (चिन्तन-मनन) की दावत दी है। तमाम मख़लूक़ (प्राणियों) में इनसान की विशेषता यह है कि वह बुद्धि-विवेक की नेमत से मालामाल है। सही-ग़लत और सत्य-असत्य में फ़र्क़ और अन्तर कर सकता है। अक़्ल और शुऊर रखनेवाली हस्ती इनसान के लिए सीमित आज़ादी और ख़ुद-मुख़्तारी भी ज़रूरी थी। इसी लिए ख़ुदा ने ये दोनों नेमतें भी उसे अता फ़रमाईं। हाँ, क़ुरआन मजीद ने ख़बरदार किया है कि इनसान सिर्फ़ अपनी अक़्ल को अपना मार्गदर्शक बनाए तो

भटक सकता है। इसकी बहुत-सी मिसालें आज हमारे सामने हैं। मिसाल के तौर पर बग़ैर शादी-ब्याह के ख़ानदान (Live in relationship), समलैंगिकता, और ज़िना (व्यभिचार) को क़ानूनी वैधता उपलब्ध कराना, इसके लिए व्यक्ति की आज़ादी को दलील बनाना, औरत और मर्द में फ़र्क़ न करना और उनके बीच बनावटी समानता के ख़ुद के बनाए हुए विचारों को रिवाज देना। इन असन्तुलनों के नतीजे में हया (शर्म) और अख़लाक़ का ख़ातिमा यक़ीनी है। ख़ानदान बिखराव का शिकार होकर ख़ानदानी निज़ाम के ख़ातिमे तक नौबत पहुँच जाएगी। हमारे सामने कितने ही देशों के इबरतनाक हालात हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर महमूद अहमद ग़ाज़ी लिखते हैं—

"क़ुरआन मजीद की एक बड़ी देन, अक़्ल और वह्य (ईश-प्रकाशना) और धर्म व ज्ञान के बीच वह सन्तुलन और सामंजस है जो क़ुरआन मजीद और क़ुरआन मजीद की लाई हुई शरीअत के अलावा हर जगह ख़त्म है। दुनिया आज भी उस सन्तुलन से अनजान है जो इनसानी ज़िन्दगी को सदियों से जारी उस संघर्ष से नजात दिला सके, जिसमें धर्म व ज्ञान के प्राचीन टकराव ने इसको मुब्तला कर रखा है। दुनिया के इतिहास में कुछ धर्मों ने अपनी समझ में संन्यास और रूहानियत का दामन थामा, लेकिन नतीजा यह निकला कि अक़्ल व समझदारी के सारे तक़ाज़े धरे-के-धरे रह गए और धर्म आख़िरकार हर प्रकार की बे-अक़लियों का संग्रह बनकर रह गया। इसकी प्रतिक्रिया में आधुनिक ज़माने ने अक़्ल व सूझ-बूझ से जुड़े रहने का फ़ैसला किया और अक़लियत-पसन्द (बुद्धिवाद) के जोश में धर्म को हर जगह से देश निकाला दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज इनसानी ज़िन्दगी हर क़िस्म की अख़लाक़ी और रूहानी क़द्रों (मूल्यों) से तेज़ी के साथ वंचित होती चली जा रही है।

क़ुरआन मजीद वह एक मात्र किताब है जिसने विशुद्ध धार्मिक मामलों में अक़्ल को और ख़ालिस दुनियावी मामलों में धर्म की रहनुमाई को मुनासिब और असरदार मक़ाम अता किया। अक़्ल व दूरदर्शिता और इल्म व विवेक (सूझ-बूझ) पर जितना ज़ोर इस किताब में दिया गया है किसी भी धार्मिक किताब में नहीं दिया गया।" (मुहाज़राते-क़ुरआनी, पृष्ठ-20, 21)

क़ुरआन मजीद हर इनसान को अपनी ज़ात और कायनात पर चिन्तन-मनन करने की दावत देता है, ताकि वह सच्चाई और हक़ीक़त को पाकर अपने पैदा करनेवाले रब को मान ले, यानी उसपर ईमान लाए। सुप्रसिद्ध विद्वान ए. के. बरोही लिखते हैं—

"क़ुरआन मजीद सोच-विचार करने और अक़्ल से काम लेने की बार-बार दावत देता है। एक तरह से यह कहना बेजा न होगा कि इस किताब ने उस तरीक़ेकार और टेकनॉलोजी की तरफ़ रहनुमाई की है जिसके ज़रिए से इनसान फ़ितरत की किताब को पढ़ सकता है और अपने वुजूद (अस्तित्व) के अन्दर ख़ुदा की निशानियों का अवलोकन (मुशाहदा) कर सकता है। तमाम कायनात एक है और इनसान को हुक्म दिया गया है कि वह इसको ग़ौर से देखे और इससे सबक़ हासिल करे। हम अल्लाह तआला की संरचना और बनावट पर नज़र डालें और तलाश करें कि इसमें कोई कमज़ोरी भी मौजूद है? इसके बाद हमको हुक्म देता है कि हम फ़ितरत की तबदीलियों को ख़ूब ग़ौर से देखें, जिनमें हमारे रब की निशानियाँ हैं। मिसाल के तौर पर रात और दिन ऐसे हैं जैसे एक-दूसरे का पीछा कर रहे हों। बारिश से मुर्दा पड़ी ज़मीन किस तरह ज़िन्दा हो जाती है, मौसमों का बदलाव और चाँद-सूरज के चक्कर लगाने पर भी ग़ौर करने के लिए कहा गया है। क़ुरआन मजीद की तेरहवीं सूरा की तीसरी और चौथी आयत में कहा गया है कि सोचनेवाले लोगों के लिए फ़ितरत के अन्दर बहुत-सी निशानियाँ मौजूद हैं। यह अल्लाह तआला ही है जिसने ज़मीन फैलाई, इसपर मज़बूत पहाड़ जमाए, और नदियाँ जारी कीं और तमाम फलों का दो-दो जोड़ा बनाया। ज़मीन पर ऐसे पास-पास खेत मौजूद हैं, जिनमें अंगूरों की बेलें हैं, ग़ल्ला है, खजूर के पेड़ हैं। एक ही पानी से सैराब (सिंचित) होते हैं। बेशक समझनेवालों के लिए इसमें बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं।"

(तारीख़े-इनसानियत पर क़ुरआन करीम के असरात, पृष्ठ-11, 12)

8. क़ुरआन हिदायत (मार्गदर्शन) की किताब है

इनसान की अहम और बुनियादी ज़रूरतों की सूची में खाना, मकान, कपड़ा, इलाज और तालीम (शिक्षा) शामिल हैं। लेकिन एक और ज़रूरत हर

इनसान की है जो इनसे बढ़कर है, और वह हिदायत (मार्गदर्शन) है। जिन ज़रूरतों को बयान किया गया है वे इनसान को ज़िन्दा रखने के लिए हैं, लेकिन हिदायत इनसान को ज़िन्दगी गुज़ारने का सही रास्ता बताती है। हिदायत इनसान को अल्लाह का नेक-सच्चा बन्दा बनाती और उसमें इनसानियत पैदा करती है। हिदायत के बग़ैर वह इनसानियत, अख़लाक़ और रूहानियत से महरूम (वंचित) होकर दो पैरोंवाला दरिन्दा बन जाता है।

हिदायत से मुराद क्या है? क्या इस ज़रूरत को इनसान ख़ुद पूरा नहीं कर सकता? सच्चाई यही है कि इनसान ने ख़ुद अक़्ल, तजरिबों और इतिहास से मदद लेकर बार-बार कोशिश की और असफलता के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आया।

हिदायत (मार्गदर्शन) केवल कुछ बेरूह (निर्जीव) अक़ीदों (आस्थाओं) को मान लेने और बाप-दादा की रस्मों, ख़ानदानी रिवाज और पूर्वजों के रास्ते पर आँखें बन्द करके चलते रहने का काम नहीं है। हिदायत इनसान की व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर छाई हुई है। इनसान के चिंतन और व्यवहार का कोई पहलू और कोई शोबा (विभाग) उसके दायरे से बाहर नहीं। ख़ुदाई हिदायत इनसान की ज़िन्दगी को विभिन्न भागों में नहीं बाँटती। ज़िन्दगी एक कुल (Single Entity) है। ख़ुदाई हिदायत इनसान की इस पूरी ज़िन्दगी को अपने विशाल दामन में समेटकर ज़िन्दगी की हिफ़ाज़त करती है। इसकी तरक़्क़ी का सामान करके नई तामीर करके सुसज्जित करती है। हिदायत और क़ुरआन मजीद के हवाले से मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही (रह॰) लिखते हैं—

"क़ुरआन मजीद हर दिशा से एक मुकम्मल हिदायत (मार्गदर्शन) का नाम है। वह एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी शरीअत है, एक ऐसा फ़िक्रो-अमल का निज़ाम है जिसमें इनसान के एतिक़ादी (आस्था से सम्बन्धित) और अमली, ज़ाहिरी और बातिनी, व्यक्तिगत और सामूहिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, ग़रज़ जीवन के हर विभाग से सम्बन्धित हिदायतें मौजूद हैं। यह बात किसी और किताब को हासिल न थी।"

(क़ुरआन मजीद का तआरुफ़, पृष्ठ-43)

ए॰ के॰ बरोही लिखते हैं—

हिदायत की किताब होने की हैसियत से क़ुरआन मजीद ने हिदायत के ख़याल (कल्पना) की पूरी छिपी हुई चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। हिदायत के शाब्दिक मानी रहनुमाई करने और रास्ता दिखाने के हैं। क़ुरआन की सूरा-87 आला में तरक़्क़ी और नशोनुमा के उन सभी सम्बन्धित पहलुओं पर रौशनी डाली गई है, जिनसे प्राणियों को गुज़रना पड़ता है : 'तसबीह (महिमागान) कर अपने रब के नाम की जो सबसे बरतर और उच्च है, जिसने तमाम चीज़ों को पैदा किया। फिर (उन्हें) ठीक बनाया और जिसने नियति बनाई फिर राह दिखाई।' (क़ुरआन, सूरा-87 आला, आयतें-1 से 3)

इनसान के मामले में इस हिदायत के दायरे में अल्लाह का उसको अक़्ल का अता करना भी आ जाता है। अक़्ल एक तरह की ऐसी सलाहियत (योग्यता) है जो इनसान के अन्दर की हैवानी ज़िन्दगी के इज़हार को क़ाबू में रखती है और उसे अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने नहीं देती। अक़्ल बेशक एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, मगर वह काफ़ी नहीं है। अक़्ल का दायरा एक सीमित दायरा है। उस दायरे के बाहर क़दम रखना ख़तरनाक है। इसलिए पैग़म्बरों ने अल्लाह की तरफ़ से हिदायत की एक यही शक्ल इनसानों तक पहुँचाई। हिदायत की यह नई शक्ल पैग़म्बरों के उन आदेशों की शक्ल में है जिनकी इनसान पाबन्दी न करे तो कायनात से टकराता रहेगा। यही नहीं, बल्कि ख़ुद अपनी अन्दरूनी शक्तियों से जंग करता रहेगा। इस हिदायत से सुलह होने के बाद इनसान अक़्ल के उस तंग दायरे से बाहर निकल आने के क़ाबिल हो जाता है। इसी हिदायत की बदौलत इनसान अपनी मुकम्मल तक़दीर की कल्पना कर सकता है।"

(तारीख़े-इनसानियत पर क़ुरआन करीम के असरात, पृष्ठ-5, 6)

9. क़ुरआन अल्लाह की आख़िरी किताब है

क़ुरआन मजीद अल्लाह की तरफ़ से पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतारा गया है। नबी (सल्ल॰) अल्लाह के आख़िरी पैग़म्बर हैं। इसलिए नबी (सल्ल॰) पर उतारी गई किताब क़ुरआन मजीद भी आख़िरी किताब है। आप (सल्ल॰) आख़िरी पैग़म्बर इसलिए भी हैं कि पैग़म्बरों का सिलसिला हज़रत

आदम (अलैहि०) से शुरू हुआ और आप (सल्ल०) पर ख़त्म हो गया है। आप (सल्ल०) से पहले के पैग़म्बरों की शिक्षाएँ और सीरत (जीवनी) सुरक्षित नहीं है। किताबें बदल दी गईं, लेकिन आप (सल्ल०) की पैग़म्बरी से पहले और बाद की पूरी ज़िन्दगी पूरी तरह सुरक्षित है। आप (सल्ल०) का पैग़ाम और शिक्षाएँ सुरक्षित हैं। इन सबसे बढ़कर सच्ची बात यह है कि आप (सल्ल०) ने ख़ुदाई हिदायत (ईश मार्गदर्शन) के तहत पहले अरब और उसके बाद दुनिया में एक महान क्रान्ति बरपा कर दी। नया व्यक्ति, नया ख़ानदान, नया समाज और नया निज़ाम मुरत्तब करके दिखाया। इन विशेषताओं की बुनियाद पर अब न किसी और पैग़म्बर की ज़रूरत है और न किसी और किताब की। इसी लिए क़ुरआन मजीद इनसानों के लिए आख़िरी हिदायत-नामा है।

एक और पहलू से सोच-विचार कीजिए। क़ुरआन मजीद का केन्द्रीय विषय इनसान और उसकी कामयाबी और नजात है। आज से पन्द्रह सौ साल पहले इनसान की कमज़ोरियाँ वही थीं जो आज के इनसान की हैं। आगे भी इनसान जब तक बाक़ी रहेगा उसकी ज़िन्दगी के ज़ाहरी हालात और संसाधन तो ज़रूर बदलेंगे (यानी तरक़्क़ी-याफ़्ता होंगे), लेकिन इनसान वही रहेगा। उसके लिए क़ुरआन मजीद की हिदायत और रहनुमाई आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी की पन्द्रह सौ साल पहले थी।

क़ुरआन मजीद के उसूल (नियम) और शिक्षाएँ अब क़ियामत तक इनसानों की रहनुमाई के लिए काफ़ी हैं। यह केवल दावा नहीं है। आप ग़ौर करें कि अभी वर्तमान लोग कहते थे कि ब्याज के बग़ैर व्यापार, बैंकिंग और इंशोरेंस का निज़ाम चल नहीं सकता, लेकिन क़ुरआन मजीद ने बता दिया था कि सूद (ब्याज लेना-देना) हराम है। इसका अन्तिम परिणाम नुक़सान, आर्थिक ज़ुल्म-अत्याचार और तबाही के सिवा कुछ नहीं। आज अन्तर्राष्ट्रीय संसाधनों IMF और World Bank की रिपोर्टें बता रही हैं कि क़ुरआन मजीद का एलान सत्य पर आधारित है। इसी तरह क़ुरआन मजीद ने जुवा, सट्टा, शराब, ज़िना, समलैंगिकता वग़ैरा जैसी बुराइयों को हराम किया है। इसकी रहनुमाई क़ियामत तक के इनसान की सफलता और तरक़्क़ी के लिए बहुत ज़रूरी है।

इसमें सन्देह नहीं कि ज़िन्दगी में उन्नति होती रहेगी। नई-नई समस्याएँ

सामने आएँगी। क़ुरआन मजीद की शिक्षाएँ और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की रहनुमाई के तहत, अथक प्रयास के ज़रिए से नई समस्याओं का समाधान तलाश करने का दरवाज़ा खुला है। क़ुरआन मजीद की अहम विशेषता यह है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और क़ुरआन मजीद लानेवाले पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाएँ भी सुरक्षित हैं। ये सारे इनसानों के लिए आम हैं। इनपर किसी क़ौम या गरोह का एकाधिकार नहीं है।

इतने ज़बरदस्त इन्तिज़ाम के बाद अब आख़िर में कोई नया हिदायत-नामा इनसान की किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आएगा?

10. क़ुरआन का पैग़ाम और शिक्षाएँ विश्वव्यापी हैं

क़ुरआन मजीद का अध्ययन करेंगे तो इस नतीजे पर आसानी से पहुँच जाएँगे कि इसकी तालीम, पैग़ाम और रहनुमाई मक़ामी, इलाक़ाई और मुल्की (राष्ट्रीय) नौईयत की नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी है।

सबसे पहले क़ुरआन अल्लाह के बारे में बात करता है। वह किसी ख़ास क़ौम, इलाक़ा, देश या ज़माने का ख़ुदा नहीं है। वह सारे अगले-पिछले इनसानों और सारी दुनिया के तमाम मख़लूक़ का ख़ुदा है। वह पूर्व व पश्चिम का ख़ुदा है। उसकी सभी मख़लूक़ में से इनसान नुमायाँ मक़ाम रखता है। वह इनसान पर मेहरबान है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी ज़मानों (कालों) में वह ख़ुदा है। वह ज़मान और मकान से बुलन्द और बे-नियाज़ है।

क़ुरआन मजीद इनसान को ख़िताब (सम्बोधित) करता है। तमाम इनसानों को रंग, नस्ल, ज़बान और इलाक़ों के भेदभाव के बग़ैर सम्बोधित करता है। वह तमाम इनसानों को माननेवाले और न माननेवाले बस दो गरोहों में बाँटता है। इनकार करनेवालों के लिए हमेशा हक़ (सत्य) क़बूल करने का दरवाज़ा खुला रखता है। उनकी आज़ादी को चयन करने का वह सम्मान करता है, इनसान की इज़्ज़त का खुला एलान करता है। हर व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों का रक्षक है।

क़ुरआन इनसान की फ़ितरत की माँगों की रिआयत करता है। उसकी अपेक्षाओं को मुनासिब अन्दाज़ से पूरा करने का प्रबन्ध करता है। अफ़सोस है कि इनसान विभिन्न शैतानी उकसाहटों, उत्प्रेरकों और परिवर्तनों का

शिकार होकर अपनी फ़ितरत को बिगाड़ लेता है। इसके नतीजे में वह ऐसी पस्ती में जा गिरता है जहाँ जानवर भी नहीं पहुँच सकते।

क़ुरआन की शिक्षाओं और उसके पैग़ाम पर ग़ौर कीजिए तो यह हर दौर के इनसानों की ज़रूरत है। किसी देश के इनसान इससे कभी भी बेनियाज़ (निस्पृह) नहीं हो सकते।

क़ुरआन रंग, नस्ल, ज़बान और इलाक़े में भेदभाव के बग़ैर आलमगीर (विश्वव्यापी) इनसानी और तहज़ाबी क़द्रें अता करता है। यह हर दौर, ज़माने और क़ियामत तक आनेवाले इनसानों की बुनियादी ज़रूरत है, इन क़द्रों (मूल्यों) के लिए उत्प्रेरक शक्ति (Motivating Force) उपलब्ध करता है। हक़ को लागू करने के लिए इनसान को उभारता है। जवाबदेही का यक़ीन इनसान के अन्दर पैदा करता है। क्या ये क़द्रें (मूल्य) हर दौर के इनसान की ज़रूरत नहीं। इन मूल्यों के बग़ैर अन्देशा है कि वह शैतान बन जाएगा।

11. क़ुरआन की शिक्षाओं पर व्यक्ति और समाज का निर्माण किया गया है

क़ुरआन मजीद की एक विशेषता यह है कि यह केवल अक़ीदों (आस्थाओं), इबादतों, अख़लाक़ी (नैतिक) शिक्षाओं और अच्छी बातों की किताब नहीं है, बल्कि इनसान की और उसकी सामूहिक ज़िन्दगी के लिए अमली दस्तूर (विधान) है और ज़िन्दगी गुज़ारने का मुकम्मल क़ानून है। क़ुरआन मजीद इनसान को अल्लाह के पसन्दीदा रास्ते पर चलानेवाली किताब है। क़ुरआन मजीद की आस्थाओं, अख़लाक़, इबादतों और आदेशों की पाबन्दी का व्यापक और कामिल (पूर्ण) नमूना पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की पाकीज़ा और मुकम्मल ज़िन्दगी में मौजूद है। आप (सल्ल॰) मानो क़ुरआन मजीद का चलता-फिरता नमूना थे। आप (सल्ल॰) के बाद आपके सहाबा (रज़ि॰) भी क़ुरआनी शिक्षाओं का बेहतरीन नमूना थे। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की पाक बीवियों के घरों में क़ुरआन मजीद को बहुतायत के साथ पढ़ा जाता था और क़ुरआनी शिक्षाओं का भरपूर नमूना सबसे पहले उन्हीं के घर थे। क़ुरआन मजीद के उतारे जाने से पहले अरब समाज तरह-तरह की ख़राबियों और समाजी बिगाड़ का शिकार था। क़ुरआन के

आने के बाद उसकी शिक्षाओं और रहनुमाई की रौशनी में एक दूसरा ही नक़्शा सामने आता है। इस बिगड़े हुए समाज में जब क़ुरआन की शिक्षाओं पर अमल किया गया तो तमाम छोटी-बड़ी ख़राबियों और समाजी बुराइयों का अन्त हो गया। भलाइयाँ और नैतिक गुण और अच्छाइयाँ लोगों, ख़ानदान और समाज पर छा गईं। मदीना में दुनिया की बेहतरीन फ़लाही (जनकल्याणकारी) रियासत क़ायम हो गई। क़ुरआन मजीद की छत्र-छाया में एक नया इनसान वुजूद में आया। एक नया ख़ानदान, समाज और एक नया निज़ाम क़ायम हो गया। इतिहास में यह रिकार्ड सुरक्षित है। यह कोई क़िस्सा, कहानी या काल्पनिक बातें (Mythology) नहीं है कि केवल अक़ीदत (आस्था) और बढ़ा-चढ़ाकर लिख ली गई हो, बल्कि इतिहास की एक अहम हक़ीक़त है। क़ुरआन मजीद से पहले धर्म और धार्मिक किताबें दुनिया में मौजूद थीं, लेकिन पूरी दुनिया में किसी जगह निजी ज़िन्दगी, ख़ानदान, समाज और निज़ाम उनकी बुनियाद पर क़ायम नहीं था। अरब में कोई बाक़ायदा सियासी निज़ाम नहीं था, बल्कि क़बाइली निज़ाम क़ायम था।

क़ुरआन के नज़रिए और उसूलों की बुनियाद पर इस्लाम ने एक तरक़्क़ी-याफ़्ता (विकसित), आधुनिक फ़लाही रियासत क़ायम की। अरब का हाल तो यह था कि पूरे साल के सिर्फ़ चार महीने ही में अम्न व अमान क़ायम रह सकता था। शेष आठ महीनों में लड़ाई-झगड़े बरपा रहते थे। इनसानी जान की प्रतिष्ठा और औरतों की इज़्ज़त-आबरू सुरक्षित नहीं थी। आर्थिक बदहाली का यह हाल था कि लोग भूख मिटाने के लिए मुर्दा जानवर तक खा लेते थे। क़ुरआन की शिक्षाओं पर चलकर अरब अम्न-सलामती और न्याय व इनसाफ़ से हमकिनार हुआ। इनसान की अज़मत और मान-सम्मान की बहाली, आर्थिक तरक़्क़ी और कामयाबी के ऐसे मक़ाम पर पहुँचा जहाँ इस आधुनिक दौर में भी कल्पना नहीं की जा सकती। ग़रीबी का अन्त हो गया। ख़िलाफ़ते-राशिदा (क़ुरआनी शिक्षाओं पर चलनेवाली हुकूमत) के ज़माने में ज़कात (दान) लेने के लिए कोई हक़दार नहीं मिलता था।

क़ुरआन मजीद की बुनियाद पर क़ायम किया हुआ निज़ाम हर लिहाज़ से तरक़्क़ी-याफ़्ता (विकसित), ख़ुशहाल और मुकम्मल था। इसलिए जो

सभ्यता इस निज़ाम ने बरपा की, उसने सदियों तक दुनिया का नेतृत्व किया।

12. क़ुरआन आज के इनसान की समस्याओं पर बात करता है

क़ुरआन मजीद का केन्द्रीय विषय इनसान है। इनसान की दुनियावी तरक़्क़ी ख़ुशहाली, सुख-सम्पन्नता और लोक-परलोक की सफलता व कामयाबी है। इसी दुनियावी ज़िन्दगी को आख़िरत की हमेशा रहनेवाली ज़िन्दगी में कामयाबी का ज़ीना क़रार देकर क़ुरआन मजीद में यह दुआ सिखाई गई है—

> "ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई प्रदान कर और आख़िरत में भी भलाई दे और हमें आग के अज़ाब से बचा ले।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-201)

जब क़ुरआन मजीद का केन्द्रीय विषय इनसान है तो वह उसकी ज़िन्दगी की समस्याओं से नज़रें कैसे फेर सकता है? क़ुरआन मजीद इनसान की समस्याओं से दूरी कैसे अपना सकता है? इसलिए क़ुरआन मजीद सिर्फ़ उपदेश व नसीहत और कुछ नैतिक शिक्षाओं पर सम्मिलित किताब नहीं, सीमित अर्थों में धार्मिक किताब नहीं, बल्कि क़ुरआन मजीद मानव-जीवन के लिए एक अमली दस्तूर (विधान) है। वह इसके तमाम मामलों और समस्याओं पर बात करता है।

क़ुरआन मजीद इनसान की ज़िन्दगी में न सिर्फ़ यह कि भौतिक समानता (ख़ुशहाली) देखना चाहता है, बल्कि इसमें अम्न व अमान, अदल व इनसाफ़, सलामती और सुकून व राहत लाना चाहता है। यह सिर्फ़ अपने माननेवालों के लिए ही नहीं, बल्कि इनकार करनेवालों के लिए भी अम्न-शान्ति से भरपूर माहौल उपलब्ध करता है।

क़ुरआन मजीद इनसान की ज़िन्दगी को बदअमनी, फ़साद, बिगाड़, जंग, दहशतगर्दी, ज़ुल्म, आतंक और शोषण से पाक करना चाहता है। इनसानी हक़ और अधिकारों की पामाली, तथा समाजी व अख़लाक़ी ख़राबियों का ख़ातिमा करता है। शराब और ज़िना को हराम करता है। मुहताजी व ग़रीबी, भ्रष्टाचार, बच्चियों की हत्या, औरतों और कमज़ोरों पर ज़ुल्म-ज़्यादती को ख़त्म करता है। ये बातें सुन्दर शब्द और अच्छे जुमले नहीं हैं, जो सिर्फ़ लिख दिए गए हों, बल्कि क़ुरआन मजीद की शिक्षाओं की

बुनियाद पर एक कल्याणकारी समाज और कल्याणकारी रियासत की स्थापना का पूरा रिकार्ड इतिहास में सुरक्षित है। आज भी उससे फ़ायदा उठा करके हम अपने मसलों और मामलों को हल कर सकते हैं। क्या कोई और आइडियालोजी, फ़लसफ़ा और किताब ऐसी पाई जाती है या पाई गई, जिसके उसूलों और शिक्षाओं की बुनियाद पर एक जनकल्याणकारी समाज और जनकल्याणकारी रियासत की स्थापना की गई हो।

इनसान की ज़िन्दगी के कुछ-न-कुछ मसले-मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जब संगीन समस्याएँ और समाजी व अख़लाक़ी ख़राबियाँ हों तो इनसान हलाकत व बरबादी के ख़तरे से दोचार होता है। इतिहास की रौशनी में यह बात कही जा सकती है कि फ़साद फैलानेवाली आबादियाँ ख़त्म कर दी गईं। क़ुरआन मजीद ने क़ौमों के उत्थान व पतन को बहुत विस्तार से बताया है।

क़ुरआन मजीद की अहम ख़ुसूसियत यह है कि वह इनसान के अहम और बुनियादी नौइयत के सारे मसलों से बहस करता है। समस्याओं के कारणों को बताता है। बुराई के नुक़सान और तबाही व बरबादी को पूरी तरह वाज़ेह करता है। फिर उन मसाइल का क़ाबिले-अमल और कामयाब व पाएदार हल बताता है। जैसा कि ऊपर बताया गया, क़ुरआन मजीद के बुनियादी उसूलों और शिक्षाओं की बुनियाद पर आज से पन्द्रह सौ साल पहले अरब और बाद में भी दुनिया में इनसान की संगीन समस्याओं का समाधान किया गया।

13. क़ुरआन ज़िन्दगी में सन्तुलन स्थापित करता है

कायनात के पैदा करनेवाले रब ने पूरी कायनात में एतिदाल (सन्तुलन) क़ायम कर रखा है। इसी तरह क़ुरआन मजीद की तालीमात (शिक्षाओं) में सन्तुलन पाया जाता है। क़ुरआनी शिक्षाओं का अध्ययन करें तो वाज़ेह होगा कि इनमें कहीं भी अति नहीं है, उसमें शिद्दत-पसन्दी और बेजा सख़्तगीरी नज़र नहीं आएगी और इससे बढ़कर यह कि इसमें इनसानी फ़ितरत से हटकर अप्रचलित व अनुचित पाबन्दियाँ लागू नहीं की गई हैं। मौलाना जरजीस करीमी एतिदाल (सन्तुलन) के मानी बताते हुए लिखते हैं—

"एतिदाल (सन्तुलन) के मानी हैं दो मुक़ाबिल व विरोधाभास पहलुओं

के बीच सन्तुलन क़ायम करना, इस तरह कि दोनों पहलुओं में से किसी एक पर बेजा तौर पर ज़ोर न दिया गया हो और दूसरा पहलू नज़र-अन्दाज़ न हो गया हो, बल्कि दोनों के बीच बराबर का मामला हो। जिस तरह तराज़ू में चीज़ें तौली जाती हैं और अगर दोनों पलड़े एक समान हों तो कहा जाता है कि मीज़ान सही है, इसी तरह एतिदाल में अद्ल बुनियादी तत्त्व है यानी जिस पहलू का जो हक़ है, उसका लिहाज़ रखा जाए और हर दो पहलुओं के साथ इनसाफ़ किया जाए। यह एतिदाल क़ुरआन मजीद के तमाम आदेशों और शिक्षाओं में नुमायाँ है। आस्थाओं, इबादतों, अख़लाक़, मामलात और आम आदाबे-ज़िन्दगी, हर चीज़ में एतिदाल का आदेश दिया गया है।" (इस्लाम की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात, पृष्ठ-119)

क़ुरआन मजीद इनसान की ज़िन्दगी को एक इकाई (Single Unit) ही मानता है और अल्लाह की मुकम्मल इताअत और फ़रमाँबरदारी की तालीम देता है।

क़ुरआन मजीद की तालीम (शिक्षा) यह नहीं है कि "जो क़ैसर (राजा) का है वह क़ैसर को दो और जो ख़ुदा का है वह ख़ुदा को दो।" यहाँ ज़िन्दगी को ख़ानों में नहीं बाँटा गया है, क़ुरआन मजीद की शिक्षाएँ पूरी ज़िन्दगी के लिए हैं। इनमें ज़िन्दगी के तमाम विभागों और पहलुओं का ख़याल किया गया है। दुनिया और आख़िरत, माद्दीयत (भौतिकवाद) और रूहानियत (आध्यात्मिकता), व्यक्ति और सामूहिकता, अल्लाह के हुक़ूक़ और बन्दों के हक़, घर, ख़ानदान और समाज, मामलात, इबादत और ज़िन्दगी के कारोबार, ग़रज़ हर पहलू में क़ुरआन मजीद की शिक्षाओं में एतिदाल, इनसाफ़ और सन्तुलन को पूरा ध्यान में रखा गया है, बे-एतिदाली और असन्तुलन से बचने की तालीम दी गई है।

कुछ धर्मों की शिक्षाओं के अनुसार भौतिक संसाधनों से लाभान्वित होना अस्ल में रूहानी (आध्यात्मिक) तरक़्क़ी और ख़ुदा से निकटता की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, इसलिए दुनिया से संन्यास और जाइज़ लज़्ज़तों से कट जाना ही रूहानी तरक़्क़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कुछ फ़ल्सफ़ियों (दार्शनिकों) ने व्यक्ति और सामाजिकता के मसले में व्यक्ति को

इतना महत्व दे दिया कि वह बे-लगाम आज़ादी और निजी हित के नाम पर पूरी सामाजिकता को हानि पहुँचा सकता है। यह एक अति (इन्तिहा) है। दूसरी तरफ़ कुछ फ़ल्सफ़ियों ने सामाजिकता को इतनी अहमियत दी कि व्यक्ति निजी आज़ादी और मानव-अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यह दूसरी अति है। क़ुरआन मजीद इन दोनों अतियों के बीच एतिदाल और सन्तुलन की राह दिखाता है।

14. क़ुरआन ज़िन्दगी और कायनात से सम्बन्धित बुनियादी सवालों के सही जवाब देता है

क़ुरआन मजीद में इनसानी ज़िन्दगी के बुनियादी सवालों के बारे में वार्ता की गई है। उन सवालों के उचित जवाब दिए गए हैं। क़ुरआन मजीद की ख़ुसूसियत यह है कि उन सवालों के जवाब दलीलों के साथ और इल्म व यक़ीन की बुनियाद पर दिए गए हैं। क़ुरआन इनसान को किसी भी सच्चाई को मान लेने के सिलसिले में आँख बन्द करके मान लेने के लिए नहीं कहता, बल्कि ख़ूब सोच-विचार करने की दावत देता है। चुनाँचे इनसान की ज़िन्दगी के बुनियादी सवालों के जवाब के बारे में भी क़ुरआन मजीद दलीलों की रौशनी में सोच-विचार करने के लिए उभारता है। इस्लाम में ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि क़बूल करने या इनकार करने की पूरी आज़ादी है। अल्लाह आख़िरत में हिसाब लेगा कि इनसान ने इस आज़ादी को सही इस्तेमाल किया या ग़लत।

क़ुरआन मजीद ही से मालूम होता है कि इन सवालों का इनसान की अमली ज़िन्दगी, अख़लाक़ी रवैए, हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियों की अदाइगी, आम ताल्लुक़ात और समाजी ज़िम्मेदारियों की अदाइगी से गहरा ताल्लुक़ है। उन सवालों के जवाब अगर अन्दाज़े और अनुमान की बुनियाद पर क़ायम कर लिए जाएँ तो एक बिगड़ा हुआ किरदार, ग़लत अख़लाक़ी रवैया और तर्ज़े-अमल वुजूद में आएगा। जब ये जवाबात ख़ुदाई वह्य (ईश-प्रकाशना), सच्चा ज्ञान और सांसारिक व आन्तरिक प्रमाणों की रौशनी में सुनिश्चित होते हैं तो नेक किरदार, पवित्र सामाजिक रवैया और तर्ज़े-अमल सामने आता है।

बुनियादी सवाल निम्नलिखित हैं–

1. ज़िन्दगी, कायनात और तमाम मख़लूक़ का पैदा करनेवाला कौन है?
2. पैदा करनेवाले (स्रष्टा) की ज़ात व सिफ़ात (गुण) क्या हैं?
3. पैदा करने (संरचना) के पीछे उसका मंसूबा क्या है?
4. इनसान की इस कायनात में हैसियत क्या है? उसकी ज़िन्दगी का मक़सद क्या है?
5. स्रष्टा और विभिन्न प्रकार की सृष्टि के साथ इनसान के ताल्लुक़ की नौइयत क्या है? और उस ताल्लुक़ के तक़ाज़े क्या हैं?
6. पालनहार रब की ख़ुशनूदी कैसे हासिल की जाए?
7. मौत क्या है? मौत के बाद कोई ज़िन्दगी है या नहीं? अगर ज़िन्दगी है तो वह कैसी होगी?
8. जन्नत और दोज़ख़ की हक़ीक़त क्या है?
9. क्या अच्छे और बुरे का अंजाम एक ही हो सकता है?

इन सवालों पर विचारकों और विद्वानों ने इनसानी इतिहास में बार-बार सोच-विचार किया है और किसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की है, लेकिन यह सच्चाई है कि आम तौर पर उन फ़ल्सफ़ियाना प्रयासों की बुनियाद केवल अक़्ल, गुमान और अन्दाज़े पर है। हर एक के सोच-विचार का नतीजा अलग-अलग हो सकता है। चुनाँचे फ़ल्सफ़ियों और बुद्धजीवियों के बीच कभी एक राय पर सहमति नहीं हुई। उनके बीच गहरे मतभेद और बड़े-बड़े विरोधाभास पाए जाते हैं। उनमें से किसकी बात को मानें? इस अस्वीकार और स्वीकार की बुनियाद क्या हो? फिर इसपर भी विचार करना ज़रूरी है कि जहाँ-जहाँ इनसानों ने उनके विचारों को स्वीकार किया तो उसके नतीजे में क्या किरदार बना? किस तरह के अख़लाक़ और तर्ज़े-अमल का प्रदर्शन हुआ? ख़ानदान और समाज पर किस तरह के असरात (प्रभाव) पड़े? क्या इनसान के अन्दर इनसानियत का उच्चतम नैतिक (अख़लाक़ी) और रूहानी उत्थान मुमकिन हो सका या इनसान निरा जानवर बनकर मानव-जाति के लिए तबाही व बरबादी का ज़रिआ बना? एक अहम पहलू यह भी है कि बहुत-से फ़ल्सफ़ियों और बुद्धिजीवियों के क़ौल व अमल (कथनी-करनी) में विरोधाभास पाया गया। उनके विचारों और फ़लसफ़ों की

बुनियाद पर व्यक्ति का उत्थान सीधी लाइनों पर न हो सका। अच्छे समाज की तामीर और रियासत की स्थापना मुमकिन न हो पाई।

जहाँ तक साइंस (विज्ञान) का ताल्लुक़ है वह इन सवालों का पूर्ण रूप से यक़ीनी जवाब देने में असमर्थ है, क्योंकि उसकी इल्मी और तहक़ीक़ी कोशिशों की बुनियाद पंच इन्द्रियों के ज़रिए से हासिल की हुई मालूमात हैं। ये सवालात सांइस के दायरे से बाहर हैं। फिर भी साइंस ने जो भी कोशिश की वह इसमें अनुमान और गुमान से अपना दामन छुड़ाने में कामयाब नहीं हुआ।

क़ुरआन मजीद ने ईश-प्रकाशना (ख़ुदाई वह्य) की बुनियाद पर इन सवालों के उचित और तर्कसंगत जवाब दिए हैं। इनसान को उस सही रवैए और तर्ज़े-अमल की नसीहत की है जो उन जवाबों के ज़रिए से उभरता है। इन सवालों के यक़ीनी और सत्य पर आधारित जवाब अल्लाह तआला ही की तरफ़ से आ सकते थे और आना भी चाहिए, क्योंकि असली और सच्चे इल्म (ज्ञान) का स्रोत अल्लाह ही की बरकतवाली ज़ात है।

उन जवाबों के उचित और तर्कसंगत होने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। बन्दों से अल्लाह को क्या रवैया अपेक्षित है, यह वही बता सकता है। उसकी तरफ़ से उसके पैग़म्बरों और नबियों ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। उनके बीच इन अहम और बुनियादी सवालों के जवाबों में कोई विरोधाभास और मतभेद नहीं पाया जाता। उन मुबारक हस्तियों के दुश्मनों तक ने हमेशा उनके किरदार की सच्चाई और सीरत व अख़लाक़ की पाकी की गवाही दी। पैग़म्बरों और नबियों का कोई अपना हित और फ़ायदा नहीं था, बल्कि वे हमेशा इनसानों की भलाई के लिए ये बातें पहुँचाते रहे। उन्होंने एलान किया कि ये इल्म (ज्ञान) और सच्चाइयाँ अपनी तरफ़ से नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ़ से पेश कर रहे हैं।

15. क़ुरआन की शिक्षाएँ इल्म और अक़्ल के अनुकूल हैं

आज इनसान इल्म की चोटी पर पहुँच गया है। यह दौर बजा तौर पर इल्म की बढ़ोत्तरी (Knowledge Explosion) का दौर है। नए-नए उलूम (विज्ञानों) और उनकी शाखों की तेज़ रौशनी के नतीजे में इनसान की आँखें चौंधिया गई हैं। वह दंग है कि आइन्दा और क्या इज़ाफ़ा होगा? अब अक़्ल

अपने कमालात की बुलन्दी पर है। यह बात सोच-विचार करने योग्य है कि क़ुरआनी शिक्षाओं को किसी इल्म व तहक़ीक़ से आज तक ग़लत साबित नहीं किया जा सका और न आइन्दा इसका कोई इमकान पाया जाता है।

पश्चिम में साइंस के आरंभ और उत्थान के ज़माने में धर्म के हवाले से ऐसा दृश्य पेश किया गया, मानो अब ख़ुदा और धर्म का दौर ख़त्म हो चुका है। नया दौर है। इस नए दौर का ख़ुदा साइंस है (ख़ुदा की पनाह!), हालाँकि जिस धर्म से अक़्ल के पुजारियों की लड़ाई थी वह ईसाइयत था। क़दम-क़दम पर (रद्दो-बदल का शिकार) बाइबल की कुछ शिक्षाओं और साइंसी खोजों और नज़रियों में टकराव था, लेकिन यह एक पूर्ण सच्चाई है कि क़ुरआन मजीद के अवतरित हुए लगभग पन्द्रह सौ साल हो रहे हैं, अब तक मौजूदा उलूम (विज्ञानों) और अक़्ल व दानिश (बुद्धि-विवेक) क़ुरआन मजीद की किसी तालीम और उसूल को ग़लत और अक़्ल व विवेक के ख़िलाफ़ साबित करने में नाकाम है। आगे भी इसकी कोई संभावना नहीं है।

क़ुरआन की सम्पूर्ण शिक्षाएँ और उसूल, नियम और आदेश अक़ली बुनियादों पर अटल और मज़बूत हैं। क़ुरआन मजीद तो चैलेंज करता है कि उसकी शिक्षाओं में अगर तुम समझते हो कि, अल्लाह की पनाह, कोई ख़राबी है तो अपनी दलील लाओ। तुम कोई दलील नहीं ला सकते। ऐसा इसलिए है कि क़ुरआन मजीद के उसूल व ज़ाब्ते, आदेश और शिक्षाएँ उस हस्ती की तरफ़ से हैं जो अस्ल इल्म और हिकमत (तत्त्वदर्शिता) का स्रोत है, जिसका इल्म कभी ग़लती नहीं करता, जो समय और स्थान की सीमाओं और क़ैदबन्दियों से ऊपर है, जो इनसान का पैदा करनेवाला है। इनसान को वह जैसा जानता है और इनसान का वह जैसा ख़ैरख़ाह (शुभ-चिन्तक) है कोई दूसरा न हो सकता है और न है। उस हस्ती यानी अल्लाह तआला का इल्म (ज्ञान), भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर छाया हुआ है।

क़ुरआन की कुछ शिक्षाओं (तालीमात) की हिकमतें और मसलहतें चरणबद्ध तरीक़े से इनसान की समझ में आ रही हैं। मिसाल के तौर पर रोज़े का फ़र्ज़ होना। रमज़ान में मुसलमान सदियों से ईमान की बुनियाद पर रोज़ा रखते हैं। आधुनिक तहक़ीक़ के नतीजे में कई बीमारियों का इलाज आज

रोज़े (Fasting) के ज़रिए से किया जा रहा है। रोज़े के जिस्मानी और औषधीय फ़ायदों पर आज काफ़ी रौशनी डाली जा चुकी है। इसी तरह ब्याज (सूद) को देखें। एक दौर ऐसा था कि ब्याज के बग़ैर बैंकिंग, सोशल इंशोरेंस सिस्टम और कारोबार मुमकिन ख़याल नहीं किया जा सकता था, न किया जाता था, लेकिन अब तहक़ीक़ (शोध) करने से मालूम हुआ कि ग़रीबी, आर्थिक कठिनाइयाँ और भूख का एक अहम और बुनियादी कारण ब्याज है। क़ुरआन मजीद ने लगभग पन्द्रह सौ साल पहले ब्याज (सूद) को हराम क़रार दिया और तिजारत (व्यापार) को हलाल किया। इस बारे में ज़कात जैसी फ़र्ज़ इबादत के आर्थिक लाभों और आर्थिक ख़राबियों के निवारण के लिए इसके रोल को नज़र-अन्दाज़ नहीं किया जाना चाहिए। यही हाल क़ुरआन मजीद के तमाम उसूलों, ज़ाब्तों, शिक्षाओं और आदेशों का है।

क़ुरआनी शिक्षाओं के प्रभाव के तहत मुसलमानों ने तजरिबाती साइंस की बुनियाद डाली और आज के आधुनिक ज्ञान-विज्ञानों को अटल व मज़बूत किया। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि कई सदियों तक मुसलमानों ने साइंस और समाजी उलूम (विज्ञानों) के मैदान में न सिर्फ़ यह कि नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए, बल्कि दुनिया की अगुवाई और रहनुमाई की।

16. क़ुरआन कसौटी है

क़ुरआन हक़ व बातिल (सत्य-असत्य) के बीच कसौटी है। किसी भी चीज़ को उसपर परखकर फ़ैसला किया जा सकता है कि इसमें कितना हक़ है और कितनी बातिल (असत्य) की मिलावट कर दी गई है। मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ लिखते हैं—

"क़ुरआन दुनिया की सारी क़ौमों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क़ुरआन बिना किसी वजह के यह एलान नहीं करता कि लोग इसपर ईमान लाएँ और इसे अपने लिए जीवन-विधान बनाएँ। क़ुरआन मजीद उन क़ौमों को भी दावत देता है जिनके पास कोई आसमानी किताब पाई जाती है कि वे क़ुरआन मजीद पर ईमान लाएँ और उसके आदेशों का पालन करें। वजह यह है कि उनकी अपनी किताब का प्रमाणित होना भी क़ुरआन मजीद ही के ज़रिए से हासिल होता है और क़ुरआन मजीद के ज़रिए से उनकी

तकमील (पूर्णता) होती है। लोगों की बेजा दख़ल-अन्दाज़ी ने उनमें जो ख़राबियाँ पैदा कर दी थीं वे सब क़ुरआन मजीद ही की रौशनी में दूर की जा सकती हैं। क़ुरआन मजीद ही बता सकता है कि हक़ (सत्य) उनमें कितना बाक़ी है और ग़लत चीज़ें कहाँ और कितनी दाख़िल हो गई हैं। क़ुरआन में है–

> "ऐ किताबवालो! तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है। किताब की जो कुछ बातें तुम छिपाते थे उसमें से बहुत-सी बातें वह तुम्हारे सामने खोल रहा है और बहुत-सी बातों को नज़र-अन्दाज़ कर जाता है। अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे पास रौशनी और एक राह वाज़ेह करनेवाली किताब आ चुकी है। उसके ज़रिए से अल्लाह और उस व्यक्ति को जो उसकी ख़ुशनूदी को प्राप्त करना चाहता है, सलामती के रास्ते दिखाता है और अपनी कृपा से ऐसे लोगों को अंधेरों से निकालकर रौशनी में लाता है और उन्हें सीधे रास्ते पर चलाता है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयतें-15, 16)
>
> (हक़ीक़ते-नुबूवत, पृष्ठ-98)

17. क़ुरआन की क़द्रें इनसानी और सारभौमिक हैं

क़ुरआन ने जो क़द्रें (Values) प्रदान की हैं उनकी नौइयत इनसानी और सारभौमिक है। ये क़द्रें इलाक़ाई, क़ौमी, भाषाई और तबक़ाती (वर्गीय) नहीं हैं, बल्कि आलमगीर (Global) और सर्वव्यापी हैं और इन क़द्रों का मुख़ातब दुनिया का हर इनसान है। इनसान की तामीर और तरक़्क़ी, कामयाबी और नजात के लिए ये क़द्रें अतिआवश्यक हैं। क़ुरआन की इन क़द्रों का केवल प्रचार-प्रसार पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) ने नहीं किया, बल्कि इनको लागू करके दिखाया। क्या मानव-इतिहास में आप इन क़द्रों का वुजूद ईश्वर से विमुख समाजों में पाते हैं? आधुनिक दौर का कुछ सरमाया कुछ इनसानी क़द्रें हैं, लेकिन उनको लागू कहाँ किया जा रहा है?

इन क़द्रों का सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ नमूना ख़ुद पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) हैं, जिनपर क़ुरआन उतरा। उनका घर नमूना बना। आप (सल्ल॰)

के सहाबा (रज़ि॰) की ज़िन्दगियों में नमूना है। यहाँ तक कि मदीना का पूरा इस्लामी समाज इन क़द्रों का अमली नमूना है।

आज भी दुनिया या हमारे देश में कहीं इन क़द्रों की बुनियाद पर व्यक्ति की तामीर या अच्छे समाज की स्थापना नहीं हो पाई है। इन क़द्रों का अवलोकन कीजिए–

1. इनसान की अज़मत (बड़ाई), 2. तकरीमे-इनसानियत (मानव का सम्मान), 3. एहतिरामे-इनसानियत, 4. इनसान की ख़िलाफ़त (उत्तराधिकारी होना), 5, मानव-एकता, 6. मानव-समानता और समाजी इनसाफ़, 7. फ़िक्र, अक़ीदे (आस्था) और अमल की आज़ादी, 8. तनक़ीद (आलोचना) की आज़ादी, 9. औरत की इज़्ज़त और एहतिराम, 10. औरत और मर्द के बीच न्याय, 11. अद्ल व न्याय, 12. अम्न और सलामती, 13. धार्मिक उदारता, 14. हर तरह की ग़ुलामी से आज़ादी, 15. अंधविश्वास से मुक्ति, 16. साइंटिफ़िक अप्रोच (रवैया)।

क़ुरआन ही क्यों?

क़ुरआन मजीद के परिचय के सिलसिले में वार्ता का यह नुक्ता सबसे अहम है कि क़ुरआन मजीद ही क्यों? हमारे देश और संसार-भर में विभिन्न धर्मों की किताबें मौजूद हैं। उन सबके होते हुए क़ुरआन मजीद ही क्यों? दूसरी किताबें क्यों नहीं? सच्चाई की खोज के लिए इस नुक्ते को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही क़ुरआन मजीद से सही तौर पर फ़ायदा उठाया जा सकता है।

पिछली बहसों के ख़ुलासे के तौर पर नीचे लिखे गए नुक्तों (बिन्दुओं) पर ग़ौर फ़रमाएँ—

(1) क़ुरआन मजीद के ज़रिए से अल्लाह तआला की तरफ़ से इनसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत को पूरा किया गया है। यानी रूहानी और अख़लाक़ी ज़िन्दगी में हिदायत और रहनुमाई ईश्वर ने बेहतरीन तरीक़े पर उपलब्ध की है। ख़ुदा के नेक बन्दे पैग़म्बर मुक़र्रर होकर इनसानों को ख़ुदा की हिदायत और रहनुमाई पहुँचाते रहे। उनपर किताबें भी उतारी गईं। अन्तिम किताब क़ुरआन मजीद है, जो अन्तिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतारी गई। जिन ग़ैबी (परोक्ष) सच्चाइयों का गहरा ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िन्दगी और मौत के बाद कामयाबी से है, क़ुरआन मजीद उनको प्रमाणित तरीक़े से बयान करता है।

(2) क़ुरआन मजीद अल्लाह तआला की तरफ़ से उतारी गई वह किताब है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसमें इनसानी कलाम (कथनों) की मिलावट नहीं है और न इसमें परिवर्तन हुए, काट-छाँट और इज़ाफ़ा भी इसमें नहीं हुआ। इसके अन्दर ख़ुदाई हिदायत और रहनुमाई पूरे तौर पर सुरक्षित है। क़ुरआन मजीद के अलावा बुनियादी मज़हबी (धार्मिक) किताबों में अख़लाक़ी शिक्षाएँ और उपदेश व नसीहत की बातें मिलती हैं, लेकिन ज़िन्दगी के लिए ऐसा अमली दस्तूर (विधान) नहीं मिलता कि व्यक्ति की तरबियत, ख़ानदान की इस्लाह (सुधार) और समाज की तामीर हो सके।

(3) क़ुरआन मजीद के अलावा दूसरी किताबों से उनके उतारे जाने का

असली मक़सद आज हासिल नहीं हो रहा है, यानी ईश्वरीय हिदायत और रहनुमाई की प्राप्ति। दूसरा पहलू यह भी है कि ये किताबें ख़ास ज़माने, ख़ास क़ौमों और सीमित दौर के लिए उतारी गई थीं। अब ख़ुदाई हिदायत और रहनुमाई के लिए क़ुरआन मजीद की तरफ़ ही लौटकर आना है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन किताबों का एहतिराम बाक़ी नहीं रहा, या वे अल्लाह की तरफ़ से उतारी हुई नहीं रहीं। उन किताबों का एहतिराम किया जाना चाहिए और तमाम किताबें जो दलील की बुनियाद पर अल्लाह की उतारी हुई हैं, उन्हें भी ख़ुदाई किताब मानना चाहिए, लेकिन सच्चाई और हक़ीक़त सबसे बढ़कर क़ीमती सरमाया है। इसलिए क़ुरआन मजीद जो अन्तिम ईश्वरीय किताब है, उसे मानना चाहिए, उसपर ईमान लाना चाहिए और उसकी हिदायत पर अमल करना चाहिए।

क़ुरआन मजीद का इनकार तमाम किताबों का इनकार है। क़ुरआन मजीद को मान लेना कि यह अल्लाह की आख़िरी किताब है, मानो तमाम किताबों की तस्दीक़ (पुष्टि) करना है। इसी तरह क़ुरआन मजीद पर अमल से पिछली तमाम किताबों की तालीम पर अमल हो जाता है।

(4) क़ुरआन मजीद में पिछली तमाम किताबों का ख़ुलासा आ गया है। पिछली किताबों के अस्ल पैग़ाम, ख़ुदाई हिदायत और शिक्षाओं को क़ुरआन मजीद ने कामिल और व्यापक रूप में अपने अन्दर शामिल और सुरक्षित कर लिया है। क़ुरआन मजीद पिछली किताबों का प्रतिपक्षी या मुख़ालिफ़ नहीं है, बल्कि उनका निगहबान (संरक्षक) और निगराँ है, उनकी अस्ल तालीम और पैग़ाम की तस्दीक़ (पुष्टि) करनेवाला है। इसलिए क़ुरआन मजीद का एलान है कि वह आसमानी किताबों से अलग कोई नई दावत या नया पैग़ाम हरगिज़ नहीं पेश कर रहा है, बल्कि उन किताबों की असली तालीमात (शिक्षाओं) और उसूलों को आख़िरी बार पूरी इनसानियत के लिए ख़ालिस और प्रमाणिक तरीक़े से पेश कर रहा है। इसलिए पिछली किताबों के माननेवालों को क़ुरआन मजीद के ख़ुदाई कलाम और ख़ुदाई किताब मान लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।

(5) क़ुरआन मजीद का इनकार या उसे सिर्फ़ मुसलमानों की क़ौमी

किताब मान करके उसके अध्ययन से लापरवाही बरतना सही नहीं है, इसलिए कि दुनिया में कोई और प्रमाणिक ज़रिआ हिदायत का मौजूद नहीं है। ईश्वर की हिदायत तो उसकी सुरक्षित किताब क़ुरआन मजीद में ही है। उसको समझने के लिए वह्य (प्रकाशना) लानेवाले पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की ज़िन्दगी का अध्ययन भी मदद देता है।

(6) क़ुरआन मजीद का इनसान पर सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसके ज़रिए से ख़ुदाई हिदायत और मुकम्मल रहनुमाई, सुरक्षित और व्यापक तरीक़े से ही इनसान को मिल सकती है। इसके साथ इनसान के पारलौकिक अंजाम के सिलसिले में सफलता और असफलता के कारणों से वह आगाह करता है। मौत इनसान की ज़िन्दगी का अन्त कर देती है। कोई ताक़त इनसान को मौत के पंजे से बचा नहीं सकती। अमल (कर्म) के लिए ज़िन्दगी बस एक ही बार मिली है। क़ुरआन मजीद पूरे ज़ोर के साथ प्रमाण देकर ख़बरदार करता है कि मौत के बाद एक स्थाई और लाफ़ानी (अनश्वर) ज़िन्दगी का आरम्भ होता है। वहाँ की कामयाबी असली कामयाबी है और नाकामी हमेशा की नाकामी है।

मानवता पर क़ुरआन के उपकार

आज से पन्द्रह सौ साल पहले क़ुरआन मजीद के उतरने के मौक़े पर दुनिया में बहुत-से धर्म, धार्मिक लोग, धार्मिक रहनुमा और धार्मिक किताबें पाई जाती थीं, लेकिन ग़ैबी (परोक्ष की) हक़ीक़तों के बारे में इनसान अनेकों ग़लतफ़हमियों का शिकार था। जब कि ग़ैबी हक़ीक़तों के क़बूल व इनकार का मामला आसान नहीं है, बल्कि इनसान की अमली ज़िन्दगी और उसके निजी और सामूहिक तर्ज़े-अमल से इसका गहरा ताल्लुक़ है। क़ुरआन ने इस सिलसिले में स्पष्ट रहनुमाई की है। दूसरा पहलू यह है कि क़ुरआन ने इस सिलसिले में एक तरफ़ धर्म की विशेषताओं को बताया, दूसरी तरफ़ धर्म के अधूरे विचारों व ख़यालों को सुधारा।

ये सब क़ुरआन के इनसानियत पर बड़े-बड़े एहसान और उपकार हैं। इन एहसानों को एक तरतीब से नीचे लिखा जा रहा है—

1. स्रष्टा की सही कल्पना, उसकी सिफ़ात (गुणों) का ज्ञान, 2. ज़िन्दगी और कायनात की सही कल्पना और इनसान की सही हैसियत का बयान, 3. इल्म (ज्ञान) हासिल करने पर ज़ोर, 4. इनसान की ज़िन्दगी के मक़सद का परिचय, 5. अक़ीदा (आस्था) और धर्म की आज़ादी का एलान, 6. आलोचना की आज़ादी को सुनिश्चित करना, 7. ईश्वर से बन्दे के सीधे ताल्लुक़ की बात (पुरोहितवाद नहीं), 8. ख़ुदा के एक होने, सब एक आदम की सन्तान, सबका एक दीन होने की तालीम, 9. औरत के हुक़ूक़ (अधिकारों) का निश्चित होना, 10. रंग व नस्ल की बरतरी का अन्त, 11. ग़ुलामी का अन्त, 12. इनसानी अधिकारों की सुरक्षा, 13. धार्मिक उदारता और दानशीलता का एलान, 14. जंग के क़ानून व नियमों को बनाना, सबके साथ न्याय पर आधारित बरताव का एलान, 15. समाजी इनसाफ़ की उपलब्धता, 16. ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए दस्तूर और मुकम्मल जीवन-व्यवस्था (निज़ामे-हयात) की निशानदेही।

क़ुरआन से मार्गदर्शन पानेवाले और उससे वंचित रहनेवाले कौन हैं?

ईश्वर का मार्गदर्शन ही अस्ल मार्गदर्शन है, उसने इनसान को पैदाइशी गुनाहगार नहीं बनाया, बल्कि नेक और सीधा-सच्चा पैदा किया। उसने इनसान की ज़िन्दगी के लिए जो रास्ता पसन्द किया और जो अमली दस्तूर पूरी ज़िन्दगी के लिए तय किया उसे क़ुरआन में विस्तार से बयान किया है। उसकी योजना (स्कीम) में सिर्फ़ किताब उतार देना ही नहीं था, बल्कि उसने क़ुरआन लानेवाले पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) को अपना अन्तिम पैग़म्बर मुक़र्रर किया। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की मुबारक ज़िन्दगी चलता-फिरता क़ुरआन थी। नबी (सल्ल॰) ने अपने कथनों से क़ुरआन की आयतों की व्याख्या की और अमल करके एक आदर्श (मॉडल) भी छोड़ा। क़ुरआन में पैग़म्बर की हैसियत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की तालीमी और तरबियती ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं।

ख़ुदा की हिदायत अंधी बाँट नहीं है। ऐसे नादान भी हैं जो अपने भले-बुरे अंजाम और मौत के बाद हमेशा की ज़िन्दगी की कामयाबी और नजात में दिलचस्पी नहीं रखते। नेकी और भलाई की तरफ़ तवज्जोह नहीं करते। वे हिदायत कैसे पाएँगे? जो इनसान किसी दलील, इल्म और दूरदर्शिता के बग़ैर यह समझता है कि ज़िन्दगी सिर्फ़ खाने-पीने और मर जाने के लिए है और कोई पूछ-गछ न होगी, वह ग़ैर ज़िम्मेदाराना रवैए से क्योंकर बचेगा? वह तो कहेगा कि दुनिया की ज़िन्दगी में ज़्यादा-से-ज़्यादा ऐश करना ही अस्ल कामयाबी है। इस कामयाबी के लिए ज़ुल्म-ज़्यादती, धोखा-फ़रेब और झूठ सब सही है। ऐसे इनसान को ख़ुदा की ख़ुशनूदी और हिदायत से क्या दिलचस्पी हो सकती है?

नादानों के बरख़िलाफ़ समझदार इनसान दलील, इल्म और दूरदर्शिता की बुनियाद पर यक़ीन करता है कि वह अल्लाह का नायब और ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) है। उसकी यह हैसियत बहुत अहम है, क्योंकि इनसान इसकी बिना पर इख़्तियारात रखता है और अपने परवरदिगार के आगे एक

जवाबदेह हस्ती है। अल्लाह ने उसे ज़िन्दगी दी है। ज़िन्दगी के मक़सद को पूरा करना इनसान के लिए ज़रूरी है। यानी अल्लाह की हिदायत पर अमल करना उसके लिए ज़रूरी है। इनसान अगर ऐसा नहीं करे तो नाकाम (असफल) होगा, चाहे दुनिया की ज़िन्दगी में उसने ख़ुद अपने गुनाह से बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दिए हों। आख़िरत (परलोक) में उसको ज़बरदस्त नुक़सान का सामना होगा। अल्लाह तआला का फ़रमान है–

> "ऐ नबी! उनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएँ कि अपने कर्मों में सबसे ज़्यादा असफल और नामुराद लोग कौन हैं? वे कि दुनिया की ज़िन्दगी में जिनकी सारी कोशिश सीधे रास्ते से भटकी रही और वे समझते रहे कि वे सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की शिक्षाओं को मानने से इनकार किया और उस (अल्लाह) के सामने पेशी का यक़ीन न किया। इसलिए उनके सारे कर्म (अमल) अकारथ हो गए, क़ियामत के दिन हम उन्हें कोई वज़न न देंगे। उनका बदला जहन्नम है, उस इनकार के बदले में जो उन्होंने किया और उस मज़ाक़ के बदले में जो मेरी शिक्षाओं और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंनें अच्छे कर्म किए, उनके आतिथ्य (मेहमान-नवाज़ी) के लिए फ़िरदौस के बाग़ होंगे, जिनमें वे हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं और जाने को उनका जी न चाहेगा।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-18 कहफ़, आयतें-103 से 108)

जानना चाहिए कि अल्लाह किसी को ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देता। अगर कोई इनसान ख़ुद टेढ़े रास्ते पर चलना चाहता है तो अल्लाह ज़बरदस्ती उसे सीधे रास्ते पर नहीं चलाएगा। हिदायत क़बूल करना और उसपर अमल करना इनसान की ज़रूरत है, अल्लाह की नहीं। दुनिया के तमाम इनसान आरंभ से अन्त तक हिदायत क़बूल करके सब नेक बन जाएँ तो उसकी ख़ुदाई (प्रभुसत्ता) में मच्छर के पर के बराबर भी कोई इज़ाफ़ा नहीं होगा। इसके बरख़िलाफ़ सब-के-सब इनसान हिदायत को छोड़ दें, नाफ़रमान और

बाग़ी बनकर ज़िन्दगी बसर करें तो उसकी ख़ुदाई में मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं होगी।

कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह का सामीप्य पाने और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए किसी गुरु (रहनुमा) का होना ज़रूरी है। ऐसे गुरु को मानकर अपनी ज़िन्दगी उनके हवाले कर देना चाहिए। गुरु की हर बात ख़ुदा की तरफ़ से होती है। उसका इनकार करके इनसान अल्लाह को नहीं पा सकता। इस बारे में बुनियादी सवाल यह है कि क्या अल्लाह ने अपनी किसी किताब में यह बात फ़रमाई है? क्या किसी गुरु का यह दावा है कि अल्लाह ने उसको इनसानों की हिदायत और रहनुमाई (मार्गदर्शन) के लिए नियुक्त किया है? अस्ल में रहनुमाई का मक़ाम तो पैग़म्बर का है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) आख़िरी पैग़म्बर हैं, अब वे रहती दुनिया तक तमाम इनसानों के अस्ल और सच्चे मार्गदर्शक और रहनुमा हैं। अगर कोई गुरु या रहनुमा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की तालीमात (शिक्षाओं) और रहनुमाई को पेश करता है और उसका अमल भी उसपर है तो उसकी तरबियत से लाभ उठाया जा सकता है। इन बातों की तफ़सील क़ुरआन और ख़ुद पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाओं में मौजूद है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) की तरफ़ से हिदायत और रहनुमाई अस्ल में अल्लाह तआला की हिदायत और रहनुमाई है। आप (सल्ल॰) से पहले जितने भी पैग़म्बर आए थे, वे अपने ज़माने में अपनी-अपनी क़ौमों के लिए मार्गदर्शक, रहनुमा और धार्मिक गुरु थे। आप (सल्ल॰) के बाद अब किसी नए पैग़म्बर या गुरु का इन्तिज़ार नहीं करना है। नबी (सल्ल॰) पर जो क़ुरआन तेईस बरसों में थोड़ा-थोड़ा करने उतरा वह पूरी तरह सुरक्षित है, नबी (सल्ल॰) की सारी बातें और काम, बल्कि पैग़म्बराना ज़िन्दगी की तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल और सुरक्षित हैं। इसलिए अब किसी पैग़म्बर और धार्मिक गुरु की ज़रूरत बाक़ी नहीं। मौलाना मौदूदी (रह॰) हिदायत और गुमराही के उसूल की व्याख्या (तशरीह) करते हुए लिखते हैं—

"इनसान जब एक मर्तबा ख़ुदा की तरफ़ मुतवज्जह हो जाता है तो उसको ख़ुद-ब-ख़ुद वह रास्ता दिखाई देने लगता है जो उसे सीधा ख़ुदा की

तरफ़ ले जाता है और जो आदमी सिरे से यह एहसास ही नहीं रखता कि मुझे कभी ख़ुदा के सामने हाज़िर होना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है, उसको लाख कोई आदमी हक़ की बात सुनाए और उपदेश व नसीहत करे, कोई बात उसके दिल में नहीं उतरती और वह किसी तरह सीधे रास्ते पर नहीं आता।" (तफ़हीमात, जिल्द-1, पृष्ठ-30)

ख़ुदाई हिदायत पाने और गुमराही से बचने की सुयोग अल्लाह ही की तरफ़ से मिलता है, लेकिन इसके लिए इनसान के अन्दर तलब और चाहत का होना ज़रूरी है। हिदायत पाने और गुमराही से बचने का मसला हर इनसान की ज़िन्दगी का बड़ा और महत्वपूर्ण मसला है। यह अलग बात है कि कोई इनसान इस मसले से ख़ुद को अलग कर ले, या इससे लापरवाही बरते। इनसान को हिदायत पाने के लिए किस तरह का तर्ज़े-अमल अपनाना चाहिए? मौलाना मौदूदी (रह०) लिखते हैं—

"कभी ऐसा होता है कि एक मुद्दत तक इनसान हिदायत और गुमराही के बीच असमंजस में रहता है, कभी इधर खिंचता है, कभी उधर। फ़ैसले की ताक़त इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि बिलकुल किसी एक तरफ़ यकसू हो जाए, कुछ बदक़िस्मत इसी असमंजस के आलम में दुनिया से चल बसते हैं। कुछ का आख़िरी फ़ैसला गुमराही के हक़ में होता है और कुछ एक बड़ी लम्बी कशमकश के बाद ख़ुदाई हिदायत का इशारा पा लेते हैं, मगर सबसे ज़्यादा कामयाब वे सरल स्वभाव, नेक-पाक दिल लोग होते हैं जो ख़ुदा की दी हुई अक़्ल, उसकी प्रदान की हुई आँखों, उसके दिए हुए कानों और उसकी अमानत के रूप में दी हुई शक्तियों से ठीक-ठीक काम लेते हैं, अवलोकनों और तजरिबात से सही व ठीक नतीजे ग्रहण करते हैं। ख़ुदाई आयतों (निशानियों) को देखकर उनसे सही सबक़ हासिल करते हैं, बातिल (झूठ) की शोभा उनको रिझाने में असफल होती हैं। झूठ (असत्य) का फ़रेब उनको अपनी ओर खींच नहीं पाता। गुमराहियों की टेढ़ी राहों को देखते ही वे समझ लेते हैं कि ये आदमी के चलने के क़ाबिल नहीं हैं, फिर जैसे ही वे हक़ (सत्य) की तरफ़ पलटते हैं और उसकी तलब में आगे बढ़ते हैं, हक़ उनके स्वागत के लिए आता है, हिदायत का नूर (दिव्य प्रकाश) उनके सामने

चमकने लगता है और हक़ को हक़ समझ लेने, बातिल (असत्य) को बातिल जान लेने के बाद फिर दुनिया की ताक़त उनको सीधे रास्ते से फेरने और गुमराही की तरफ़ लगाने में कामयाब नहीं होती।"

(तफ़हीमात, जिल्द-1, पृष्ठ-32)

हिदायत (मार्गदर्शन) पानेवाले

कुरआन की सूरा-2 बक़रा की शुरू की आयतों में कुरआन मजीद से हिदायत पाने के लिए ज़रूरी बातों का वर्णन है—

"यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई सन्देह नहीं। हिदायत है उन परहेज़गारों के लिए, जो ग़ैब (परोक्ष) पर ईमान लाते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से ख़र्च करते हैं, जो किताब तुम पर उतारी गई है (यानी क़ुरआन) और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थीं उन सबपर ईमान लाते हैं और आख़िरत (परलोक) पर यक़ीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ़ से सीधे रास्ते पर हैं और वही कामयाबी पानेवाले हैं।" (कुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयतें-2 से 5)

कुरआन से हिदायत पाने के लिए ज़रूरी है कि इनसान अपने अन्दर अपने स्रष्टा, उपकारक, आक़ा और अकेले परम पूज्य प्रभु, अल्लाह की ख़ुशनूदी और रज़ा को पाने का जज़बा (भावना) पैदा करे। अल्लाह तआला का फ़रमान है—

"तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से रौशनी आ गई है और एक ऐसी वाज़ेह (स्पष्ट) करनेवाली किताब जिसके ज़रिए से अल्लाह तआला उन लोगों को जो उसकी रज़ा के तालिब (इच्छुक) हैं, सलामती के तरीक़े बताता है और अपने आदेश से उनको अंधेरों से निकालकर उजाले की तरफ़ लाता है और सीधे रास्ते की तरफ़ उनकी रहनुमाई करता है।"

(कुरआन, सूरा-5 माइदा, आयतें-15,16)

मानो अल्लाह की प्रसन्नता चाहनेवालों के लिए क़ुरआन हिदायत (मार्गदर्शन) का सामान मुहैया करता है। वह हक़ (सत्य) की दावत पेश

करता है। वह यह भी बताता है कि हक़ की दावत पर आगे कौन लोग बढ़ते हैं–

"हक़ की दावत को क़बूल वही लोग करते हैं जो सुननेवाले हैं। रहे मुर्दे, तो उन्हें अल्लाह बस क़ब्रों ही से उठाएगा और फिर वे (उसकी अदालत में पेश होने के लिए) वापस लाए जाएँगे।"

(क़ुरआन, सूरा-6 अनआम, आयत-36)

मौलाना मौदूदी (रह०) इस आयत की व्याख्या में लिखते हैं–

"सुननेवालों से मुराद वे लोग हैं जिनके ज़मीर ज़िन्दा हैं, जिन्होंने अपनी अक़्ल व फ़िक्र को निलम्बित नहीं कर दिया है और जिन्होंने अपने दिल के दरवाज़ों पर पक्षपात और जुमूद (जड़ता) के ताले नहीं चढ़ा दिए हैं। इनके मुक़ाबले में मुर्दा वे लोग हैं जो लकीर के फ़कीर बने अंधों की तरह चले आ रहे हैं और उस लकीर से हटकर कोई बात क़बूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वह बिलकुल स्पष्ट सत्य ही क्यों न हो।"

(तर्जमा क़ुरआन मजीद, मुख़्तसर हवाशी सहित, पृष्ठ-247)

क़ुरआन की हिदायत और रहनुमाई से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि इनसान इस दुनिया की नापाएदारी, कुछ ही दिनों की ज़िन्दगी की हक़ीक़त को ठीक-ठीक समझ ले और मौत के बाद आख़िरत की हमेशा की ज़िन्दगी के बारे में क़ुरआन की शिक्षा क़बूल कर ले। आख़िरत एक ग़ैबी हक़ीक़त है। अल्लाह तआला की मेहरबानी है कि उसने इस अहम हक़ीक़त से बेख़बर नहीं रखा, बल्कि बाख़बर किया। जो इनसान दुनिया और आख़िरत की ज़िन्दगी के बारे में क़ुरआन की तालीम को तस्लीम नहीं करता, वह हिदायत नहीं पा सकता।

क़ुरआन मजीद से हिदायत पाने के लिए इस बात का यक़ीन ज़रूरी है कि क़ियामत होगी और सारे इनसान अल्लाह के सामने हाज़िर किए जाएँगे और हर एक के आमाल (कर्मों) की पूछताछ होगी। ईमान और नेक अमल जिनके पास हैं वे जन्नती होंगे और उससे महरूम (वंचित) लोग जहन्नम में जाएँगे। अल्लाह का फ़रमान है–

"वास्तविकता यह है कि जो लोग हमसे मिलने की आशा नहीं रखते और दुनिया की ज़िन्दगी पर राज़ी और मुत्मइन हैं, और

जो लोग हमारी निशानियों से ग़ाफ़िल हैं उनका आख़िरी ठिकाना जहन्नम होगा, उन बुराइयों के प्रतिकार में जिनका अर्जन वे (अपनी इस ग़लत धारणा और ग़लत नीति के कारण) करते रहे, और यह भी सत्य है कि जो लोग ईमान लाए (यानी जिन्होंने उन सच्चाइयों को माना जो इस किताब में सामने लाई गई हैं) और अच्छे काम करते रहे तो उन्हें उनका रब उनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा, नेमत भरी जन्नतों में उनके नीचे नहरें बहेंगी। वहाँ उनकी पुकार यह होगी कि "पाक है तू ऐ अल्लाह" और उनकी दुआ यह होगी कि "सलामती हो" और उनकी हर बात का अन्त इसपर होगा कि "सारी तारीफ़ सारे जहान के रब अल्लाह ही के लिए है।"

(क़ुरआन, सूरा-10 यूनुस, आयतें-7 से 10)

क़ुरआन की सबसे बड़ी तालीम तौहीद (एकेश्वरवाद) है। क़ुरआन तौहीद के हक़ में, इनसान की ज़ात और कायनात में मौजूद निशानियाँ बयान करता है और दूसरी दलीलें (प्रमाण) देकर उसे मानने की दावत देता है। तौहीद का विलोम शब्द शिर्क (बहुदेववाद) है, यानी अल्लाह की ज़ात, गुणों और अधिकारों में किसी को शरीक करना। अल्लाह शिर्क (जो सबसे बड़ा गुनाह है) को आख़िरत में माफ़ नहीं करेगा, सिवाए इसके कि मौत से पहले इनसान सच्चे दिल से शिर्क से तौबा कर ले। शिर्क का आख़िरी अंजाम जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब है। क़ुरआन से मालूम होता है कि शिर्क के लिए कोई दलील नहीं है, बल्कि अनुमान और गुमान इसका उत्प्रेरक है। शिर्क की बुनियाद हक़ पर नहीं है। अल्लाह का फ़रमान है—

"इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक़ की तरफ़ रहनुमाई करता है? कहो, वह सिर्फ़ अल्लाह है जो हक़ की तरफ़ रहनुमाई करता है। फिर भला बताओ कि जो हक़ की तरफ़ रहनुमाई करता है वह इसका ज़्यादा हक़दार है कि उसकी पैरवी (आज्ञा-पालन) की जाए या वह जो ख़ुद राह नहीं पाता, सिवाए इसके कि उसकी रहनुमाई की जाए?

> आख़िर तुम्हें क्या हो गया है, कैसे उलटे फ़ैसले करते हो? सत्य बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ़ गुमान के पीछे चले जा रहे हैं। हालाँकि गुमान हक़ की ज़रूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको ख़ूब जानता है, और यह क़ुरआन वह चीज़ नहीं है जो अल्लाह की वह्य (प्रकाशना) और तालीम के बग़ैर तसनीफ़ कर (रच) लिया जाए, बल्कि यह तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी पुष्टि और विशिष्ट किताब का विस्तार है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विश्व के शासक की तरफ़ से है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-10 यूनुस, आयतें-34 से 37)

इनसान अपनी मन की इच्छाओं की बे-लगाम पैरवी (अनुपालन) करने लगे तो अल्लाह की हिदायत को नहीं पा सकता। ख़ुदा का फ़रमान है—

> "और उस आदमी से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो ख़ुदाई हिदायत के बग़ैर बस अपनी मन की इच्छाओं की पैरवी करे? अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हरगिज़ हिदायत नहीं दिया करता।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-28 क़सस, आयत-50)

इनसान क़ुरआन के मार्गदर्शन से वंचित उस वक़्त भी होता है जब वह खेल-तमाशे, गाने-बजाने और व्यर्थ कामों में व्यस्त होकर क़ुरआन से दूरी अपनाता है। इतना ही नहीं, बल्कि वह क़ुरआन की तरफ़ घमंड की वजह से तवज्जोह नहीं करता, बिलकुल ध्यान ही नहीं देता। अल्लाह का फ़रमान है—

> "और इनसानों में से कोई ऐसा भी है जो दिल बहलानेवाली बातें ख़रीदकर लाता है, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म (ज्ञान) के बिना भटका दे और इस रास्ते की दावत (बुलावे) को मज़ाक़ में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही अपमानजनक अज़ाब है। उसे जब हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो वह बड़े घमंड के साथ इस तरह मुँह फेर लेता है मानो उसने उन्हें सुना ही नहीं, मानो उसके कान बहरे हैं। ख़ुशख़बरी दे दो उसे एक दर्दनाक अज़ाब की। अलबत्ता जो लोग ईमान

ले आएँ और अच्छे कर्म करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। यह अल्लाह का पक्का वादा है, और वह ज़बरदस्त और हिकमतवाला (तत्त्वदर्शी) है।"

(क़ुरआन, सूरा-31 लुक़मान, आयतें-6, 9)

इनसान के लिए अच्छाई और भलाई और सलामती का रास्ता यह है कि वह कही जानेवाली बात को ग़ौर से सुने फिर दलीलों (प्रमाणों) की बुनियाद पर उसके सही या ग़लत होने को जाँचे। अपनी भलाई को सामने रखकर क़बूल करे। अल्लाह तआला का फ़रमान है—

"अतः (ऐ नबी!) ख़ुशख़बरी दे दो मेरे उन बन्दों को जो बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके अच्छे-से-अच्छे पहलू का अनुपालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिनको अल्लाह ने सीधा मार्ग दिखाया है और यही बुद्धिमान हैं।"

(क़ुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, आयतें-17, 18)

क़ुरआन का एक परिचय ख़ुद क़ुरआन में इस तरह बयान किया गया है—

"अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है। एक ऐसी किताब जिसके सभी अंश परस्पर मिलते-जुलते हैं और जिसमें बार-बार विषय-विवरण दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरनेवाले हैं, और फिर उनके शरीर और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ़ उन्मुख (मुतवज्जह) हो जाते हैं। यह अल्लाह का मार्ग-प्रदर्शन है, जिससे वह सन्मार्ग पर ले आता है जिसे चाहता है।"

(क़ुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, आयत-23)

"अल्लाह जिसे चाहता है अपनी हिदायत और सीधे रास्ते पर ले आता है" का मतलब यह है कि जिस इनसान को हिदायत पाने और सीधे रास्ते या अल्लाह के पसन्दीदा रास्ते पर चलने में दिलचस्पी नहीं है, उसे अल्लाह ज़बरदस्ती सीधे रास्ते पर नहीं चलाता, बल्कि जो अपनी हिदायत का चाहनेवाला हो, तलब और दिलचस्पी हो उसे हिदायत नसीब होती है। हिदायत चाहनेवाले के लिए अल्लाह उस राह पर चलना आसान कर देता है।

इस अध्याय में अब तक यह बताने की कोशिश की गई कि हिदायत पानेवाले कौन होते हैं और इससे वंचित कौन रहते हैं? यह अध्याय इस किताब का अहम हिस्सा है। हर इनसान किसी भी अक़ीदे और रास्ते को अपना लेने या छोड़ देने के लिए आज़ाद है, लेकिन दुनिया की इस कुछ दिनोंवाली इम्तिहानी ज़िन्दगी में इनसान की इस बात की आज़माइश हो रही है कि वह ख़ुदा की हिदायत और रहनुमाई को अपने लिए चयन करता है या उसका इनकार कर देता है। ज़रा सोच-विचार कीजिए कि अगर वह इसमें ग़लती कर बैठे या इसकी ग़ैर-मामूली अहमियत ही को न समझे तो मौत के बाद हमेशा रहनेवाली ज़िन्दगी में कितनी बड़ी नाकामी को उसे जहन्नम के अज़ाब के रूप में देखना पड़ेगा। यह ज़िन्दगी अमल के लिए एक बार मिली है। मौत के बाद कोई इनसान दोबारा दुनिया में न पहले कभी आया था और न आइन्दा इसकी कोई संभावना है। इसलिए क़ुरआन मुतवज्जह करता है कि इनसान ख़ूब सोच-समझकर काम करे। मौत के बाद की ज़िन्दगी में हमेशा की कामयाबी हासिल कर लेने के लिए और नाकामी से बचने के लिए फ़ैसला करे।

क़ुरआन सबके लिए आम है, लेकिन इससे फ़ायदा उठाने के लिए कुछ बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है—

1. इनसान के अन्दर हिदायत की तलब, दिलचस्पी, लगाव और तड़प का होना ज़रूरी है। वह अपने तौर पर भी अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह हो।
2. इनसान को अपने भले-बुरे अंजाम की फ़िक्र होनी चाहिए। बे-फ़िक्री और लापरवाही की ज़िन्दगी बसर करके अचानक मौत की दुर्घटना से दोचार हो जाए तो इसका अंजाम क्या होगा?
3. अपनी मौत के बाद हमेशा के लिए एक कामयाब ज़िन्दगी पाने और हमेशा की नाकामी (असफलता) से बचने की ख़ाहिश और फ़िक्र इनसान के अन्दर होनी चाहिए।
4. अपनी ज़िन्दगी और पैदाइश के मक़सद को ख़ुदा (स्रष्टा) की मरज़ी के मुताबिक़ पूरा करने का पक्का इरादा और शऊर होना चाहिए।
5. ग़ैबी हक़ीक़तों पर ईमान लाना यानी दिल से मान लेना और ज़बान से

एलान करना ज़रूरी है। वह अल्लाह, ज़िन्दगी बाद मौत, फ़रिश्तों, जन्नत और दोज़ख़ वग़ैरा ग़ैबी सच्चाइयों को इल्म व अक़्ल और दूरदर्शिता से काम लेते हुए ख़ुदा की किताब की व्याख्याओं की बुनियाद पर क़बूल कर ले।

6. हिदायत के लिए अल्लाह की उतारी हुई बातों को ध्यान लगाकर सुनने और समझने की कोशिश करना और उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करना ज़रूरी है।
7. उसके अन्दर अपने स्रष्टा, उपचारक, नेमतों का दाता, परम पूज्य अल्लाह की ख़ुशनूदी (प्रसन्नता) को पाने और उसकी नाराज़ी (अप्रसन्नता) से बचने की सच्ची भावना होनी चाहिए।
8. इनसान शान्तिमय स्वभाववाला बनने की कोशिश करे। उसके अन्दर ज़मीर और फ़ितरत के मुतालबों को हक़ की रौशनी में पूरा करने के लिए आमादगी होनी चाहिए।
9. ज़िन्दगी में पेश आनेवाली घटनाओं, हादसों, तजरिबों, अनुभवों और अवलोकनों से सही सबक़ सीखना चाहिए और ठीक-ठाक नतीजे निकालने चाहिएँ।
10. निजी ज़िन्दगी में अच्छाई, भलाई और नेकी के कामों में इनसान को दिलचस्पी लेनी चाहिए। इसी तरह बुराई, फ़साद, बिगाड़ और ज़ुल्म-ज़्यादती के कामों से बचना चाहिए।
11. अल्लाह ने जो रोज़ी दे रखी है उसमें से बन्दों के हक़ को क़बूल करके दिली लगाव के साथ उनपर ख़र्च करना चाहिए।

हिदायत (मार्गदर्शन) से वंचित रहनेवाले

क़ुरआन के मार्गदर्शन से वंचित लोग कौन हैं? क़ुरआन में इसको भी विस्तार के साथ बताया गया है। निम्नलिखित बुरी सिफ़ात (अवगुण) इनसान को हिदायत (मार्गदर्शन) से वंचित रखती हैं—

1. ग़ुरूर और घमंड में मुब्तला होना।
2. शिर्क (बहुदेववाद) पर क़ायम होना।
3. आख़िरत की ज़िन्दगी और कर्मों की पूछ-ताछ का इनकार करना, मानो

दूसरे शब्दों में ग़ैबी सच्चाइयों को क़बूल करने से इनकार करना।

4. आबा-परस्ती यानी आँखबन्द करके बाप-दादा के रास्ते पर चलते रहना।
5. मन की इच्छाओं की बेलगाम पैरवी (अनुपालन) करना।
6. अच्छाइयों, भलाइयों और नेकियों से दिलचस्पी न होना और बुराई, फ़साद, बिगाड़ के कामों में बढ़कर दिलचस्पी लेना।
7. अंध-विश्वासों, क़यासों और गुमान में फँसकर रह जाना।
8. क़ौमी, नसली और भाषाई बरतरी के ग़लत जज़्बे में दूसरों के लिए अपमानजनक रवैया इख़्तियार करना।
9. पक्षपात का शिकार हो जाना।
10. दुनिया ही की ज़िन्दगी को अस्ल समझकर उसपर मुत्मइन होकर आख़िरत को भूल जाना।
11. ज़िन्दगी को नाच-गाने, शराब, खेल-कूद और व्यर्थ कामों में बसर करना। जब आप क़ुरआन का गहन अध्ययन करेंगे तो ये सब विषय बार-बार आपके सामने आते ही रहेंगे।

क़ुरआन की बुनियादी शिक्षाएँ

(I) तौहीद (एकेश्वरवाद)

क़ुरआन की सबसे बड़ी, बुनियादी और अहम शिक्षा 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) है, यानी एक स्रष्टा, पालनहार, मालिक, पूज्य-प्रभु को उसकी सभी महान विशिष्टताओं के साथ दिल से मानना, उसके साथ किसी को किसी भी हैसियत में शरीक न करना। तौहीद के अलावा क़ुरआन की बुनियादी शिक्षाएँ निम्नलिखित हैं—

पैग़म्बरी का अक़ीदा, यानी इनसानों की हिदायत के लिए पैग़म्बरों का आना।

आख़िरत का अक़ीदा, यानी मरने के बाद एक हमेशा की ज़िन्दगी को मानना।

क़ुरआन को ठीक-ठीक समझकर हिदायत पाने के लिए इन तीनों बुनियादी शिक्षाओं (अक़ीदों) को समझना निहायत ज़रूरी है। क़ुरआन बेहतरीन दलीलों, दिलनशीन अन्दाज़ और हिकमत से भरे तरीक़े से इन बुनियादी शिक्षाओं को प्रभावी अन्दाज़ से समझाता है। क़ुरआन की ये शिक्षाएँ दुनिया के तमाम इनसानों के लिए आम हैं। ख़ुद इनसान के अन्दर उसके वुजूद (अस्तित्व) में और कायनात में फैली हुई सैकड़ों निशानियाँ इन हक़ीक़तों की पुष्टि (तस्दीक़) करती हैं। क़ुरआन उनपर ग़ौर-फ़िक्र की तरफ़ दावत देता है—

> "लोगो! बन्दगी इख़्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुज़रे हैं उन सबका स्रष्टा है, तुम्हारे बचने की उम्मीद इसी सूरत से हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोज़ी का सामान जुटाया। अतः जब तुम जानते हो तो दूसरों को उसका समकक्ष न ठहराओ।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयतें-21, 22)

मौलाना मौदूदी (रह०) इन आयतों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—

"यानी तुम ख़ुद भी इस बात को मानते हो और तुम्हें मालूम है कि ये

सारे काम ईश्वर ही के हैं, तो फिर तुम्हारी बन्दगी उसी के लिए ख़ास होनी चाहिए। दूसरा कौन इसका हक़दार हो सकता है कि तुम उसकी बन्दगी करो? दूसरों को ईश्वर का समकक्ष ठहराने से मुराद यह है कि बन्दगी और इबादत की विभिन्न क़िस्मों में से किसी क़िस्म का रवैया ख़ुदा के सिवा दूसरों के साथ बरता जाए। आगे चलकर ख़ुद क़ुरआन ही से विस्तार के साथ मालूम हो जाएगा कि इबादतों की क़िस्में कौन-कौन सी हैं, जिन्हें सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास होना चाहिए और जिनमें दूसरों को शरीक ठहराना वह शिर्क (बहुदेववाद) है जिसे रोकने के लिए क़ुरआन आया है।"

(तफ़हीमुल-क़ुरआन, जिल्द-1, पृष्ठ-57)

क़ुरआन मजीद ने ज़िन्दगी और कायनात के स्रष्टा का पूरा परिचय कराया है। उसकी सिफ़ात (गुणों) का वर्णन किया है, अल्लाह के एक होने, उसके उच्चतम् गुणों को मानने के तक़ाज़े, असरात और नतीजे (परिणाम) विस्तार से बयान किए हैं। दिल-दिमाग़ को मुत्मइन करनेवाली दलीलें (प्रमाण) दी हैं। क़ुरआन की ख़ूबी यह है कि उसके दावे, दलीलें और बहसें बहुत साफ़ होती हैं, जिनको समझने में कोई उलझन और कठिनाई नहीं होती। क़ुरआन ने अल्लाह के बारे में बताया कि तमाम मख़्लूक़ात (सम्पूर्ण सृष्टि) और इनसान का वह अकेला स्रष्टा है। कोई दूसरी हस्ती उसकी रचना में शरीक नहीं। दुनिया में जिन जीवित और मुर्दा हस्तियों को लोगों ने अज्ञानता या अपने पूर्वजों के अनुपालन या जिहालत के कारण ख़ुदाई (ईश्वरत्व) में शरीक किया है वे भी उस अकेले ख़ुदा की मख़लूक़ हैं। अगर वे ख़ुदा (अल्लाह की पनाह) के वाक़ई शरीक होते तो पैदा क्यों होते और निश्चित समय पर मौत से दोचार क्यों होते?

स्रष्टा (ख़ालिक़) की हस्ती तमाम कमज़ोरियों से पाक है। वह किसी का मुहताज नहीं है, सब उसी के मुहताज हैं। वह किसी का एहसानमन्द नहीं है, लेकिन सब उसके एहसानमन्द हैं। वह अकेला स्रष्टा है, उसके सिवा बाक़ी सब सिर्फ़ मख़लूक़ हैं। मख़लूक़ में से कोई भी स्रष्टा या स्रष्टा के बराबर नहीं है। सृष्टि-रचना में कोई उसका शरीक नहीं है। कोई उसका हमजिंस नहीं है। क़ुरआन की एक छोटी-सी सूरा 'अल-इख़लास' है। उसमें

तौहीद के अक़ीदे का ख़ुलासा आ गया है—

"कह दो, वह अल्लाह एक है। अल्लाह बे-नियाज़ है। उसने किसी को नहीं जना और न वह ख़ुद जना गया और कोई उसका समकक्ष नहीं है।"

(क़ुरआन, सूरा-112 इख़लास, आयतें-1 से 4)

अल्लाह स्रष्टा ही नहीं, पालनहार, परवरदिगार, मालिक, आक़ा, रब और क़ानून देनेवाला भी है। इन तमाम हैसियतों में उसका कोई शरीक नहीं है। उसका कोई अवतार नहीं है। अजीब बात यह है कि उसने तो किसी भी मख़लूक़ को अपना शरीक कभी नहीं बनाया, न उसे कोई शरीक बनाने की ज़रूरत है। लेकिन नादान लोगों ने विभिन्न ज़मानों में अपनी तरफ़ से अल्लाह के शरीक ठहरा लिए। उसकी ज़ात, सिफ़ात, इख़्तियारात और अधिकारों में ज़िन्दा और मुर्दा हस्तियों को उसका शरीक बना डाला। इसका उन्हें कोई हक़ नहीं था। यह अल्लाह की शान में बहुत बड़ा दुस्साहस और गुस्ताख़ी है। ऐसे लोग ख़ुद भी सीधे रास्ते से दूर हो गए और आम इनसानों को भी ख़ुदा से दूर कर दिया। क़ुरआन में बताया गया है—

"उस व्यक्ति से ज़्यादा ज़ालिम कौन है, जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए।" (क़ुरआन, सूरा-61 सफ़्फ़, आयत-7)

ख़ुदा के वुजूद का इनकार करने के लिए कोई अक़ली और वैज्ञानिक (साइंटिफिक) दलील नहीं है। जबकि उसके वुजूद पर यक़ीन करने के लिए इनसान की ज़ात से लेकर कायनात के चप्पे-चप्पे तक निशानियाँ फैली हुई हैं।

अल्लाह अकेला पूज्य-प्रभु है। उसकी कोई सहजाति नहीं है। वह किसी की औलाद नहीं है, न उसकी कोई सन्तान है। वह तमाम अच्छी सिफ़ात (सद्गुणों) का मालिक है और हर प्रकार की कमियों-कमज़ोरियों से पाक है।

वह तमाम प्राणियों (मख़लूक़ात) को मार्गदर्शन और रहनुमाई प्रदान करनेवाला है। ख़ास तौर पर इनसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का भरपूर और मुकम्मल इन्तिज़ाम पैग़म्बरी के निज़ाम के ज़रिए से कर दिया।

अल्लाह को मानने का तक़ाज़ा यह है कि रसूलों और पैग़म्बरों को माना जाए। किसी एक पैग़म्बर का इनकार, तमाम पैग़म्बरों का इनकार है।

अल्लाह ने पैग़म्बरों के साथ किताबें उतारी हैं। अल्लाह को मानने का तक़ाज़ा यह है कि उन किताबों को माना जाए। किसी एक किताब का इनकार तमाम किताबों का इनकार है। आख़िरी किताब क़ुरआन है।

अल्लाह को मानने का तक़ाज़ा यह है कि उसकी पूरी हिदायत और रहनुमाई को भी माना जाए। दुनिया की ज़िन्दगी में इम्तिहान की ख़ातिर अल्लाह ने इनसान को आज़ादी दी है कि चाहे तो हक़ (सत्य) को क़बूल करे या इनकार कर दे। उसने इनसान की पूरी ज़िन्दगी के लिए क़ानून दिया है। उस क़ानून को क़बूल करना और अमल करना कामयाबी के लिए ज़रूरी है।

अल्लाह की वह्दानियत (एक होने) की ज़िद (विलोम) कुफ़्र, ख़ुदा का इनकार और शिर्क (बहुदेववाद) का रवैया है। मौलाना मौदूदी (रह०) ने कुफ़्र की बहुत उम्दा और सरल व्याख्या की है। वे फ़रमाते हैं—

"कुफ़्र के अस्ल मानी छिपाने के हैं। इसी से इनकार का मफ़हूम (मानी-मतलब) पैदा हुआ और यह शब्द ईमान के मुक़ाबले में बोला जाने लगा। ईमान के मानी हैं मानना— क़बूल करना, तस्लीम कर लेना। इसके बरख़िलाफ़ कुफ़्र के मानी हैं— न मानना, रद्द कर देना, इनकार करना। क़ुरआन के अनुसार कुफ़्र के रवैए की विभिन्न सूरतें हैं—

एक, यह कि इनसान सिरे से ख़ुदा ही को न माने और उसकी महान शासन-सत्ता को क़बूल न करे और उसको अपना और सारी कायनात का मालिक और माबूद (पूज्य-प्रभु) मानने से इनकार कर दे या उसे अकेला मालिक और माबूद न माने।

दूसरे, यह कि अल्लाह को तो माने, मगर उसके आदेशों और उसकी हिदायतों को इल्म (ज्ञान) और क़ानून का एक मात्र स्रोत मानने से इनकार कर दे।

तीसरे, यह कि उसूलन इस बात को भी मान ले कि उसे ख़ुदा ही की हिदायत पर चलना चाहिए, मगर अल्लाह अपनी हिदायतें और अहकाम (आदेश) पहुँचाने के लिए जिन पैग़म्बरों को वास्ता बनाता है उन्हें क़बूल न करे।

चौथे, यह कि पैग़म्बरों के बीच फ़र्क़ (अन्तर) करे और अपनी पसन्द या पक्षपात की बिना पर उनमें से किसी को माने और किसी को न माने।

पाँचवें, यह कि पैग़म्बरों ने ख़ुदा की तरफ़ से अक़ीदों (आस्थाओं), अख़लाक़ और ज़िन्दगी, क़ानून व नियमों के सम्बन्ध में जो शिक्षाएँ बयान की हैं उनको या उनमें से किसी चीज़ को क़बूल न करे।

छठे, यह कि नज़रिए के तौर पर तो उन सब चीज़ों को मान ले, मगर अमलन ख़ुदाई अहकाम (ईश्वरीय आदेशों) की जान-बूझकर नाफ़रमानी करे और उस नाफ़रमानी पर अड़िग रहे और दुनियावी ज़िन्दगी में अपने रवैए की बुनियाद फ़रमाँबरदारी पर नहीं, बल्कि नाफ़रमानी ही पर रखे।

ये सब विभिन्न सोचने और अमल करने के तरीक़े अल्लाह के मुक़ाबले में बाग़ियाना हैं। इनमें से हर एक रवैए को क़ुरआन कुफ़्र (हक़ का इनकार) से ताबीर करता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर क़ुरआन में कुफ़्र का शब्द नेमतों के इनकार के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है और शुक्र के मुक़ाबले में भी बोला गया है। शुक्र के मानी ये हैं कि नेमत जिसने दी है, इनसान उसका एहसानमन्द हो, उसके एहसान की क़द्र करे, उसकी दी हुई नेमत को उसकी मरज़ी के मुताबिक़ इस्तेमाल करे और उसका दिल अपने उपकारक के लिए वफ़ादारी के जज़बे से भरा हो। इसके मुक़ाबले (तुलना) में कुफ़्र या नेमत के इनकार का मतलब यह है कि आदमी या तो अपने उपकारक का उपकार ही न माने और उसे अपनी योग्यता या किसी दूसरे की मेहरबानी या सिफ़ारिश का नतीजा समझे, या उसकी दी हुई नेमत की नाक़द्री करे और उसे बरबाद कर दे, या उसकी नेमत को उसकी मरज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे या उसके एहसानों और उपकारों के बावजूद उसके साथ विद्रोह और बेवफ़ाई करे। इस प्रकार के कुफ़्र को हमारी ज़बान में आमतौर से एहसान-फ़रामोशी, नमक-हरामी, ग़द्दारी और नाशुक्रापन कहा जाता है।

(तफ़हीमुल-क़ुरआन, जिल्द-1, पृष्ठ-129, 130)

अल्लाह का फ़रमान है—

"तुम अल्लाह के साथ कुफ़्र का रवैया कैसे इख़्तियार करते हो, जबकि तुम बेजान थे, उसने तुमको ज़िन्दगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान निकालेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िन्दगी प्रदान करेगा, फिर उसी की तरफ़ तुम्हें पलटकर जाना है। वही

तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा कीं, फिर ऊपर की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई और सात आसमान समतल किए, और वह हर चीज़ का इल्म रखनेवाला है।"

(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयतें-28, 29)

क़ुरआन ने शिर्क का खंडन (रद्द) किया है और यह हक़ीक़त बयान की है कि शिर्क के लिए कोई अक़ली दलील नहीं है। इल्म (ज्ञान), दूरदर्शिता, मंतिक़ और सांइस के मुताबिक़ शिर्क सदाक़त (सच्चाई) का विलोम (उलट) है। शिर्क को नादान लोग सिर्फ़ इसलिए मानते हैं कि उन्होंने अपने बाप-दादा को शिर्क पर देखा है। शिर्क की बुनियाद इल्म और सत्य पर नहीं, केवल वहम व गुमान और क़ियास (अनुमान) पर है। क़ुरआन में है—

"और लोगों ने अल्लाह के कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। इनसे कहो, ज़रा उन शरीकों के नाम तो बताओ, या फिर तुम अल्लाह को ऐसी बात बताना चाहते हो कि जिसे वह अपनी ज़मीन में ख़ुद भी नहीं जानता, या तुम लोग बस यूँ ही जो मुँह में आता है कह डालते हो।" (क़ुरआन, सूरा-13 रअद, आयत-33)

"और जिसने ख़ुदा का शरीक ठहराया उसने बहुत ही बड़ा झूठ गढ़ा और सख़्त गुनाह की बात की।"

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-48)

"ये तो इन माबूदों की परस्तिश उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह इनसे पहले इनके बाप-दादा करते रहे हैं।"

(क़ुरआन, सूरा-11 हूद, आयत-109)

शिर्क की कमज़ोरी की मिसाल क़ुरआन में इन शब्दों में बयान की गई है—

"लोगो! ग़ौर से सुनो, एक मिसाल बयान की जाती है। एक को छोड़कर तुम जिन माबूदों (उपास्यों) को पुकारते हो, वे सब मिलकर अगर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, (इतना ही नहीं बल्कि) अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो वे उसे छुड़ा भी नहीं सकते। पीछा करनेवाला भी कमज़ोर और जिसका पीछा किया जा रहा है वह भी

कमज़ोर।" (क़ुरआन, सूरा-22 हज, आयत-73)

क़ुरआन में अल्लाह की सिफ़ात भी बयान हुई हैं—

"अल्लाह वह ज़िन्दा-जावेद (जीवन्त) हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई ख़ुदा नहीं है। वह न सोता है, न उसे ऊँघ आती है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसके दरबार में उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफ़ारिश कर सके? जो कुछ बन्दों के सामने है उसे भी वह जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वह वाक़िफ़ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी पकड़ की पहुँच में नहीं आ सकती, सिवाए इसके कि किसी चीज़ का इल्म ख़ुदा ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है और उनकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देनेवाला काम नहीं है। बस वही एक बुज़ुर्ग व बरतर हस्ती है।"

(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-255)

क़ुरआन में दूसरे स्थान पर अल्लाह और उसकी सिफ़ात का बयान इन शब्दों में है—

"वह अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद (पूज्य-प्रभु) नहीं। ग़ायब और हाज़िर हर चीज़ का जाननेवाला वही है। रहम करनेवाला और मेहरबान है। वह अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वह बादशाह है, निहायत मुक़द्दस (पावन), सरासर सलामती, अम्न देनेवाला, निगहबान, सबपर ग़ालिब, अपना हुक्म बल पूर्वक लागू करनेवाला और बड़ा ही होकर रहनेवाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। वह अल्लाह ही है जो सृष्टि का मंसूबा बनानेवाला और उसको लागू करनेवाला और उसके मुताबिक़ सूरतगरी करनेवाला है। उसके लिए बेहतरीन नाम हैं। हर चीज़, जो आसमानों और ज़मीन में है, उसकी तस्बीह (महिमागान) कर रही है और वह

ज़बरदस्त और तत्त्वदर्शी है।"

(क़ुरआन, सूरा-59 हश्र, आयतें-22 से 24)

यह कितनी बड़ी नादानी है कि इनसान अल्लाह की प्रदान की हुई ज़िन्दगी, नेमतों और एहसानों व मेहरबानियों के बावजूद उसका शुक्रगुज़ार और वफ़ादार बन्दा न बने। उसके बजाए दूसरी हस्तियों का वफ़ादार बन जाए। अल्लाह जैसी महानतम् हस्ती, तमाम कायनात के मालिक और असली माबूद (पूज्य-प्रभु) के साथ यह खुली हुई बेवफ़ाई है। यह नाक़ाबिले-माफ़ी जुर्म (अपराध) है। क़ुरआन में है–

"अल्लाह उस जुर्म को हरगिज़ माफ़ नहीं करता कि किसी को उसका शरीक ठहराया जाए। इसके सिवा जिस क़दर गुनाह है, वह जिसको चाहता है माफ़ कर देता है, और जिसने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराया उसने बहुत ही बड़ा झूठ और सख़्त गुनाह की बात की।"

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-48)

क़ुरआन में शिर्क का अंजाम इन शब्दों में बयान किया गया है–

"और इन लोगों ने अल्लाह के कुछ शरीक ठहरा लिए, ताकि वे उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें, इनसे कहो कि कर लो कुछ मज़े। आख़िरकार तुम्हें पलटकर जाना दोज़ख़ ही में है।

(क़ुरआन, सूरा-14 इबराहीम, आयत-30)

एक दूसरी जगह है–

"उन लोगों ने हक़ीक़त में कुफ़्र (हक़ का इनकार) किया जिन्होंने कहा, अल्लाह तो यह मरयम का बेटा मसीह है, हालांकि मसीह (ईसा) तालीम देते थे कि ऐ इसराईलियो! अल्लाह की बन्दगी करो, जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब (पालनहार) भी। निस्सन्देह जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसपर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है और ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।" (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-72)

(II) रिसालत (पैग़म्बरी)

पिछले पन्नों में कुछ इस्लामी धारणाओं और विचारों से आपको परिचित कराया गया है। मिसाल के तौर पर वह्य (प्रकाशना), फ़रिश्ता, हिदायत और तौहीद (एकेश्वरवाद) वग़ैरा। यह बात स्पष्ट की गई कि इनसान की सिर्फ़ भौतिक ज़रूरतें ही नहीं हैं, बल्कि उसकी अख़लाक़ी (नैतिक) और रूहानी ज़रूरतें भी हैं। इनसान सिर्फ़ खाना खाकर, हवा में साँस लेकर और पानी पीकर ज़िन्दगी बसर नहीं करता, उसकी अस्ल ज़िन्दगी तो अख़लाक़ और रूहानियत की ज़िन्दगी है। अख़लाक़ी शुऊर अगर मुर्दा हो या मर जाए तो इनसान केवल दो टाँगों और दो हाथोंवाला एक जानवर है। स्रष्टा अपनी पूरी सृष्टि पर और मानव-जाति पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह की सिफ़ात (विशिष्ट गुणों) में अद्ल व इनसाफ़, रहमत और हिकमत (तत्त्वदर्शिता) नुमायाँ हैं। उसी ने इनसान को ज़मीन पर बसाया। इनसान के लिए अपनी इनायतों, नेमतों और रहमतों की बारिश कर दी। उसी ने अख़लाक़ और रूहानियत की तालीम दी। हिदायत के लिए बेहतरीन इन्तिज़ाम व एहतिमाम किया। इसको रिसालत या नुबूवत (पैग़म्बरी) कहते हैं। यह निज़ाम निम्नलिखित अंशों पर सम्मिलित हैं–

1. पैग़म्बरों का आगमन।
2. उन महान हस्तियों पर किताबों और सहीफ़ों का अल्लाह की तरफ़ से भेजा जाना।
3. नुबूवत (पैग़म्बरी) का समापन।

मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ पैग़म्बरी के अक़ीदे को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं–

"नुबूवत या रिसालत (पैग़म्बरी) का नज़रिया भौतिक दृष्टिकोण से बिलकुल भिन्न है। माद्दा-परस्तों (भौतिकवादियों) का ख़याल है कि कायनात का प्रबन्ध सिर्फ़-और-सिर्फ़ फ़ितरी और भौतिक नियमों के सहारे क़ायम है। इसके पीछे किसी ख़ुदा और ज़िन्दा जावेद-हस्ती (जीवन्त सत्ता) की कार-फ़रमाई नहीं पाई जाती। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सिर्फ़ माद्दा (भौतिक-तत्त्व) की करिश्मा-साज़ी है, लेकिन सच्चाई इसके

बिलकुल विपरीत है। ख़ुद कायनात का हैरत-अंगेज़ इन्तिज़ाम (व्यवस्था) इनसान के इस नज़रिए का खंडन करता है। विशाल कायनात में इल्म (ज्ञान) व दानिश और रहमत का इज़हार (प्रकटन) होता है और इनसान में जो अख़लाक़ी हिस (चेतना) और शुऊर पाया जाता है उसका स्रोत बेजान और बे-शुऊर माद्दा (भौतिक-तत्त्व) हरगिज़ नहीं हो सकता। इनसान को यह बताया जाना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य किसे कहते हैं? अद्ल (न्याय) क्या है? ज़ुल्म किसे कहते हैं? मुहब्बत और उलफ़त (स्नेह) किसे कहते हैं? बुराई और ख़राबी क्या है? ज़िन्दगी में बुराई कहाँ से दाख़िल होती है? ज़िन्दगी में अख़लाक़ की हुक्मरानी कैसे होती है? ज़िन्दगी का फ़ितरी और सीधा रास्ता कौन-सा है? इनसान के इन्हीं फ़ितरी मुतालबों का सही जवाब वह है जिसे रिसालत व नुबूवत या पैग़म्बरी कहते हैं।"

(हक़ीक़ते-नुबूवत, पृष्ठ-7, 8)

पैग़म्बरों के बारे में इस हक़ीक़त को सामने रखना ज़रूरी है कि ये सब इनसान होते थे। अलबत्ता इनसानों में इनके मर्तबे के बराबर कोई नहीं होता था। विरोधियों ने एतिराज़ किया कि ये पैग़म्बर कैसे हो सकते हैं? ये तो बाज़ारों में चलते-फिरते हैं और खाना खाते और बीवी-बच्चोंवाले हैं। क़ुरआन में बताया गया कि इनसानों की हिदायत (मार्गदर्शन) के लिए इनसान ही उपयुक्त है। कोई फ़रिश्ता या दूसरी मख़लूक़ इनसान के लिए नमूना कैसे बन सकती है? अज्ञानता पर आधारित एक ख़याल यह है कि ख़ुदा ख़ुद शारीरिक रूप लेकर अवतार की हैसियत से ज़मीन में आता है। हालाँकि ख़ुदा की हस्ती इनसान जैसी जिस्मानी शक्ल व सूरत से आज़ाद है, इसलिए अवतार बनना उसकी शान के ख़िलाफ़ है। असीमित हस्ती किसी सीमित, नश्वर (फ़ानी) और माद्दी वुजूद में कैसे आ सकती है? अवतार इनसानों के लिए नमूना (आदर्श) कैसे बन सकता है? वह तो इनसान की जाति से है ही नहीं। जानना चाहिए कि अल्लाह के पैग़म्बर दुनिया की विभिन्न क़ौमों और ज़मानों में आए हैं। क़ुरआन से मालूम होता है कि पैग़म्बर हर क़ौम में आए हैं—

"कोई भी ऐसी क़ौम नहीं जिसमें कोई ख़बरदार करनेवाला

(रसूल) न आया हो।" (क़ुरआन, सूरा-35 फ़ातिर, आयत-24)

"हर क़ौम के अन्दर हिदायत (मार्गदर्शन) करनेवाले को भेजा गया है।" (क़ुरआन, सूरा-13 रअद, आयत-7)

क़ुरआन से हिदायत पाने के लिए तमाम पैग़म्बरों को दिल से मानना बेहद ज़रूरी है। रसूलों और नबियों के बीच अन्तर नहीं किया जा सकता। इसी तरह यह अक़ीदा रखना भी ज़रूरी है कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) आख़िरी पैग़म्बर हैं। इनसानियत के आरंभ से पैग़म्बरों के ज़रिए से जो हिदायत इनसान को मिल रही थी उसकी कभी-न-कभी तकमील (पूर्णता) होनी ही थी। इनसानियत ने अपने सफ़र को आरंभ किया तो अब वह मंज़िल तय करके अपनी प्रौढ़ावस्था को पहुँच चुकी थी, जहाँ तमाम इनसानियत, तमाम क़ौमों के लिए एक पैग़म्बर और एक किताब मार्गदर्शन (हिदायत) के लिए काफ़ी थी। अलग-अलग क़ौमों के लिए अलग-अलग पैग़म्बरों की ज़रूरत काफ़ी नहीं रही थी। सारी दुनिया और तमाम क़ौमों के लिए एक ही पैग़म्बर और एक ही किताब के काफ़ी होने का मतलब यह था कि हिदायत (मार्गदर्शन) के ये दोनों स्रोत (Sources) सुरक्षित कर दिए जाते। चुनाँचे आपने पिछले पृष्ठों में अध्ययन किया कि क़ुरआन पूरी तरह सुरक्षित है। इसपर दुनिया-भर के इतिहासकार सहमत हैं। जिस हस्ती पर क़ुरआन उतारा गया वे पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) हैं। आप (सल्ल॰) की सीरत (जीवनी), आप (सल्ल॰) के मुबारक कथन, आप (सल्ल॰) की सारी सरगर्मियाँ या काम सब सुरक्षित हैं। अब हिदायत के खो जाने या गड्ड-मड्ड होने का कोई ख़तरा या अन्देशा बाक़ी नहीं रहा। अल्लाह तआला की हिदायत, मर्ज़ी और रहनुमाई का एक मुकम्मल नमूना, रहती दुनिया तक, इनसान के सामने आ गया। अब दुनिया के तमाम इनसानों के लिए ख़ुदा की आख़िरी हिदायत, आख़िरी किताब क़ुरआन है जो आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के ज़रिए से भेजी गई है। यह हिदायत किसी ख़ास क़ौम व नस्ल, रंग व ज़बान या इलाक़े के लिए नहीं है, बल्कि समय और स्थान से भी यह ऊपर है। इसलिए इसकी तकमील (पूर्णता) और व्यापकता का एलान हिदायत देनेवाले अल्लाह की तरफ़ से ही कर दिया गया।

दीन की तकमील यानी हिदायत का पूरा निज़ाम मुकम्मल और सुरक्षित होने के बाद नए पैग़म्बर और नई किताब की ज़रूरत बाक़ी नहीं रह सकती थी। इसलिए पैग़म्बरों के समापन का भी क़ुरआन ने एलान कर दिया। चुनाँचे इस बारे में क़ुरआन कहता है—

> "लोगो! मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वे अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक हैं, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखनेवाला है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-33 अहज़ाब, आयत-40)

इस हक़ीक़त को पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने कथनों के ज़रिए से और स्पष्ट कर दिया है—

(1) "रिसालत और नुबूवत (पैग़म्बरी) का सिलसिला ख़त्म हो गया है। मेरे बाद अब न कोई रसूल है और न नबी।" (हदीस : तिरमिज़ी, मुसनदे-अहमद)

(2) "बनी-इसराईल का नेतृत्व अंबिया (पैग़म्बर) करते थे। जब किसी नबी का इन्तिक़ाल हो जाता तो दूसरा नबी उसका उत्तराधिकारी होता। मगर मेरे बाद कोई नबी न होगा, बल्कि ख़ुलफ़ा (ख़लीफ़ा) होंगे।"

(हदीस : बुख़ारी)

(3) "मेरी मिसाल और मुझसे पहले गुज़रे हुए नबियों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति ने एक इमारत बनाई और उसे ख़ूब सुसज्जित और ख़ूबसूरत बनाया, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छूटी हुई थी। लोग उसके चारों तरफ़ फिरते और उसकी ख़ूबी (सुन्दरता) पर हैरत का इज़हार करते थे और कहते थे— यह ईंट भी क्यों न रख दी गई? तो वह ईंट मैं हूँ, और मैं नबियों का समापक हूँ।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

कुछ लोगों का यह ख़याल है कि इनसान को किसी-न-किसी गुरु (रहनुमा) से जुड़कर उसकी रहनुमाई (मार्गदर्शन) में ज़िन्दगी बसर करनी चाहिए। यह एक अहम नुक्ता (बिन्दु) है। इस सिलसिले में सही बात को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि रसूल या पैग़म्बर की हैसियत क्या होती है?

रसूल या पैग़म्बर ख़ुदा का नुमाइन्दा बनकर आता है। उसे ख़ुदा की

तरफ़ से सनद (Authority) और इजाज़त (Sanction) हासिल है। वह रियाज़त (तपस्या) और सोच-विचार करके ख़ुद अपने तौर पर यह दावा नहीं कर देता कि वह ख़ुदा का पैग़म्बर है या इनसानों के लिए अल्लाह की तरफ़ से मार्गदर्शक और पेशवा है, बल्कि यह एलान अल्लाह की तरफ़ से होता है। इसलिए कि रिसालत और नुबूवत ख़ाहिश करके और कोशिश करके हासिल करने की चीज़ नहीं है। यह यक़ीनी तौर पर अल्लाह का फ़ैसला है कि कब, कहाँ और कैसे अपने बन्दों की हिदायत और रहनुमाई के लिए किसी व्यक्ति का चयन करे। इसमें इनसान के इरादे और कोशिश का कोई दख़ल कहीं नहीं है। अल्लाह के इस फ़ैसले में इनसान का कोई मशूवरा शामिल हो सके, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क़ुरआन में है—

> "अल्लाह बेहतर जानता है कि उसे अपनी पैग़म्बरी किसके सिपुर्द करनी चाहिए।" (क़ुरआन, सूरा-6 अनआम, आयत-124)

पैग़म्बर या रसूल की बहुत सारी विशेषताओं में से एक यह है कि वह जो तालीम देता है और जो उसूल और अहकाम (आदेश) पेश करता है वे सब अल्लाह की तालीम और उसूल व अहकाम होते हैं। उसकी अपनी मर्ज़ी का दख़ल नहीं होता। चुनाँचे क़ुरआन बताता है—

> "और वह (पैग़म्बर) अपनी मन की इच्छा से कोई बात नहीं कहता। वह जो कुछ कहता है वह तो सिर्फ़ वही तालीम होती है जो उसपर उतारी जाती है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-53 रअद, आयतें-3, 4)

यानी रसूल जो तालीम देते हैं, जो हिदायत और रहनुमाई करते हैं, वह उनकी कोई ज़ाती (निजी) चीज़ नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ़ से जो तालीम दी जाती है, जो रहनुमाई मिलती है, उसी को बताते हैं। इस तरह मानो वे (नबी) अल्लाह के सीधे-सीधे तर्जुमान (प्रतिनिधि) होते हैं।

क़ियामत के दिन जब अल्लाह हज़रत ईसा (अलैहि०) से सवाल करेगा कि क्या आपने अपनी क़ौम से कहा था कि मुझे और मेरी माँ दोनों को ख़ुदा क़रार दो तो वे जवाब में कहेंगे—

> "मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने हुक्म

दिया था, यह कि अल्लाह की बन्दगी करो, जो रब है मेरा भी और रब है तुम्हारा भी।" (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-117)

इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि जो भी गुरु या रहनुमा हो उसे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की तालीमात (शिक्षाओं) के अधीन होना चाहिए। अगर गुरु की तरबियत के नतीजे में हिदायत और रहनुमाई मतलूब (वांछित) है तो इसके बारे में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) का यह अहम एलान है–

"लोगो! मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ– एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत या तरीक़ा।"

(हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)

किसी गुरु को कोई ख़ुदाई मंसब, सनद और अनुमति (Sanction) हासिल नहीं होती। वह लोगों को तालीम देता और उनकी तरबियत करता है तो यह पैग़म्बर की शिक्षाओं के तहत होनी चाहिए। इसके नतीजे में इनसान की सही रहनुमाई होगी और वह हिदायत पाकर भटक जाने से बच सकेगा, क्योंकि इस सूरत में वह रहनुमाई अस्ल में, पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की रहनुमाई होगी। क़ुरआन बताता है कि उनकी इताअत अस्ल में ख़ुदा की इताअत है। क़ुरआन में है–

"जिसने रसूल की फ़रमाँबरदारी की उसने अस्ल में ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी की।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-80)

"जो कुछ रसूल तुम्हें दें वह ले लो और जिस चीज़ से वे तुम को रोक दें उससे रुक जाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह सख़्त सज़ा देनेवाला है।" (क़ुरआन, सूरा-59 हश्र, आयत-7)

"ईमान लानेवालों का काम तो यह है कि जब वे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ बुलाए जाएँ, ताकि रसूल उनके मुक़द्दमे का फ़ैसला करे, तो वे कहें कि हमने सुना और फ़रमाँबरदारी की।" (क़ुरआन, सूरा-24 नूर, आयत-51)

इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि इनसानों के बीच रसूल या पैग़म्बर की हैसियत सिर्फ़ उपदेश, नसीहत और अख़लाक़ी बातें करनेवाले की नहीं होती, बल्कि वह एक समय में शिक्षक, प्रशिक्षक, नफ़्स का तज़किया करनेवाला,

हाकिम और क़ाज़ी (जज), क़ानून और शरीअत देनेवाला होता है। रसूल की फ़रमाँबरदारी अल्लाह की फ़रमाँबरदारी है। रसूल का इनकार अस्ल में अल्लाह का इनकार है।

(III) आख़िरत (मौत के बाद ज़िन्दगी)

कुरआन की तीन अहम और बुनियादी तालीमात (शिक्षाओं) में से एक मौत के बाद हमेशा बाक़ी रहनेवाली ज़िन्दगी पर ईमान है। इसको आख़िरत (परलोक) का अक़ीदा (आस्था) कहते हैं। इस अक़ीदे की अहमियत का अन्दाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि कुरआन का शायद ही कोई पन्ना इसके सीधे या किसी वास्ते (माध्यम) के बयान से ख़ाली है। क़ुरआन की शिक्षाओं की रौशनी में इस अक़ीदे के बुनियादी निकात (बिन्दु) निम्नलिखित हैं–

दुनिया की यह ज़िन्दगी अस्थायी है। हम अपनी आँख़ों से इनसानों को मरते हुए देखते हैं। ख़ुद हम भी एक दिन इसी मौत से दोचार होंगे। किसी भी इनसान के लिए मौत से भाग पाना मुमकिन नहीं। मरने के बाद इनसान कहाँ जाता है और उसका क्या हाल होता है? इसका अवलोकन इनसान नहीं करता। यह मरहला इनसान के हवासे-ख़मसा (पाँचों ज्ञानेन्द्रीय, Five Sense) के दायरे से बाहर है। कोई इनसान इल्म की बुनियाद पर यह नहीं कह सकता कि मौत के बाद कोई ज़िन्दगी नहीं है, क्योंकि उसके पास इसकी कोई दलील नहीं। वह इतना ही कह सकता है कि मैं अवलोकन की बुनियाद पर नहीं जानता कि मौत के बाद क्या है?

इनसान और उसकी ज़िन्दगी की तरह, इस दुनियावी निज़ाम और कायनात (सृष्टि) की भी एक सुनिश्चित उम्र है, जिसे ख़ुदा के सिवा कोई नहीं जानता। यानी यह कायनात फ़ानी (नश्वर) है। इसकी मौत घटित होगी। क़ुरआन ने प्रमाणों के साथ इस हक़ीक़त को पेश किया है। आज साइंस ज़ोरदार तरीक़े से बताती है कि इस दुनिया को मौत आएगी।

हम देखते हैं कि स्रष्टा (ख़ालिक़) ने इनसान को ज़िन्दगी जैसी बड़ी, अनमोल और सबसे क़ीमती नेमत प्रदान की। इल्म और अक़्ल जैसी अज़ीम सलाहियत (योग्यता) दी। इख़्तियार, सोच-विचार और अमल की आज़ादी प्रदान की। यह इनसान की ख़ास ख़ुसूसियत है। इनसान को ज़मीन पर

रहने-बसनेवाले प्राणियों पर बड़ाई दी। क्या कोई ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जब ख़ुदा इनसान से पूछे कि यह सब पाकर वह वफ़ादार बन्दा बना या बाग़ी और नाफ़रमान?

इनसान की ज़िन्दगी कोई खेल नहीं। बेमानी और बे-मक़सद चीज़ नहीं। ज़िन्दगी सिर्फ़ खाने-पीने, मौज-मस्ती करने और मिट्टी में मिल जाने के लिए नहीं है। इनसान की ज़िन्दगी उद्देश्यपूर्ण और सार्थक है। उसकी पूरी ज़िन्दगी एक इम्तिहान और आज़माइश है। इसमें कामयाबी उसी वक़्त मुमकिन है जब उसने सृष्टि के स्रष्टा की मर्ज़ी के मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी बसर की हो। ज़िन्दगी के मक़सद को पूरा किया हो। उसकी नेमतों को उसी की मर्ज़ी के मुताबिक़ इस्तेमाल किया हो। सिर्फ़ उसी का शुक्रगुज़ार और वफ़ादार बन्दा बनकर रहा हो। हक़ और अधिकारों में मनमानी न की हो, बल्कि ख़ुदा की हिदायत के तहत इस्तेमाल किया हो। इन सबकी जवाबदेही और पूछ-गछ के लिए मौजूदा निज़ाम अधूरा और नाकाफ़ी है। एक दूसरे ही निज़ाम की ज़रूरत है। यह ज़िन्दगी दारुल-अमल (कर्म-स्थल) है, दारुल-जज़ा (बदले की जगह) नहीं है। इसके लिए एक दूसरे आलम की ज़रूरत है।

मौजूदा दुनिया का अपने निश्चित समय पर और मौजूदा निज़ाम का अपने तय वक़्त पर अन्त होगा। इसे क़ुरआन ने क़ियामत (महाप्रलय) कहा है। इसकी पूरी तफ़सील क़ुरआन बताता है। इनसान के सारे खुले-छिपे, छोटे-बड़े कर्मों और सरगर्मियों का रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। विज्ञान (साइंस) इसकी गवाही देता है। आख़िरत में जो दूसरा निज़ाम नए उसूलों और नियमों की बुनियाद पर क़ायम होगा, वहाँ इनसान के कर्मों की जाँच-पड़ताल होगी। उस मौक़े पर दुनिया के आरंभ से क़ियामत तक के तमाम इनसान हाज़िर किए जाएँगे।

आख़िरत (परलोक) में तमाम इनसानों को जमा करके उनसे हिसाब लेने के मौक़े पर कोई सिफ़ारिश काम नहीं आएगी। किसी तरह की जानिबदारी, पक्षपात, धौंस-धांधली और रिश्वत नहीं चलेगी। मुजरिमों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। कोई हुकूमत, कोई बादशाह, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और शासक वहाँ अधिकारी नहीं होगा। सब-के-सब एक ईश्वर,

एक बादशाह, एक मालिक और माबूद (पूज्य-प्रभु) के ग़ुलाम और अधिकारों से वंचित बन्दे होंगे। किसी का कोई अधिकार और हुक्म नहीं चलेगा।

आख़िरत की ज़िन्दगी में जिसके आमाल (कर्म) अच्छे होंगे, वह सफल व कामयाब क़रार दिया जाएगा और जन्नत में दाख़िल किया जाएगा और जो बुरे आमाल (कर्म) लेकर पहुँचेगा, वह नाकाम होगा और हमेशा रहनेवाले अज़ाब की जगह जहन्नम में डाला जाएगा।

दुनिया की अस्थायी और नश्वर ज़िन्दगी में जो ग़लत संसाधनों से दौलत कमाकर ख़ुशहाल (सम्पन्न) हो गया वह अल्लाह की नज़र में कामयाब नहीं। जो नेकी और अल्लाह की वफ़ादारी के रास्ते पर चलकर देखने में तो ग़रीब है, लेकिन उसे नाकाम नहीं कहा जा सकता। कामयाबी और नाकामी का अस्ल मेयार यह है कि इस अस्थायी ज़िन्दगी में इनसान अल्लाह के पसन्दीदा रास्ते पर चला या नहीं। अगर तकलीफ़ों, कष्टों और महरूमियों और नुक़सानों को बरदाश्त करना पड़े तो अल्लाह की रज़ा, ख़ुशनूदी और पारलौकिक जीवन की पूर्ण सफलता के लिए इनसान को चाहिए कि उन्हें बरदाश्त करे। उसकी निगाह आख़िरत की ज़िन्दगी की स्थायी सफलता पर जमी रहे। असली नाकामी (असफलता) यह है कि इनसान आख़िरत को भुला दे, ग़लत तरीक़ों से काम ले, ज़ुल्म व सितम, धोखा और फ़रेब के ज़रिए से ऐश व इशरत और विलासिता का सामान जमा कर ले। इसके बरख़िलाफ़ कामयाब इनसान वह है जो अल्लाह के आख़िरी फ़ैसले में सफल क़रार दिया जाए। असफल वह है जो अल्लाह के यहाँ नाक़ाम क़रार दिया जाए।

आख़िरत की ज़िन्दगी के बारे में इन अहम ग़ैबी हक़ीक़तों की क़ुरआन में विभिन्न तरीक़ों से दलीलों और इल्म (ज्ञान) और दूरदर्शिता की रौशनी में समझाया गया है। क़ुरआन इनसान को सोच-विचार करने की दावत देता है। इन ग़ैबी (परोक्ष) मामलों में उसकी रहनुमाई क़बूल करना उसके अपने ही हित में है अन्यथा दूसरी सूरत में वह सरासर घाटे में होगा।

आख़िरत के अक़ीदे का इनसानी नैतिकता पर क्या असर पड़ता है? इसको स्पष्ट करते हुए डॉक्टर मुहम्मद रफ़ीयुद्दीन फ़ारूक़ी लिखते हैं—

"ख़ुदा के सामने जवाबदेही का ख़याल ने इनसान के अन्दर एक ऐसे

हिसाब लेनेवाले को बिठा दिया है जो उसे हर बुरे काम के वक़्त टोकता है। यह अक़ीदा उसके अन्दर सज्जनता पैदा करता है। यही वजह है कि वह दूसरों से छिपकर और मौक़ा पाकर भी गुनाहों के काम करने से रुका रहता है। वह झूठ नहीं बोलता, वादा ख़िलाफ़ी नहीं करता, अमानत में ख़ियानत नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, चोरी नहीं करता, ज़िना नहीं करता, नाप-तौल में कमी नहीं करता, दूसरों के हक़ नहीं मारता, बल्कि वह लोगों के दुख-दर्द में काम आता है। बेवा, यतीम, ज़रूरतमन्द और मुहताज की मदद करता है। अल्लाह की राह में, अल्लाह की मुहब्बत में अपना दिल-पसन्द माल ख़र्च करता है। रातों में वह ईश्वर की इबादत करता है। वह नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज और तमाम नेकी के कामों में सबसे आगे बढ़ जाने की कोशिश करता है। बरख़िलाफ़ उसके, जो आख़िरत का इनकारी है, उसकी नज़र दुनिया के फ़ायदों तक ही सीमित होती है। उसके सामने आज का फ़ायदा-ही-फ़ायदा है और आज का नुक़सान-ही-नुक़सान है। इसी लिए वह लोगों के हक़ मारता है, वरासत के माल को समेटकर खुद खा जाता है, माल की मुहब्बत में अंधा हो जाता है। हलाल और हराम की पाबन्दियों को नहीं मानता, वह यह सोचता है कि मैं यतीम, मिसकीन और ज़रूरतमन्द को खाना क्यों खिलाऊँ? क्यों उनपर अपना माल ख़र्च करूँ? क्यों किसी की मदद करूँ? मुझे इससे क्या फ़ायदा? यह ज़ेहनियत उसको ख़ुद-ग़रज़, मफ़ादपरस्त, स्वार्थी और बख़ील व कंजूस बनाकर दिली कठोरता में मुब्तला कर देती है।" (क़ुरआन मजीद की बुनियादी तालीमात, पृष्ठ-78, 79)

क़ुरआन में अल्लाह का फ़रमान है—

"लोग दुनिया की ज़िन्दगी का बस ज़ाहिरी पहलू जानते हैं और आख़िरत से वे ख़ुद ही ग़ाफ़िल हैं। क्या उन्होंने कभी अपने आप में सोच-विचार (चिन्तन-मनन) नहीं किया? अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को और उन सभी चीज़ों को जो उनके बीच है हक़ पर एक निश्चित अवधि के लिए ही पैदा किया है। मगर बहुत-से लोग अपने रब की मुलाक़ात के मुनकिर (इनकारी)

हैं।" (क़ुरआन, सूरा-30 रूम, आयतें-7, 8)

दूसरी जगह अल्लाह का फ़रमान है—

"उसी की तरफ़ तुम सबको पलटना है। यह अल्लाह का पक्का वादा है। बेशक पैदाइश की शुरुआत वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, उनको पूरे न्याय के साथ बदला दे और जिन्होंने कुफ़्र (हक़ का इनकार) का तरीक़ा इख़्तियार किया, वे गर्म खौलता हुआ पानी पिएँगे और दर्दनाक सज़ा भुगतेंगे, उस हक़ के इनकार के बदले में जो वे करते रहे।"

(क़ुरआन, सूरा-10 यूनुस, आयत-4)

मौलाना मौदूदी (रह०) इन आयतों की व्याख्या में लिखते हैं—

"इन आयतों में आख़िरत का अक़ीदा पेश करने के साथ इसकी तीन दलीलें बिलकुल तार्किक क्रम के साथ दी गई हैं, एक यह कि दूसरी ज़िन्दगी मुमकिन है, क्योंकि पहली ज़िन्दगी का इमकान सत्य घटना (वाक़िआ) की सूरत में मौजूद है। दूसरे यह कि दूसरी ज़िन्दगी की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा ज़िन्दगी में इनसान अपनी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी को सही या ग़लत तौर पर जिस तरह अदा करता है और उससे सज़ा और इनाम की जो हक़दारी पैदा होती है, उसकी बिना पर अक़्ल का तक़ाज़ा यही है कि एक और ज़िन्दगी हो जिसमें हर आदमी अपने अख़लाक़ी रवैए का वह नतीजा देखे जिसका वह हक़दार है। तीसरे यह कि जब अक़्ल और इनसाफ़ के मुताबिक़ दूसरी ज़िन्दगी की ज़रूरत है तो यह ज़रूरत यक़ीनन पूरी की जाएगी, क्योंकि इनसान और कायनात का पैदा करनेवाला तत्त्वदर्शी है और हकीम (तत्त्वदर्शी) से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हिकमत और इनसाफ़ जिसका तक़ाज़ा करते हों उसे वह वुजूद में लाने से दूर रह जाए।"

(तफ़हीमुल-क़ुरआन, जिल्द-2, पृष्ठ-265)

क़ुरआन में आख़िरत के सम्बन्ध में यह रहनुमाई की गई है—

"बल्कि आख़िरत का तो इल्म ही इन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये उसकी तरफ़ से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हैं।

ये इनकारी कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप-दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वाक़ई क़ब्रों से निकाला जाएगा। ये ख़बरें हमको भी बहुत दी गई हैं और हमारे पूर्वजों को भी दी जाती रही हैं, मगर ये बस अफ़साने-ही-अफ़साने हैं, जो अगले वक़्तों से हम सुनते चले आ रहे हैं। कहो, ज़रा ज़मीन में चल-फिरकर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है।"

(क़ुरआन, सूरा-27 नम्ल, आयतें-66 से 69)

मौलाना मौदूदी (रह०) इन आयतों की व्याख्या में लिखते हैं—
"दुनिया की जिन क़ौमों ने भी आख़िरत (परलोक) को नज़र-अन्दाज़ किया है वे मुजरिम बने बग़ैर नहीं रह सकी हैं। वे ग़ैर-ज़िम्मेदार बनकर रहीं, उन्होंने ज़ुल्म व सितम ढाए, वे नाफ़रमानी व बदकारी में डूबकर रहीं और अख़लाक़ की तबाही ने आख़िरकार उनको बरबाद करके छोड़ा। यह मानवता के इतिहास का निरन्तर अनुभव है, जिसपर ज़मीन में हर तरफ़ तबाह-शुदा क़ौमों के आसार (चिन्ह) गवाही दे रहे हैं, साफ़ ज़ाहिर होता है कि आख़िरत (परलोक) के मानने और न मानने का निहायत गहरा ताल्लुक़ इनसानी रवैए के सही होने और सही न होने से है। उसको माना जाए तो रवैया ठीक है, न माना जाए तो रवैया ग़लत हो जाता है। यह इस बात की खुली दलील है कि उसका मानना हक़ीक़त के मुताबिक़ है। इसलिए उसके मानने से इनसानी ज़िन्दगी ठीक डगर पर चलती है और उसका न मानना हक़ीक़त के ख़िलाफ़ है। इसी वजह से उसके इनकार से यह गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इतिहास के इस लम्बे अनुभव में मुजरिम बन जानेवाली क़ौमों का निरन्तर तबाह होना इस हक़ीक़त को साफ़ प्रमाणित कर रहा है कि यह कायनात बे-शुऊर (अविवेकशील) ताक़तों की अंधी-बहरी फ़रमारवाई नहीं है, बल्कि यह एक हकीमाना निज़ाम है, जिसके अन्दर एक अटल क़ानून अपना काम कर रहा है............(इसलिए) पिछले मुजरिमों का अंजाम देख कर उससे सबक़ लो और आख़िरत के इनकार के उसी अहमक़ाना अक़ीदे पर हठधमी न किए चले जाओ, जिसने उन्हें मुजरिम बनाकर छोड़ा।"

(तफ़हीमुल-क़ुरआन, जिल्द-3, पृष्ठ-600, 601)

क़ुरआन के अध्ययन से सम्बन्धित कुछ मश्वरे

क़ुरआन के अध्ययन का आपका फ़ैसला निहायत अहम है। पिछले पृष्ठों में क़ुरआन के बारे में आपने जान लिया कि यह दुनिया की आम किताबों की तरह नहीं है। क़ुरआन अल्लाह की आख़िरी किताब है। इनसान की सबसे बड़ी ज़रूरत और रहनुमाई को पूरा करती है, बल्कि उसको बेहतरीन तरीक़े से पूरा करती है। दुनिया की किसी किताब के साथ इनसान की दुनियावी कामयाबी और आख़िरत की नजात इस तरह नहीं जुड़ी है जिस तरह क़ुरआन के साथ है। चुनाँचे यह किताब आपकी बड़ी उपकारक है। इस किताब का एहसान है कि यह सच्चाइयों और तथ्यों को बताती है जो हम नहीं जानते। तथ्यों को जानना ही नहीं, मानना भी ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई को जाने बग़ैर इनसान अपने पैदा करनेवाले स्रष्टा, पालनहार, असली माबूद (पूज्य-प्रभु) से बेख़बर और ज़िन्दगी के मक़सद से अनजान रहेगा। मौत के बाद यकायक उसको एक ऐसी सूरते-हाल का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए उसने दुनिया में कोई तैयारी सिरे से की ही नहीं। यह हमेशा की नाकामी का सौदा होगा।

क़ुरआन का अध्ययन आरंभ करते हुए आप इसे मुसलमानों की किताब समझकर न पढ़ें, बल्कि आपके सामने यह हक़ीक़त रहे कि यह अल्लाह की तरफ़ से हिदायत की किताब है, जो तमाम इनसानों के लिए है। आप यह फ़ैसला करें कि मैं अपने पैदा करनेवाले और पालनहार की हिदायत का ख़ाहिशमन्द हूँ और इसलिए ख़ुदा की किताब का अध्ययन करने चला हूँ।

क़ुरआन के अध्ययन के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। वह अल्लाह की हिदायत (मार्गदर्शन) को ठुकराकर उसका बाग़ी और नाफ़रमान बन गया। वह चाहता है कि इनसान भी उसी बग़ावत के रास्ते पर चले। इसलिए आप अल्लाह से पहले ही क़दम पर दुआ माँगकर आगे बढ़ें कि क़ुरआन को सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ मिले, शैतान की डाली हुई रुकावटों और उकसाहटों से अल्लाह आपको बचा ले।

क़ुरआन के अध्ययन के लिए ज़रूरी है कि आपके दिल व ज़ेहन में पहले से जो ख़यालात और नज़रिए मौजूद हैं, उनको अलग रखें और साफ़-सुथरे दिल व दिमाग़ के साथ अध्ययन शुरू करें। इस तरह क़ुरआन को समझने में पक्षपात, भेदभाव, नफ़रत और ग़लतफ़हमियों को रुकावट न बनने दें।

क़ुरआन के अध्ययन के दौरान प्रश्न, उलझनें और शक-शुब्हे पैदा हो सकते हैं। जब कभी ऐसा हो तो आप तुरन्त कोई राय क़ायम करके अध्ययन करना बन्द न कर दें, बल्कि अध्ययन जारी रखें। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके सवालों के जवाब मिल जाएँगे और उलझने साफ़ हो जाएँगी। अगर फिर भी ऐसा न हो सके तो उनको नोट कर लें और दूसरी बार अध्ययन करने में वे साफ़ हो जाएँगी या फिर किसी आलिम से मालूम करें।

क़ुरआन मजीद जब आपके सामने होगा तो आप देखेंगे कि उसमें अरबी मतन (Text) है, यही क़ुरआन है। इसका अनुवाद हिन्दी या किसी दूसरी ज़बान में होगा। अरबी में क़ुरआन का मतन (Text) ख़ुदा की तरफ़ से है। इसमें एक शब्द भी किसी इनसान का, यहाँ तक कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) का भी शामिल नहीं है।

आपसे आशा है कि क़ुरआन के अध्ययन (Study) के मौक़े पर इस ख़ुदाई कलाम का ज़रूर एहतिराम करेंगे। पाक-साफ़ होकर इसका अध्ययन करें। आम तौर पर लोग अरबी मतन (Text) नहीं पढ़ सकते, लेकिन सृष्टि के स्रष्टा, मालिक और पालनहार माबूद (पूज्य-प्रभु) के कलाम को अपनी आँखों से तो देख सकते हैं और बरकत हासिल कर सकते हैं। वैसे आप अरबी ज़बान सीख लें तो बहुत अच्छा है।

क़ुरआन के अध्ययन (Study) के सिलसिले में एक मश्वरा यह है कि रोज़ाना बाक़ायदगी (नियमित), पाबन्दी और तरतीब के साथ अध्ययन करें। कुछ मिनट ही आपके ख़र्च होंगे, लेकिन यह अध्ययन बड़ा बरकतवाला और भलाईवाला साबित होगा।